

 सत्यमेव जयते	<b>राजस्थान राज—पत्र</b> <b>विशेषांक</b>	<b>RAJASTHAN GAZETTE</b> <b>Extraordinary</b>
	साधिकार प्रकाशित	<i>Published by Authority</i>
	वैशाख 11, शुक्रवार, शाके 1937—मई 1, 2015 <i>Vaisakha 11, Friday, Saka 1937-May 1, 2015</i>	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

**विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग**

**(ग्रुप-2)**

अधिसूचना

**जयपुर, मई 1, 2015**

**संख्या प. 2 (32) विधि/2/2014:**—राजस्थान राज्य विधान—मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 29 अप्रैल, 2015 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:—

**राजस्थान राज्य राजमार्ग अधिनियम, 2014**

**(2015 का अधिनियम संख्यांक 22)**

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 29 अप्रैल, 2015 को प्राप्त हुई]

राज्य राजमार्गों की घोषणा, विकास, प्रचालन, सुरक्षा और विनियमन, और उससे अनुलग्न भूमि के उपयोग, राजमार्गों और अन्य सड़कों के लिए भूमि का अर्जन, राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

**अध्याय 1**

प्रारम्भिक

**1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.-** (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान राज्य राजमार्ग अधिनियम, 2014 है।

(2) इसका प्रसार राजस्थान राज्य में है।

(3) यह ऐसी तारीख को और से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे:

परन्तु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी भी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारम्भ के प्रति किसी भी निर्देश का अर्थ उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जायेगा:

परन्तु यह और कि भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 105 की उप-धारा (2) के अधीन उस अधिनियम की चतुर्थ अनुसूची में इस अधिनियम को सम्मिलित किये जाने के पश्चात्, राज्य सरकार, धारा 5 से 15 तक के और धारा 60 की उप-धारा (6) के उपबंधों के प्रारम्भ के लिए, ऐसी तारीख नियत कर सकेगी।

**2. परिभाषाएं.-** इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

- (क) "प्राधिकरण" से धारा 44 के अधीन गठित राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण अभिप्रेत है;
- (ख) "भवन" के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की किसी सामग्री और किसी भी रीति से संनिर्मित कोई भी परिनिर्माण (जिसमें कृषिक प्रयोजनों के लिए कोई फार्म-निर्माण सम्मिलित है) आता है और कुर्सियां, द्वार-सीढियां, दीवारें (जिनमें अहाता दीवारें और बाड़े सम्मिलित हैं), विज्ञापन बोर्ड इत्यादि भी इसके अन्तर्गत आते हैं;
- (ग) "अध्यक्ष" से प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है;
- (घ) "सक्षम प्राधिकारी" से राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे क्षेत्र के लिए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए प्राधिकृत कोई व्यक्ति या प्राधिकारी अभिप्रेत है;
- (ङ) "कलक्टर" से किसी जिले का कलक्टर अभिप्रेत है और इस अधिनियम के अधीन किसी कलक्टर के कृत्यों का पालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से नियुक्त कोई भी अधिकारी उसके अन्तर्गत आता है;

- (च) "नियन्त्रण जोन" से किसी राजमार्ग से अनुलग्न और धारा 20 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट दूरी में स्थित भूमि का क्षेत्र अभिप्रेत है;
- (छ) "रियायत" से राज्य सरकार या, यथास्थिति, प्राधिकरण और किसी व्यक्ति के बीच राज्य राजमार्ग या उसके भाग के विकास, वित्तपोषण और प्रचालन के लिए की गयी किसी संविदा में विनिर्दिष्ट अधिकार और बाध्यताएं अभिप्रेत हैं, और इसके अन्तर्गत किसी राज्य राजमार्ग का प्रचालन और उस पर फीस का उद्ग्रहण और संग्रहण के लिए कोई संविदा है;
- (ज) "रियायतग्राही" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने राज्य सरकार या, यथास्थिति, प्राधिकरण के साथ किसी रियायत के लिए या उसके सम्बन्ध में कोई संविदा की है;
- (झ) किसी राज्य राजमार्ग के संबंध में "विकास" से अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत इसकी डिजाइन बनाना, सन्निर्माण, मरम्मत, नवीकरण, अभिवृद्धि, उन्नयन और उससे आनुषंगिक अन्य क्रियाकलाप आते हैं, और "विकास करना" का तदनुसार अर्थ लगाया जायेगा;
- (ञ) "खण्ड आयुक्त" से किसी खण्ड का आयुक्त अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन किसी खण्ड आयुक्त के कृत्यों का पालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से नियुक्त कोई अधिकारी है;
- (ट) "अधिक्रमण" से किसी राजमार्ग या उसके भाग का अधिभोग अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत-
- (i) राजमार्ग पर, किसी भवन का, या उस पर, उसके ऊपर या उसके ऊपर लटकती हुई अन्य किसी संरचना, बालकनियों, देहरियों, दालानों या प्रक्षेपों का परिनिर्माण;
  - (ii) किसी भी प्रकार की सामग्री या माल को जमाकर रखने या विक्रय हेतु वस्तुओं के प्रदर्शन के लिए या खम्भे, शामियाने, तम्बू, पांडाल और इसी प्रकार के अन्य परिनिर्माण के लिए या यानों की पार्किंग या

पालतू पशुओं को बांधने के लिए या किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए विहित कालावधि से, यदि कोई हो, अधिक राजमार्ग का अधिभोग; और

(iii) किसी राजमार्ग की भूमि पर किये गये या विस्तारित उत्खनन या तटबंध;

सम्मिलित है;

- (ठ) "परिनिर्माण करना" के अन्तर्गत, किसी भवन के संबंध में, उसके व्याकरणिक रूप-भेदों सहित किसी भवन का संनिर्माण, पुनर्संनिर्माण, संरचनात्मक रूप से विस्तार या परिवर्तन करना अभिप्रेत है;
- (ड) "उत्खनन" से भूमि के किसी टुकड़े के संबंध में भूमि के उस टुकड़े की सतह को बेधना अभिप्रेत है और इसमें कुओं और तालाबों को खोदना सम्मिलित है;
- (ढ) "द्रुतमार्ग" से ऐसा राजमार्ग अभिप्रेत है जिसमें सीमित संख्या में अन्तर्भागों से नियंत्रित पहुंच हो और विपरीत दिशाओं में यातायात के संचालन के लिए लेनों के बीच में विभाजक हो;
- (ण) "राजमार्ग" या "राज्य राजमार्ग" से धारा 3 के अधीन राज्य राजमार्ग के रूप में तत्समय घोषित कोई सड़क अभिप्रेत है और इसमें ऐसी सड़क की सीमाओं में अवस्थित समस्त भूमि सम्मिलित है;
- (त) "भूमि" के अन्तर्गत भूमि से उद्भूत होने वाले फायदे और भूबद्ध चीजें या भूबद्ध किसी चीज से स्थाई रूप से जकड़ी हुई चीजें हैं;
- (थ) "भूमि अर्जन अधिनियम, 2013" से भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 30) अभिप्रेत है और इसमें इसका कोई उपान्तरण, संशोधन या पुनःअधिनियमिति भी सम्मिलित है;
- (द) "सदस्य" से प्राधिकरण का धारा 44 के अधीन नियुक्त कोई सदस्य अभिप्रेत है और इसमें अध्यक्ष भी सम्मिलित है;
- (ध) "अधिभोगी" के अन्तर्गत हैं-

- (i) कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो स्वामी को ऐसे परिसर का किराया या किराये का कोई भी भाग तत्समय संदत्त कर रहा है या संदत्त करने के दायित्वाधीन है, जिसके सम्बन्ध में ऐसा किराया संदत्त किया जाता है या संदेय है;
- (ii) परिसर में रह रहा या उसका अन्यथा उपयोग कर रहा कोई स्वामी;
- (iii) कोई किरायामुक्त किरायेदार;
- (iv) किसी भी परिसर का अधिभोगी कोई अनुज्ञप्तिधारी; और
- (v) कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो किसी भी परिसर के उपयोग और अधिभोग के लिए स्वामी को नुकसानी संदत्त करने का दायी है;
- (न) किसी राजमार्ग के संबंध में "प्रचालन" में इसका रख-रखाव, मरम्मत, उपान्तरण, सुधार, प्रबंध और विनियमन सम्मिलित है और "प्रचालन करना" का तदनुसार अर्थ लगाया जायेगा।
- (प) "स्वामी" से,-
- (1) जब किसी भी परिसर के प्रति निर्देश से प्रयुक्त किया जाये तब ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो उक्त परिसर का किराया प्राप्त करता है या जो, यदि परिसर किराये पर दिया जाता तो उसका किराया प्राप्त करने का हकदार होता और उसके अन्तर्गत है-
- (i) कोई ऐसा अभिकर्ता, प्रबंधक या न्यासी, जिसे चाहे किसी भी नाम से जाना जाए, जो परिसर पर नियन्त्रण रखता है और जो स्वामी के मद्दे किराया प्राप्त करता है;
- (ii) कोई ऐसा अभिकर्ता, प्रबंधक या न्यासी, जो धार्मिक या पूर्त प्रयोजनार्थ समर्पित किसी भी परिसर का किराया प्राप्त करता है या वह उसे सौंपा हुआ है या उससे उसका वास्ता है;

(iii) सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय द्वारा नियुक्त कोई रिसीवर, परिबद्धकर्ता या प्रबंधक; और

(iv) कब्जाधारी बंधकदार;

(2) जब किसी संस्था या किसी निगमित निकाय के प्रति निर्देश से प्रयुक्त किया जाये तब ऐसी संस्था या निगमित निकाय का प्रधान अधिकारी अभिप्रेत है;

(3) जब किसी यान के प्रति निर्देश से प्रयुक्त किया जाये तब उस यान का मालिक या नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति है;

(फ) "व्यक्ति" के अन्तर्गत कोई कम्पनी, या संगम या व्यष्टियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, सम्मिलित है;

(ब) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(भ) "विनियम" से इस अधिनियम के अधीन प्राधिकारी द्वारा बनाये गये विनियम अभिप्रेत हैं;

(म) "नियम" से इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियम अभिप्रेत हैं;

(य) "अनुसूची" से अधिनियम की अनुसूची अभिप्रेत है;

(यक) "राज्य सरकार" से राजस्थान राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(यख) "सर्वेक्षण" के अन्तर्गत किसी सीमा या सीमाओं या किसी सीमा के किसी भाग का अवधारण करने, माप करने या उसे अभिलिखित करने के आनुषंगिक समस्त संकर्म हैं और इसमें पुनर्सर्वेक्षण सम्मिलित है;

(यग) "प्रयोक्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन राजमार्ग का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत है और ऐसा कोई भी व्यक्ति सम्मिलित है जो तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन अपने कार्यों और कर्तव्यों के निर्वहन में राजमार्ग का प्रयोग करता है;

(यघ) "यान" से अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत भूमि पर परिवहन के साधन के रूप में प्रयुक्त हर प्रकार की गाड़ी

या अन्य कृत्रिम प्रयुक्ति, या उपयोग किये जाने योग्य कोई यान आता है; और

(यड) "मार्गस्थ सुख-सुविधाएं" से अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत हैं होटल, मोटल, रेस्टोरेन्ट, सर्विस स्टेशन, अस्पताल, ट्रोमा सेन्टर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, परिवहन और पर्यटन सुविधाएं, भाण्डागारण, संचालन केन्द्र, मनोरंजन कॉम्प्लेक्स, सहयुक्त सेवाएं, आवासीय परिसर और अन्य सुख-सुविधाएं या सुविधाएं जो यात्रियों के लिए और किसी राजमार्ग के आस-पास के क्षेत्रों के लिए उपयोगी हों।

## अध्याय 2

राजमार्गों का विकास और प्रचालन

### 3. कतिपय राजमार्गों का राज्य राजमार्ग घोषित किया जाना.-

(1) अनुसूची में सम्मिलित राजमार्गों में से प्रत्येक को इस अधिनियम के अधीन एतद्वारा राज्य राजमार्ग घोषित किया जाता है।

(2) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी भी सड़क को इस अधिनियम के अधीन राज्य राजमार्ग घोषित कर सकेगी और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन पर ऐसा राजमार्ग अनुसूची में सम्मिलित समझा जायेगा।

(3) राज्य सरकार किसी राजमार्ग को ऐसी ही अधिसूचना द्वारा अनुसूची से निकाल सकेगी और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन से ऐसे निकाल दिया गया राजमार्ग इस अधिनियम के अधीन राज्य राजमार्ग नहीं रह जाएगा।

4. राज्य राजमार्गों का राज्य में निहित होना.- (1) सभी राज्य राजमार्ग राज्य सरकार में उनके स्वामी के रूप में निहित होंगे और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसे राजमार्गों के अन्तर्गत निम्नलिखित होंगे:-

- (i) उससे अनुलग्न समस्त भूमि चाहे वे सीमांकित हों या नहीं;
- (ii) समस्त पुल, पुलियाएं, सुरंगें, रपटें, गाडी ले जाने के मार्ग और ऐसे राजमार्गों पर या उनके आर-पार बनी अन्य संरचनाएं हैं,

- (iii) ऐसे राजमार्गों या ऐसे राजमार्गों से अनुलग्न किसी भूमि के समस्त सड़क फर्नीचर, संकेतक, साईन बोर्ड, बाड़े, वृक्ष, खम्बे और सीमा पत्थर हैं; और
- (iv) समस्त मार्गस्थ सुख-सुविधाएं।

(2) राज्य सरकार राज्य राजमार्गों और उनसे जुड़ी भूमियों के अभिलेख का ऐसे तरीके से, जैसाकि इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा विहित किया जाये, संधारण करवायेगी। इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख पर या उससे पूर्व राज्य राजमार्ग को समाहित करने वाली भूमियों का संधारित कोई अभिलेख, इस धारा के प्रयोजन के लिए अभिलेख समझा जायेगा और राज्य सरकार ऐसे राजमार्गों और उनकी भागस्वरूप भूमियों की स्वामी समझी जायेगी।

(3) उप-धारा (2) के अधीन राज्य सरकार को निर्दिष्ट स्वामित्व के विरुद्ध दावा करने वाला कोई व्यक्ति, राज्य सरकार को लिखित शिकायत करेगा और उसके समक्ष अपना दावा साबित करेगा और राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति द्वारा पेश किये गये सबूत पर विचार करने के पश्चात् ऐसे अभिलेखों को सही कर सकेगी या दावे को खारिज कर सकेगी।

**5. भूमि, आदि अर्जित करने की शक्ति.-** (1) जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि लोक प्रयोजन के लिए किसी विद्यमान या नये राजमार्ग, किसी अन्य सड़क, या उसके भाग के विकास के लिए किसी भूमि की आवश्यकता है, वहां वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी भूमि को अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा कर सकेगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना में उस भूमि का संक्षिप्त विवरण दिया जाएगा।

(3) सक्षम प्राधिकारी अधिसूचना का सार विस्तृत परिचालन वाले दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराएगा जिनमें से कम से कम एक हिन्दी भाषा में होगा।

(4) उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी किए जाने पर, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के लिए,-

- (क) अपने कर्मचारों के साथ किसी भूमि पर प्रवेश और कोई निरीक्षण, सर्वेक्षण, माप, मूल्यांकन या जांच करना;



- (ख) तलमापन करना;
- (ग) अवमृदा को खोदना या उसमें बोर करना;
- (घ) सीमाओं और संकर्म का आशयित रेखांकन करना;
- (ङ) ऐसी सीमाओं और रेखांकनों को चिहनांकन लगाकर और खाइयां खोद कर चिह्नित करना; या
- (च) ऐसे अन्य कार्य या बातें करना, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा अधिकथित की जाएं,

विधिपूर्ण होगा:

परन्तु कोई व्यक्ति किसी भवन या किसी घिरे हुए आंगन या निवास-गृह से संलग्न बाग में प्रवेश या खड़ी फसलों या बाड़ के किसी भाग को काटना और साफ करना, अधिभोगी की सहमति के बिना या ऐसा करने के अपने आशय की लिखित सूचना अधिभोगी को चौबीस घण्टे पहले दिये बिना, नहीं करेगा:

परन्तु यह और कि राज्य सरकार ऐसे भवन, भूमि या अन्य संरचनाओं को उसके द्वारा कारित क्षति के लिए अधिभोगी को युक्तियुक्त क्षतिपूर्ति का संदाय करेगा।

(5) उप-धारा (1) के अधीन किसी अधिसूचना के जारी होने पर राज्य सरकार उसमें विनिर्दिष्ट किसी भूमि को स्वामी से करार द्वारा एकमुश्त उपहार द्वारा या क्रय द्वारा या ऐसे करार के विफल होने पर, इस अधिनियम के उपबंधों के सहारे अर्जित कर सकेगी।

**6. आक्षेपों की सुनवाई.-** (1) धारा 5 की उप-धारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना में सम्मिलित किसी भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिवस के भीतर-भीतर उस उप-धारा में उल्लिखित प्रयोजन या प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग पर आक्षेप कर सकेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन प्रत्येक आक्षेप लिखित रूप में सक्षम प्राधिकारी को किया जाएगा और उसमें उस आक्षेप के आधार उपवर्णित होंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को वैयक्तिक रूप से या विधि व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् और ऐसी जांच, यदि कोई हो, करने के

पश्चात् जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, उन आक्षेपों को, आदेश द्वारा, या तो मंजूर करेगा या नामंजूर करेगा।

**स्पष्टीकरण.-** इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, "विधि व्यवसायी" का वही अर्थ है जो अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 25) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (झ) में है।

(3) सक्षम प्राधिकारी द्वारा उप-धारा (2) के अधीन किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

**7. अर्जन की घोषणा.-** (1) जहां धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन कोई आक्षेप सक्षम प्राधिकारी को उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं किया गया है या जहां सक्षम प्राधिकारी ने उस धारा की उप-धारा (2) के अधीन आक्षेप को नामंजूर कर दिया है वहां सक्षम प्राधिकारी तदनुसार राज्य सरकार को एक रिपोर्ट, यथाशक्य शीघ्र, प्रस्तुत करेगा और ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह घोषणा करेगी कि भूमि धारा 5 की उप-धारा (1) में उल्लिखित प्रयोजन या प्रयोजनों के लिए अर्जित की जानी चाहिए।

(2) उप-धारा (1) के अधीन घोषणा के प्रकाशन पर, भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त आत्यंतिक रूप से राज्य सरकार में निहित हो जाएगी।

(3) जहां किसी भूमि की बाबत अधिसूचना उसके अर्जन के लिए धारा 5 की उप-धारा (1) के अधीन प्रकाशित की गई है किन्तु उप-धारा (1) के अधीन कोई घोषणा उस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर प्रकाशित नहीं की गई है, वहां उक्त अधिसूचना का कोई प्रभाव नहीं होगा:

परन्तु धारा 5 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना के प्रचालन के संबंध में वह कालावधि जिसके दौरान किन्हीं लम्बित कार्यवाहियों को न्यायालय के आदेश द्वारा रोक दिया जाता है, उक्त एक वर्ष की अवधि की संगणना करने में अपवर्जित किया जाएगा।

(4) राज्य सरकार द्वारा उप-धारा (1) के अधीन की गई किसी घोषणा को किसी न्यायालय में या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

**8. कब्जा लेने की शक्ति.-** (1) जहां कोई भूमि धारा 7 की उप-धारा (2) के अधीन राज्य सरकार में निहित हो गई है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसी भूमि की बाबत धारा 10 के अधीन अवधारित प्रतिकर की रकम राज्य सरकार द्वारा धारा 13 की उप-धारा (1) के अधीन विहित रीति में सक्षम प्राधिकारी के पास जमा कर दी गई है वहां सक्षम प्राधिकारी, लिखित सूचना द्वारा स्वामी और ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को, जिसका ऐसी भूमि पर कब्जा हो, यह निदेश दे सकेगा कि वह उस भूमि का कब्जा सक्षम प्राधिकारी को या उसके द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति को सूचना की तामील से नब्बे दिवस के भीतर-भीतर अभ्यर्पित या परिदत्त करे।

(2) यदि कोई व्यक्ति उप-धारा (1) के अधीन दिये गए किसी निदेश का अनुपालन करने से इंकार करता है या उसमें विफल रहता है, तो सक्षम प्राधिकारी -

(क) महानगर क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले किसी क्षेत्र में अवस्थित किसी भूमि की दशा में पुलिस आयुक्त को; और  
(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट क्षेत्र से भिन्न किसी अन्य क्षेत्र में अवस्थित किसी भूमि की दशा में, जिला कलक्टर को, आवेदन करेगा और ऐसा आयुक्त या, यथास्थिति, कलक्टर सक्षम प्राधिकारी को या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति को भूमि का अभ्यर्पण प्रवर्तित करायेगा।

**9. सरकार में निहित भूमि में प्रवेश का अधिकार.-** जहां भूमि धारा 7 की उप-धारा (2) के अधीन राज्य सरकार में निहित हो गयी है, तो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के लिए किसी राजमार्ग, किसी अन्य सड़क या उसके किसी भाग के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध या प्रचालन के लिए या उससे संबंधित किसी अन्य कार्य को करने के लिए भूमि में प्रवेश करना और अन्य आवश्यक कार्य करना विधिपूर्ण होगा।

**10. सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिकर का अवधारण.-** (1) जहां इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति से कोई भूमि अर्जित की जाती है, वहाँ ऐसे व्यक्ति को ऐसा प्रतिकर संदत्त किया जायेगा जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जायेगा।

(2) जहां इस अधिनियम के अधीन किसी भूमि पर उपयोग का अधिकार या सुखाधिकार की प्रकृति का कोई अधिकार अर्जित किया जाता है, वहाँ ऐसे व्यक्ति को, जिसका उस भूमि में उपयोग का अधिकार ऐसे अर्जन के कारण किसी भी रूप में प्रभावित हुआ है, उस भूमि के लिए उप-धारा (1) के अधीन अवधारित रकम के दस प्रतिशत के बराबर रकम संदत्त की जाएगी।

(3) उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के अधीन रकम का अवधारण करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी अर्जित की जाने वाली भूमि से हितबद्ध सभी व्यक्तियों से दावे आमंत्रित करते हुए विस्तृत परिचालन रखने वाले दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में, जिसमें से एक हिन्दी भाषा में होगा, सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करायेगा।

(4) उप-धारा (3) के अधीन सूचना में भूमि की विशिष्टियों का विवरण होगा और ऐसी भूमि में हितबद्ध सभी व्यक्तियों से वैयक्तिक रूप से या अभिकर्ता द्वारा या धारा 6 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट विधि व्यवसायी द्वारा या सक्षम प्राधिकारी के समक्ष, ऐसे अभिहित समय और स्थान पर उपसंजात होने की और ऐसी भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति का विवरण दिये जाने की अपेक्षा की जायेगी।

(5) हितबद्ध व्यक्तियों को सुनने और अभिलेख पर की सामग्री पर विचार करने पर, सक्षम प्राधिकारी, धारा 5 की उप-धारा (3) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के भीतर-भीतर इस धारा के अधीन, आदेश द्वारा अधिनिर्णय देगा और यदि उस कालावधि के भीतर-भीतर अधिनिर्णय नहीं दिया जाता है तो उस बढी हुई कालावधि, जो एक वर्ष से अधिक नहीं होगी, के भीतर-भीतर अधिनिर्णय दे सकेगा:

परन्तु जहां बढी हुई कालावधि के भीतर कोई अधिनिर्णय दिया जाता है तो, उस बढी हुई कालावधि के लिए, उस हकदार व्यक्ति को अधिनिर्णय के मूल्य पर बढी हुई कालावधि के प्रत्येक मास के लिए सवा प्रतिशत की दर से संदाय किया जायेगा।

**11. मध्यस्थ द्वारा प्रतिकर का अवधारण.-** (1) यदि धारा 10 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवधारित रकम किसी भी पक्ष के लिए स्वीकार्य नहीं है तो ऐसी रकम, किसी भी पक्ष के आवेदन पर, राज्य

सरकार द्वारा उन व्यक्तियों, जो जिला और सत्र न्यायाधीश रहे हों, में से नियुक्त मध्यस्थ द्वारा, ऐसी रीति से और ऐसे निबंधनों पर जैसे कि नियमों द्वारा विहित किये जाएं, अवधारित किया जाएगा।

(2) इस अधिनियम में उपबन्धित के सिवाय, माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 26) के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक माध्यस्थम् को लागू होंगे।

**12. प्रतिकर के रूप में संदेय रकम का अवधारणा.-** (1) धारा 10 या, यथास्थिति, धारा 11 के अधीन भूमि के बाजार मूल्य का अवधारणा और निर्धारण करते समय सक्षम प्राधिकारी या मध्यस्थ भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 26 में विनिर्दिष्ट मानदंडों को अपनाएगा।

(2) अर्जित भूमि का बाजार मूल्य अवधारित करने पर सक्षम प्राधिकारी, भूमि के स्वामी को जिसकी भूमि से जुड़ी सभी आस्तियों को सम्मिलित करते हुए, भूमि अर्जित की गयी है, संदेय प्रतिकर की कुल रकम की संगणना करेगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन अर्जित किसी भूमि के लिए अधिनिर्णीत की जाने वाली प्रतिकर की रकम के अवधारण में सक्षम प्राधिकारी, भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 28 में विनिर्दिष्ट मानदण्डों और कारकों को ध्यान में रखेगा।

(4) अर्जित की जाने वाली भूमि या भवन से भूबद्ध भवन, अन्य स्थावर सम्पत्ति, आस्तियों, वृक्षों और पौधों या खड़ी फसलों के नुकसान के बाजार मूल्य के अवधारण में कलक्टर, भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 29 में यथा विनिर्दिष्ट विशेषज्ञों या अनुभवी व्यक्तियों की सेवाओं का उपयोग कर सकेगा।

(5) संदत्त किये जाने वाले कुल प्रतिकर का अवधारण करने पर सक्षम प्राधिकारी, अंतिम अधिनिर्णय पर पहुंचने के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 30 के उपबन्धों के अनुसरण में प्रतिकर की रकम अधिरोपित करेगा।

**13. रकम जमा और संदत्त किया जाना.-** (1) धारा 12 के अधीन अवधारित रकम भूमि का कब्जा लेने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा

सक्षम प्राधिकारी के पास ऐसी रीति से जमा करायी जायेगी जो इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा विहित की जाये।

(2) उप-धारा (1) के अधीन रकम जमा कर दिये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, सक्षम प्राधिकारी हकदार व्यक्ति या व्यक्तियों को राज्य सरकार की ओर से, रकम संदत्त करेगा।

(3) जहां उप-धारा (1) के अधीन जमा की गयी रकम में कई व्यक्ति हितबद्ध होने का दावा करते हैं, वहां सक्षम प्राधिकारी उन व्यक्तियों का अवधारण करेगा, जो उसकी राय में, उनमें से प्रत्येक को संदेय रकम प्राप्त करने के हकदार हैं।

(4) यदि रकम या उसके किसी भाग के प्रभाजन के बारे में या किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसको उक्त रकम या उसका कोई भाग संदेय है, कोई विवाद उत्पन्न होता है तो सक्षम प्राधिकारी उस विवाद की वास्तविक अधिकारिता वाले उस प्रधान सिविल न्यायालय को, जिसकी अधिकारिता की सीमाओं के भीतर वह भूमि अवस्थित है, विनिश्चय के लिए निर्देशित करेगा।

(5) जहां मध्यस्थ द्वारा धारा 11 के अधीन अवधारित रकम सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवधारित रकम से अधिक है, वहां मध्यस्थ ऐसी अतिरिक्त रकम पर धारा 8 के अधीन कब्जा लेने की तारीख से उस रकम के वस्तुतः जमा किये जाने की तारीख तक नौ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज अधिनिर्णीत कर सकेगा।

(6) मध्यस्थ द्वारा अवधारित रकम सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवधारित रकम, ब्याज सहित, यदि कोई है, से अधिक है तो राज्य सरकार ऐसी रीति से जो उस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए, सक्षम प्राधिकारी के पास जमा की जाएगी और ऐसे जमा पर उप-धारा (2) से (4) के उपबंध लागू होंगे।

**14. सक्षम प्राधिकारी को सिविल न्यायालय की कतिपय शक्तियां होना.-** सक्षम प्राधिकारी को, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में, वे सभी शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 5) के

अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को होती है, अर्थात्:-

- (क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;
- (ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा करना;
- (ग) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य लेना;
- (घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख की अपेक्षा करना; और
- (ङ) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना।

**15. पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय.-** सभी प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का अधिनिर्णय, भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 की धाराओं 31 से 42, सपठित द्वितीय अनुसूची और तृतीय अनुसूची के उपबन्धों के अनुसार अवधारित किया जायेगा।

**16. राजमार्गों का विकास और प्रचालन.-** (1) राज्य सरकार सभी राज्य राजमार्गों का विकास और प्रचालन करेगी; किन्तु, तथापि, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निदिष्ट किया जा सकेगा कि किसी राजमार्ग के विकास और प्रचालन से सम्बन्धित कोई कार्य, ऐसी शर्तों, यदि कोई हों, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, के अध्यधीन होगा, और राज्य सरकार द्वारा विहित ऐसे नियमों के अनुसरण में, प्राधिकरण द्वारा या राज्य सरकार या प्राधिकरण के अधीनस्थ प्राधिकारी या किसी अधिकारी द्वारा या प्राधिकरण द्वारा प्रयोक्तव्य होंगी।

(2) राज्य सरकार निम्नलिखित के लिए और के संबंध में बनाये गये नियमों के द्वारा राजमार्गों के प्रचालन को विनियमित कर सकेगी-

- (क) राजमार्गों का निरीक्षण और रख-रखाव;
- (ख) उपयोग करने वालों की सुरक्षा;
- (ग) सड़क सुरक्षा मानक और प्रक्रियाएं;
- (घ) राजमार्गों पर बाधाओं की रोकथाम की रीति;
- (ङ) राजमार्गों पर वाहनों की पार्किंग या ठहराव को प्रतिषिद्ध करने की रीति, इस प्रयोजन के लिए चिह्नित स्थानों के सिवाय;

- (च) राजमार्गों के किसी भाग पर पहुंच को प्रतिषिद्ध या निर्बंधित करने की रीति;
- (छ) राजमार्गों पर और उसके आस-पास विज्ञापनों को निर्बंधित या विनियमित करने की रीति; और
- (ज) सामान्यतः राजमार्गों के दक्षतापूर्ण और उपयुक्त प्रचालन के लिए ।

**17. प्राधिकरण को निर्देश जारी करने की शक्ति.-** राज्य सरकार, प्राधिकरण को इस अधिनियम के उपबन्धों या किसी नियम, अधिसूचना या तदधीन किए गए आदेश को क्रियान्वित करने के लिए, या राज्य सरकार के कर्तव्यों या कार्यों के निर्वहन के लिए या इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए निदेश दे सकेगी, और प्राधिकरण ऐसे निदेशों का तुरन्त अनुपालन करेगा।

**18. राजमार्गों पर दी गयी प्रसुविधाओं या सेवाओं के लिए फीस.-**

(1) कोई वाहन, राज्य सरकार द्वारा विहित रीति या उप-धारा (2) के अधीन उदगृहीत फीस के संदाय के बिना या इसके अनुसरण में किसी भी छूट सहित, किसी राजमार्ग पर प्रवेश या उसका उपयोग नहीं करेगा, और वाहन के मालिक या अधिभोगी का यह कर्तव्य होगा कि ऐसी फीस, राज्य सरकार द्वारा विहित प्ररूप और रीति में, निविदत्त करे।

(2) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घाटों (फेरी), स्थायी पुलों, अस्थायी पुलों या सुरंगों के उपयोग को सम्मिलित करते हुए राजमार्गों या उसके किसी भाग के उपयोग के सम्बन्ध में दी गयी प्रसुविधाओं या सेवाओं के लिए ऐसी दरों पर फीस उदगृहीत कर सकेगी, जो इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा अधिकथित की जायें।

(3) ऐसी फीस जब इस प्रकार उदगृहीत की जायेगी तो इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार संगृहीत की जायेगी और कोई व्यक्ति जो फीस के संग्रहण का किसी भी रीति से परिवर्जन या अपवंचन करता है वह, इस अधिनियम के किन्हीं भी अन्य उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे व्यक्ति द्वारा संदेय फीस के एक तिहाई के बराबर जुर्माने के संदाय का दायी होगा।



(4) राजमार्ग के उपयोग के सम्बन्ध में दी गई प्रसुविधाओं या सेवाओं के लिए, इस अधिनियम के प्रारम्भ के तुरन्त पूर्व उद्ग्रहणीय कोई फीस, इस अधिनियम के अधीन निरन्तर उद्ग्रहणीय होगी, जब तक कि उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में इसे परिवर्तित न कर दिया जाये।

(5) राज्य सरकार रक्षा, सुरक्षा, विधि और व्यवस्था, अग्निशमन, अपराधों की रोकथाम, चिकित्सीय आपात संकटों या ऐसे अन्य लोक प्रयोजनों में लगे हुए वाहनों को, जैसाकि यह विहित करे, इस धारा के अधीन फीस के संदाय से छूट प्रदान कर सकेगी।

**19. राजमार्गों के विकास और प्रचालन के लिए करार.-** (1) इस अधिनियम में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, राज्य सरकार या, यथास्थिति, प्राधिकरण सम्पूर्ण राजमार्ग या उसके किसी भाग के विकास और प्रचालन के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति के साथ करार कर सकेगी और ऐसा करार, जहां आवश्यक समझा जाये, ऐसे राजमार्ग के आस-पास की मार्ग की सुख-सुविधाओं, बस्तियों, उपनगरों या औद्योगिक कॉरीडोरों के विकास के लिए शर्तों और निबंधनों को सम्मिलित कर सकेगा:

परन्तु ऐसे व्यक्ति के सिवाय, जो खुली प्रतियोगी बोली की प्रक्रिया के माध्यम से, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित शर्तों पर चयनित किया गया हो, ऐसा कोई करार नहीं किया जायेगा:

परन्तु यह और कि बस्तियों, उपनगरों और औद्योगिक कॉरीडोरों का विकास, लागू विधियों के अनुरूप किया जायेगा।

(2) धारा 18 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उप-धारा (1) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, ऐसी रीति से और ऐसी दरों पर, जो धारा 18 के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित की जाएं और उप-धारा (1) में निर्दिष्ट करार की शर्तों के अनुसरण में हो, फीस के संग्रहण और प्रतिधारण का हकदार होगा।

(3) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को, अपने कर्मचारी सहित जिसे ऐसे व्यक्ति द्वारा या राज्य सरकार द्वारा या प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है, राजमार्ग पर, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार यातायात का विनियमन और नियन्त्रण करने, और उसके सुरक्षित और क्रमवार प्रचालन और प्रबंधन के लिए, उप-धारा

(1) में निर्दिष्ट करार की विषय वस्तु का स्वरूप बनाने की शक्तियां होंगी।

(4) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के उपबन्धों और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में किसी राजमार्ग का भाग बनाने के लिए भूमि या सम्पत्ति का उपयोग कर सकेगा, या उपयोग होने के कारणवश, उप-अनुज्ञप्ति दे सकेगा, मानो ऐसा व्यक्ति, राज्य सरकार या, यथास्थिति, प्राधिकरण हो किन्तु सदैव उप-धारा (1) में निर्दिष्ट करार के उपबन्धों के अधीन होगा।

### अध्याय 3

राजमार्गों से अनुलग्न नियन्त्रण जोन

**20. नियन्त्रण जोन में भूमि पर निर्बंधन.-** (1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, उस भूमि का जो राजमार्ग से अनुलग्न क्षेत्र में समाविष्ट किसी नियन्त्रण जोन के भीतर आती हो और जो ऐसे राजमार्ग की सीमा के मध्य अवस्थित हो और ऐसी सीमा से एक सौ मीटर की दूरी पर हो, का उपयोग नहीं करेगा और किसी प्राधिकरण को उपयोग करने की अनुज्ञा नहीं देगा, सिवाय कृषि, बागबानी, पशु-पालन या वनरोपण के प्रयोजनों के लिए, जो प्रयोजन भवनों या स्थायी संरचना के निर्माण को सम्मिलित नहीं करेगा:

परन्तु इस धारा के उपबंध, उपरोक्त निर्दिष्ट एक सौ मीटर की बजाय, राजमार्ग के किसी भाग की सीमा से, जहां राजमार्ग का ऐसा भाग, किसी ग्रामीण आबादी या किसी कस्बे की नगरपालिक सीमाओं में अवस्थित हो, पंद्रह मीटर की दूरी के अन्दर, लागू करेंगे:

परन्तु यह और कि राज्य सरकार, किसी भी समय राजमार्ग या किसी मार्ग की सुख-सुविधाओं के विकास और विस्तार के लिए इस अधिनियम के अधीन, किसी भी या सभी भूमि और भवनों को नियन्त्रण जोन का भाग बनाने के लिए अर्जित कर सकेगी:

परन्तु यह भी कि किसी भूमि या किसी भवन या उस पर किसी संरचना के उपयोग पर, या इस अधिनियम के प्रारम्भ पर विधिपूर्ण अस्तित्व में रहने वाली किसी भूमि, या किसी भवन या उस पर किसी संरचना के उपयोग पर, या इस अधिनियम के प्रारम्भ पर विधिपूर्ण अस्तित्व में आने वाली किसी भूमि, या किसी भवन या उस पर किसी संरचना के ऐसे उपयोग के विस्तार को, या जहां इसकी लम्बाई, चौड़ाई ओर ऊंचाई को समाविष्ट करते हुए भवन रेखा में कोई परिवर्तन किए बिना, ऐसे भवन या संरचना में मरम्मत, सुधार या उपान्तरण हो रहा हो, वहां इसके अधीन नियन्त्रण जोन पर निर्बंधन लागू नहीं होंगे:

परन्तु यह भी कि किसी राजमार्ग की चौड़ाई और सीमा रेखा के संबंध में संदेह या विवाद की दशा में, ऐसी चौड़ाई और सीमा रेखा का अवधारण ऐसे राजमार्ग के उस निकटतम भाग के प्रतिनिर्देश से किया

हुआ समझा जायेगा जिस पर उसकी चौड़ाई और सीमा रेखा के संबंध में कोई संदेह या विवाद न हो:

परन्तु यह भी कि इस अधिनियम के प्रारम्भ पर अनुसूची में सम्मिलित प्रत्येक राजमार्ग के लिए नियंत्रण जोन उस तारीख के प्रतिनिर्देश से अवधारित किया जायेगा जिस तारीख को अधिनियम प्रवृत्त होता है, और धारा 3 की उप-धारा (2) के अधीन अधिसूचना द्वारा अनुसूची में सम्मिलित किसी राजमार्ग के संबंध में उसके नियंत्रण जोन का अवधारण, ऐसी अधिसूचना की तारीख के प्रतिनिर्देश से किया जायेगा और किसी राजमार्ग की सीमा के पश्चात्त्वर्ती विस्तार से नियंत्रण जोन में परिवर्तन नहीं होगा।

(2) राज्य सरकार, इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा, उप-धारा (1) में निर्दिष्ट भूमियों के किसी वर्ग, प्रवर्ग या अवस्थिति के उपयोग को, ऐसे प्रयोजनों के लिए और फीस के संदाय सहित ऐसी शर्तों के अधीन, जो विहित की जायें, प्राधिकृत कर सकेगी।

**21. नियन्त्रण जोन में निर्माण पर प्रतिषेध.-** (1) इस अधिनियम के अधीन सामान्य या विशेष अनुमति के अनुसरण के सिवाय, कोई व्यक्ति नियन्त्रण जोन में अवस्थित किसी भूमि पर,-

- (i) किसी राजमार्ग को या से पहुंच मार्ग के लिए निर्माण, स्वरूप या अभिन्यास;
- (ii) किसी भवन का परिनिर्माण;
- (iii) किसी विद्यमान भवन में उसकी ऊंचाई, लम्बाई या चौड़ाई, यथास्थिति, बढ़ाकर तात्त्विक रूप से परिवर्तन;
- (iv) कोई उत्खनन करना या विस्तार करना; या
- (v) किसी कार्य का निर्माण या अभिन्यास;

नहीं करेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जो नियंत्रण जोन के भीतर किसी भवन या अन्य संकर्म का संनिर्माण करने का प्रस्ताव करता है, राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को ऐसे प्ररूप में और भवन निर्माण, परिवर्तन, उत्खनन, संकर्म या, यथास्थिति, पहुंच के साधन, जिससे आवेदन संबंधित है, के बारे में ऐसी सूचना, जो विहित की जाये, अन्तर्विष्ट करते हुए, लिखित आवेदन करेगा।

(3) उप-धारा (2) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह ठीक समझे, लिखित आदेश द्वारा, या तो-

(क) ऐसी शर्तों, यदि कोई हों, के अध्याधीन रहते हुए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जायें, अनुज्ञा मंजूर करेगा; या

(ख) ऐसी अनुज्ञा मंजूर करने से इन्कार करेगा:

परन्तु-

- (i) किसी भूमि में मरम्मत, नवीकरण, वृद्धि या किसी भूमिगत मलनाली, नाली, विद्युत लाईन, पाईप, नलिका या अन्य साधित्र की मरम्मत, नवीकरण, विस्तार या रख-रखाव के प्रयोजन के लिए भूमि में कोई उत्खनन, संनिर्माण, निर्माण करने या संकर्म का अभिन्यास करने के लिए उप-धारा (3) के अधीन अपेक्षित अनुज्ञा रोकी नहीं जायेगी किन्तु ऐसी शर्तों के अध्याधीन रहते हुए, जो ऐसी नाली, निकास, विद्युत लाईन, पाईप, नलिका या अन्य साधित्रों की सुरक्षा के लिए आवश्यक हों, मंजूर की जा सकेगी और ऐसी रीति में और ऐसे स्तरों पर बिछायी जायेगी कि इसके द्वारा किसी सड़क का संनिर्माण, विकास या रख-रखाव प्रतिकूलतः प्रभावित न हो;
- (ii) किसी भवन के परिनिर्माण या पुनःपरिनिर्माण या परिवर्तन के लिए या कोई भी उत्खनन करने या उसका विस्तार करने के लिए उप-धारा (3) के अधीन ऐसी अनुज्ञा जो सुरक्षा और पार्श्व की सड़क पर यातायात की सुविधा की अपेक्षाओं के अनुरूप हों, न तो रोकी जायेगी, न अनुचित शर्तों के अध्याधीन की जायेगी;
- (iii) निम्नलिखित कार्यों के लिए कोई अनुज्ञा आवश्यक नहीं होगी, अर्थात्:-
  - (क) कृषि;
  - (ख) बागवानी;

- (ग) मत्स्य पालन;
- (घ) चारागाह;
- (ङ) मुर्गी पालन;
- (च) दुग्धशाला; या
- (छ) कुओं, ट्यूबवेल और बोरवेल का संनिर्माण।

(4) जब उप-धारा (3) के अधीन अनुज्ञा देने से इन्कार कर दिया जाये तो उसके कारण अभिलिखित किये जायेंगे और आवेदक को संसूचित किये जायेंगे:

परन्तु उसमें अंतर्विष्ट कोई बात किसी व्यक्ति को, ऐसे आवेदन में से आपत्तिकारक बातें हटा देने के पश्चात् दूसरा आवेदन करने से विवर्जित नहीं करेगी।

(5) उप-धारा (2) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, उस आवेदन का तीन मास की कालावधि के भीतर-भीतर निस्तारण करेगा।

(6) राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, इस धारा के अधीन अपने द्वारा दी गयी या इन्कार की गयी समस्त अनुज्ञाओं का पर्याप्त विशिष्टियों सहित एक रजिस्टर रखे और ऐसा रजिस्टर, हितबद्ध समस्त व्यक्तियों द्वारा निःशुल्क निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा और ऐसे व्यक्ति उसमें से उद्धरण लेने के हकदार होंगे।

**22. कतिपय संकर्मों के लिए छूट.-** अधिनियम के अध्याय 3 के अधीन निर्बंधन, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व, या जहां ऐसे संकर्म ऐसे प्रारम्भ को या उसके पश्चात् राज्य सरकार की सहमति से हाथ में लिये गये हों, वहां, राजमार्ग को समाविष्ट करते हुए किसी भूमि में या उस पर, किसी मलनाली, नाली, विद्युत लाईन, पाईप, नलिका या अन्य साधित्र की मरम्मत, नवीकरण, विस्तार या रख-रखाव के लिए आवश्यक किसी उत्खनन या संकर्म को लागू नहीं होंगे।

**23. टूटे हुए भवन का पुनःनिर्माण.-** यदि कोई भवन या उसका कोई भाग नियंत्रण जोन के भीतर अवस्थित हो और इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व परिनिर्मित हुआ हो, या तो पूर्णतः या अधिकांशतः नीचे

गिरा दिया गया हो या जल गया हो या गिर गया हो, तब ऐसा भवन या उसका भाग केवल इस अधिनियम के अनुसार पुनर्निर्मित किया जायेगा।

**24. नियंत्रण जोन में पहुंच का विनियमन.-** राज्य सरकार, यातायात की सुरक्षा और सरल संचालन के हितों में यदि आवश्यक समझे तो, व्यापक रूप से परिचालित दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में, जिसमें कम से कम एक हिन्दी भाषा में हो, प्रकाशित की जाने वाली अधिसूचना द्वारा, नियंत्रण जोन में से होकर राजमार्ग तक की पहुंच के किसी भी विद्यमान अधिकार को विनियमित कर सकेगी या अपयोजित कर सकेगी:

परन्तु पहुंच के विद्यमान किसी भी अधिकार को तब तक अपयोजित नहीं किया जायेगा जब तक कि युक्तियुक्त दूरी के भीतर-भीतर वैकल्पिक पहुंच नहीं दे दी गयी हो।

**25. भूमि के उपयोग में परिवर्तन पर निर्बंधन.-** (1) नियंत्रण जोन के भीतर-भीतर अवस्थित कोई भी कृषि भूमि, राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना और राज्य सरकार के किन्हीं सामान्य या विशेष अनुदेशों के अधीन रहते हुए, गैर-कृषिक प्रयोजनों के लिए अपयोजित या संपरिवर्तित नहीं की जायेगी।

(2) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसी किसी भूमि के संबंध में, जो नियंत्रण जोन का भाग हो और राजमार्ग की सीमा से पच्चीस मीटर की दूरी के भीतर अवस्थित हो, भूमि उपयोग में परिवर्तन के लिए या कृषि भूमि के गैर-कृषिक प्रयोजनों के लिए अपयोजन के लिए कोई अनुज्ञा मंजूर नहीं की जायेगी, सिवाय ऐसी अनुज्ञा के, जो मार्गस्थ सुख-सुविधाओं के संनिर्माण के लिए इस अधिनियम के अधीन मंजूर की जाये:

परन्तु इस धारा के अधीन निर्बंधन नगरपालिक सीमा के भीतर-भीतर अवस्थित नियंत्रण जोन पर लागू नहीं होगा।

**26. नियंत्रण जोन में सुधार प्रभार का उद्ग्रहण.-** धारा 25 के अधीन भूमि में परिवर्तन की कोई अनुज्ञा, लागू विधियों के अनुसार और राज्य सरकार या, यथास्थिति, प्राधिकरण को, धारा 12 की उप-धारा (4) या उप-धारा (5) के उपबंधों के अनुसार अवधारित की जाने वाली भूमि

के बाजार मूल्य की रकम के बराबर सुधार प्रभारों के संदाय के अध्याधीन रहते हुए, मंजूर की जायेगी।

**27. अप्राधिकृत संनिर्माण को हटाना.-** इस अधिनियम के अध्याय 3 के उपबंधों के उल्लंघन में किये गये किसी संनिर्माण, संकर्म या उत्खनन, धारा 42 के अधीन इस प्रकार हटाये जाने के दायित्वाधीन होंगे मानों कि वह राजमार्ग का अप्राधिकृत अधिभोग हो और इस प्रकार दण्डनीय होगा मानो कि वह इस अधिनियम की धारा 77 के उपबंधों के अधीन कोई अपराध है।

#### अध्याय 4

##### राजमार्ग तक पहुंच पर नियंत्रण

**28. राजमार्ग के उपयोग पर निर्बंधन.-** (1) कोई भी व्यक्ति या यान किसी राजमार्ग में इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों द्वारा प्राधिकृत के सिवाय प्रविष्ट नहीं होगा या उपयोग नहीं करेगा।

(2) कोई भी पैदल यात्री किसी राजमार्ग पर किसी भी क्षेत्र या जोन के सिवाय, जो विशेष रूप से इस प्रयोजन के लिए चिह्नित किया गया है, प्रविष्ट नहीं होगा या नहीं चलेगा।

(3) किसी साईकिल या किसी मोटरयुक्त यान को सम्मिलित करते हुए, गैर-मोटर चालित यान जो किसी राजमार्ग, जो ऐसी सड़क न हो जिसमें गाड़ी ले जाने की चौड़ाई दस मीटर से कम हो के लिए विनिर्दिष्ट अधिकतम गति प्राप्त नहीं कर सकते, किसी ऐसे यानों के लिए चिह्नित किसी लेन, यदि कोई हो, उपयोग के विस्तार तक के सिवाय, उस राजमार्ग में प्रविष्ट नहीं होगा या उसका उपयोग नहीं करेगा। तथापि, राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसी रीति से, ऐसे विस्तार तक और ऐसी कालावधि के लिए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाये, ऐसी पहुंच को अनुज्ञात या प्राधिकृत कर सकेगी।

(4) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अपने कृत्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करने में राजमार्ग का उपयोग करने वाला व्यक्ति या यान इस अधिनियम के अधीन उस राजमार्ग का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत समझा जायेगा। तथापि, इसमें अन्तर्विष्ट कोई भी बात ऐसे



व्यक्ति या यान को, धारा 18 के उपबंधों के अनुसार फीस संदत्त करने की उसकी बाध्यता से अवमुक्त नहीं करेगा।

**29. राजमार्ग पर पहुंच पर निर्बंधन.-** (1) कोई व्यक्ति, राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा मंजूर की गयी अनुज्ञा के सिवाय और ऐसी शर्तों के अध्यक्षीन रहते हुए, जो उस अनुज्ञा में विनिर्दिष्ट की जायें, किसी राजमार्ग को किसी सड़क या रास्ते से नहीं जोड़ेगा।

(2) किसी व्यक्ति को किसी राजमार्ग पर, या तो किसी यान द्वारा या पैदल, पांच या अधिक व्यक्तियों के समूह में पहुंचने का अधिकार नहीं होगा, सिवाय तब के जबकि इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार या जैसाकि राज्य सरकार द्वारा या तो साधारणतया या विनिर्दिष्टतया धारा 30 में विनिर्दिष्ट रीति से अनुज्ञात कर दिया गया हो।

(3) उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के अधीन राजमार्ग पर पहुंच, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों और अनुदेशों के अध्यक्षीन रहते हुए होगी।

(4) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी राजमार्ग या उसके किसी भाग को समाविष्ट करने वाले द्रुत मार्ग को ऐसी अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट रीति से पहुंच के लिए परिसीमित घोषित कर सकेगी और ऐसे राजमार्ग से या उसके आर-पार ऐसी पहुंच पर उक्त अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट कोई निर्बंधन या नियंत्रण भी अधिरोपित कर सकेगी।

**30. राजमार्ग पर पहुंच की अनुज्ञा के लिए प्रक्रिया.-** (1) धारा 29 की उप-धारा (2) के अधीन साधारण अनुज्ञा, इसके निबंधनों और शर्तों को सम्मिलित करते हुए, ऐसे प्रयोजन के लिए राजपत्र में अधिसूचना जारी करके दी जायेगी और उस उप-धारा के अधीन विनिर्दिष्ट अनुज्ञा, इस धारा के अधीन इसमें इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट रीति से दी जायेगी।

(2) उप-धारा (1) में उल्लिखित विनिर्दिष्ट अनुज्ञा अभिप्राप्त करने का इच्छुक कोई व्यक्ति, राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को विहित प्ररूप में आवेदन कर

सकेगा जिसमें उस पहुंच के साधन विनिर्दिष्ट होंगे, जिससे ऐसी अनुज्ञा संबंधित है और उसके साथ ऐसी फीस होगी जो विहित की जाये और राज्य सरकार या ऐसा अधिकारी, आवेदन पर विचार करने के पश्चात्, जैसा वह ठीक समझे, या तो उन निबंधनों और शर्तों के साथ या उनके बिना जो विहित की जाये, अनुज्ञा दे सकेगा या आवेदन को नामंजूर कर सकेगा।

(3) उस दशा में, जहां उप-धारा (2) के अधीन किये गये आवेदन के संबंध में अनुज्ञा दी गयी है, वह व्यक्ति जिसे ऐसी अनुज्ञा दी गई है, राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी से विहित प्ररूप में अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करेगा जिसमें वे निबंधन और शर्तें, यदि कोई हों, वर्णित होंगी जिनके अधीन रहते हुए ऐसी अनुज्ञा दी गई है, और ऐसी अनुज्ञा, ऐसी अवधि के पश्चात्, और ऐसी रीति से जो विहित की जाये, नवीकृत की जायेगी।

(4) यदि कोई व्यक्ति, धारा 29 की उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करता है या ऐसे किन्हीं निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण करता है जिनके अधीन रहते हुए उप-धारा (2) के अधीन अनुज्ञा दी गई है, जिसमें उप-धारा (3) के अधीन अभिप्राप्त अनुज्ञप्ति का नवीकरण न किया जाना भी सम्मिलित है, तो, यथास्थिति, उप-धारा (1) या उप-धारा (3) के अधीन अनुज्ञा के अधीन राजमार्ग पर अप्राधिकृत पहुंच समझा जायेगा और राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को ऐसी पहुंच को वहां से हटाने की शक्ति होगी और जहां आवश्यक हो, राज्य सरकार या ऐसा अधिकारी उसे वहां से हटाने के लिए पुलिस की सहायता से आवश्यक बल का प्रयोग कर सकेगा।

**31. पहुंच आदि का विनियमन या विचलन.-** (1) धारा 30 की उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के अधीन दी गयी किसी अनुज्ञा के होते हुए भी, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को यातायात की सुरक्षा और सुविधा के हित में राजमार्ग पर किसी प्रस्तावित या विद्यमान पहुंच के लिए इंकार करने, उसे विनियमित करने या अपयोजित करने की शक्ति होगी।

(2) जहां किसी विद्यमान पहुंच का अपयोजन किया जाता है, वहां उसके बदले में दी गयी आनुकल्पिक पहुंच, विद्यमान पहुंच से अनुचित रूप से दूर नहीं होगी।

### अध्याय 5

#### यातायात का विनियमन

**32. यातायात को विनियमित करने की शक्ति.-** (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) के अध्याय 8 के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी के पास राजमार्ग पर यानों के उचित प्रबंध के लिए उनके चलाने को विनियमित और नियंत्रित करने की शक्ति होगी।

(2) यदि किसी समय राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी का, उसे प्राप्त सूचना के आधार पर या अन्यथा, यह समाधान हो जाता है कि उसकी अधिकारिता के भीतर कोई राजमार्ग या उसका भाग नुकसान के कारण या अन्यथा यानों के या पैदल यातायात के लिए भीड़ वाला है या हो गया है या असुरक्षित है या हो गया है तो वह, उक्त राजमार्ग या उसके उस भाग को सभी यातायात या यातायात के किसी वर्ग के लिए या तो बंद कर सकेगा या, यथास्थिति, उक्त राजमार्ग या उसके उस भाग पर उपयोग किये जाने वाले यानों की संख्या और गति को ऐसी रीति से विनियमित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।

**33. कतिपय राजमार्गों पर भारी यानों के उपयोग का प्रतिषेध.-** जहां राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि राजमार्ग का भूतल या उसका कोई भाग अथवा उस राजमार्ग पर या उसके आर-पार बना हुआ कोई पुल, पुलिया, उपसेतु ऐसे यानों को ले जाने के लिए परिकल्पित नहीं किया गया है, जिन पर लदा हुआ भार विहित सीमा से अधिक है, तो वह, इस निमित्त बनाये गये नियमों के अध्यक्षीन रहते हुए, ऐसे यानों का उक्त राजमार्ग या उस राजमार्ग के भाग पर या, उस पुल, पुलिया या यथास्थिति, उपसेतु पर चलाया जाना प्रतिषिद्ध कर सकेगा या उसे निर्बंधित कर सकेगा।

**34. राजमार्ग पर यातायात का अस्थायी रूप से बंद किया जाना.-** जहां, धारा 32 या धारा 33 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते

हुए, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी, उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए यह उचित समझता है कि किसी राजमार्ग या उसके किसी भाग को अस्थायी रूप से बंद कर देना चाहिए या उस राजमार्ग या उसके उस भाग पर यातायात को निर्बंधित या नियंत्रित करना चाहिए तो वह ऐसा, ऐसी रीति से कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।

**35. राजमार्ग का स्थायी रूप से बंद किया जाना.-** (1) जहां धारा 32 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी, राजमार्ग की सुरक्षा के हित में किसी राजमार्ग या उसके किसी भाग को बंद करना आवश्यक समझता है, वहां वह, जनता को अपने ऐसा करने के आशय की सूचना राजपत्र में अधिसूचना द्वारा देगा, जिसमें वह समय विनिर्दिष्ट किया जायेगा जिसके भीतर प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर, उप-धारा (3) के अधीन विचार किया जायेगा और ऐसी सूचना के अतिरिक्त, वह ऐसी सूचना की अंतर्वस्तु को कम से कम दो राज्य स्तरीय समाचारपत्रों में, जिनमें से एक हिन्दी भाषा में होगा और दूसरा उस क्षेत्र में परिचालित किया जाने वाला समाचारपत्र होगा, भी अधिसूचित करेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन सूचना में बंद किये जाने के लिए आशयित राजमार्ग या उसके भाग के बदले में व्यवस्था किये जाने के लिए प्रस्तावित आनुकल्पिक मार्ग उपदर्शित होगा, जिसमें यह भी विनिर्दिष्ट होगा कि क्या ऐसा आनुकल्पिक मार्ग, पहले से विद्यमान राजमार्ग है या वह नया सन्निर्मित किया जायेगा और ऐसे प्रस्ताव से प्रभावित व्यक्तियों से उस सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर आक्षेप और सुझाव भी आमंत्रित किए जायेंगे जो उस सूचना में विनिर्दिष्ट अधिकारी को संबोधित होंगे।

(3) राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, उक्त सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्राप्त आक्षेपों और सुझावों, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात् सूचना के अधीन बंद किये जाने के प्रस्ताव पर विनिश्चय करेगा और ऐसे विनिश्चय के अनुसार कार्य करेगा।

**36. यानों के उपयोग को निर्बंधित करने की शक्ति.-** यदि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी का यह

समाधान हो जाता है कि लोक सुरक्षा या सुविधा के हित में अथवा किसी सड़क या पुल की प्रकृति के कारण ऐसा करना आवश्यक है तो वह, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे अपवादों या शर्तों के अधीन रहते हुए, जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, किसी राजमार्ग या उसके भाग के, यातायात के किसी वर्ग या वर्गों के लिए साधारणतया या ऐसे विनिर्दिष्ट अवसर या समय पर, उपभोग को जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये, प्रतिषेध या निर्बंधित कर सकेगा और जब ऐसा प्रतिषेध या निर्बंधन अधिरोपित किया जाये तो राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, यातायात की सुविधा के लिए उपयुक्त स्थानों पर यातायात चिह्नों को जो विहित किए जायें, लगायेगा या परिनिर्मित करेगा:

परंतु जहां इस धारा के अधीन कोई प्रतिषेध या निर्बंधन एक मास या उससे कम अवधि के लिए हो, वहां ऐसा प्रतिषेध या निर्बंधन, राजपत्र में अधिसूचना जारी किये बिना, अधिरोपित किया जा सकेगा:

परंतु यह और कि पहले परंतुक के अधीन अधिरोपित प्रतिषेध या निर्बंधन, उपयोक्ताओं की जानकारी के लिए अन्य संभव साधनों द्वारा व्यापक रूप से प्रचारित किया जायेगा।

### 37. राजमार्ग के नुकसान का निवारण और उसकी मरम्मत.- (1)

ऐसा व्यक्ति, जिसके प्रभार या कब्जे में कोई यान या पशु है, जानबूझकर या उपेक्षापूर्वक, किसी राजमार्ग को कोई नुकसान कारित नहीं करेगा या ऐसे यान या पशु को कारित नहीं करने देगा।

(2) जहां उप-धारा (1) के उल्लंघन में, किसी राजमार्ग को कोई नुकसान कारित किया गया है, राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, राज्य सरकार के व्यय पर ऐसे नुकसान की मरम्मत करायेगा और ऐसे व्यय साथ ही उनका पन्द्रह प्रतिशत अतिरिक्त प्रभार के रूप में, किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभार के रूप में, किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो उस व्यक्ति के विरुद्ध की जाये जिसने उप-धारा (1) का इस प्रकार उल्लंघन किया है, उससे धारा 43 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार वसूल करेगा जैसेकि ऐसे व्यय और अतिरिक्त प्रभार उस धारा के अधीन वसूलीय व्यय और अतिरिक्त प्रभार है।

38. यानों या पशुओं को खतरनाक स्थिति में छोड़ने पर प्रतिषेध.- (1) किसी यान या पशु का प्रभारी, या उसका कब्जा रखने

वाला कोई व्यक्ति ऐसे यान या पशु को किसी राजमार्ग पर खड़े होने या अग्रसर होने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा जब तक कि वह ऐसी सुरक्षा या अन्य नियंत्रण के अधीन न हो जो विहित किया जाये।

(2) जहां उप-धारा (1) के उल्लंघन में राजमार्ग पर कोई बाधा कारित की जाती है, ऐसी बाधा कारित करने वाले यान या पशु को, इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुकर्षित किया जायेगा और इस प्रकार अनुकर्षित यान या पशु ऐसे अधिकारी द्वारा कब्जे में लिया जायेगा और उन्हें उनके स्वामी को, ऐसे हटाये जाने में ऐसे अधिकारी द्वारा उपगत खर्चों के संदाय पर सौंप दिया जायेगा और ऐसे अधिकारी द्वारा अधिरोपित जुर्माने का, जो एक हजार रुपये से कम का नहीं होगा और पांच हजार रुपये से अधिक नहीं होगा, दायी होगा।

(3) उस दशा में जहां उप-धारा (2) के अधीन कब्जे में लिये गये यान या पशु के संबंध में व्ययों और जुर्माने का उस उप-धारा के अधीन संदाय नहीं किया गया है, इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी ऐसे यान या पशु का नीलाम द्वारा विक्रय करेगा और नीलाम के आगम राज्य सरकार की संपत्ति होंगे।

(4) कोई व्यक्ति, जिसका राजमार्ग भूमि पर अप्राधिकृत अधिभोग है, इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा, अप्राधिकृत अधिभोग को हटाने के लिए धारा 42 में विनिर्दिष्ट रीति में सरसरी तौर से बेदखल किया जाये और ऐसे अधिकारी द्वारा अधिरोपित जुर्माने का, जो उसके द्वारा अप्राधिकृत दखल में की भूमि के दो हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर से कम का नहीं होगा किन्तु राजमार्ग के पार्श्वस्थ निजी भूमि के दाम तक हो सकता है।

**39. राजमार्ग भूमि पर संनिर्माण.-** (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति राज्य सरकार या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की लिखित में पूर्व अनुज्ञा के अनुसार के सिवाय राजमार्ग या किसी राजमार्ग के आरपार, नीचे या ऊपर किसी भी पोल, खम्भे, विज्ञापन टावर, ट्रांसफार्मर, केबल वायर, पाईप, अपवाहिका, मलनाली, कैनाल, रेल पटरी, ट्राम पटरी, दूरभाष बक्से, रिपीटर स्टेशन, मार्ग, पथ या किसी

प्रकार के रास्ते का संनिर्माण, को स्थापित, स्थानांतरित, की मरम्मत, को परिवर्तित या वहन नहीं करेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जो उप-धारा (1) के अधीन अनुज्ञा प्राप्त करने का आशय रखता है, इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को विहित प्ररूप में उसमें राजमार्ग के अधिभोग का प्रयोजन और कालावधि, दखल किये जाने वाले राजमार्ग की अवस्थिति और भाग, संकर्म के निष्पादन की रीति, संनिर्माण की कालावधि और राजमार्ग के ऐसे भाग के प्रत्यावर्तन की रीति अंतर्विष्ट करके आवेदन करेगा।

(3) इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, उप-धारा (1) के अधीन किये गये राजमार्ग आवेदन पर विचार करेगा और यदि यह समाधान हो जाता है कि कोई विकल्प, जहां राजमार्ग, जिसके संबंध में आवेदन के अधीन अनुज्ञा चाही गयी है, से भिन्न स्थल पर लोक उपयोगिता को अवस्थित करने के लिए भूमि खोजी जा सके, नहीं है, वह लिखित में अनुज्ञा, जैसी कि आवेदन में चाही गयी है, दे सकेगा:

परन्तु ऐसी अनुज्ञा देते समय ऐसा अधिकारी-

(i) राजमार्ग को नुकसान से;

(ii) राजमार्ग पर यातायात को बाधित होने से संरक्षित करने के लिए ऐसी शर्तें, जो वह उचित समझे, अधिरोपित कर सकेगा और उस व्यक्ति पर, जिसे अनुज्ञा के अधीन प्रस्तावित संकर्म या संनिर्माण के लिए दखल की गयी या उपयोग में ली गयी राजमार्ग के भागरूप कोई भूमि के संबंध में ऐसी अनुज्ञा दी गयी है, ऐसी फीस और अन्य प्रभार, जो विहित किये जायें, भी अधिरोपित कर सकेगा और ऐसे व्यक्ति पर, अनुज्ञा के अधीन किसी संरचना, वस्तु या उपस्कर के बिछाने या स्थानांतरित किये जाने से राजमार्ग को कारित किसी नुकसान की मरम्मत के लिए राज्य सरकार या ऐसे अधिकारी द्वारा उपगत व्यय, यदि कोई हो, भी अधिरोपित करेगा।

(4) यदि कोई व्यक्ति, उप-धारा (1) के उल्लंघन में, कोई संनिर्माण या कोई अन्य संकर्म करता है, तो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, राजमार्ग से ऐसे संनिर्माण या अन्य संकर्म को राज्य सरकार के व्यय पर हटवायेगा और राजमार्ग को उस स्थिति में प्रत्यावर्तित करेगा जिसमें वह उप-धारा (3) के अधीन ऐसे संनिर्माण या

अन्य संकर्म के लिए अनुज्ञा देने के ठीक पूर्व थी और ऐसे व्यक्ति से ऐसे संनिर्माण या अन्य संकर्म द्वारा कारित नुकसान की प्रकृति पर विचार करके ऐसे अधिकारी द्वारा अधिरोपित ऐसा व्यय साथ ही उसका पन्द्रह प्रतिशत अतिरिक्त प्रभारों के रूप में और जुर्माना, जो ऐसे संनिर्माण या अन्य संकर्म के लिए उपयोग में ली गयी भूमि के दो हजार रूपये प्रति वर्गमीटर से कम नहीं होगा किन्तु पार्श्वस्थ निजी भूमि के दाम से अधिक नहीं होगा, धारा 43 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार वसूल किया जायेगा जैसे कि ऐसे व्यय, अतिरिक्त प्रभार और जुर्माना उस धारा के अधीन वसूलीय व्यय, अतिरिक्त प्रभार और जुर्माना थे।

### अध्याय 6

#### अप्राधिकृत अधिभोग का निवारण

**40. राजमार्ग भूमि के अधिभोग पर निर्बंधन.-** (1) कोई भी व्यक्ति, इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी से लिखित में पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी राजमार्ग भूमि का अधिभोग या पर अधिक्रमण या ऐसी भूमि पर अपवाहिका के माध्यम से किसी सामग्री का निस्सारण नहीं करेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी, इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किये गये आवेदन पर और सुविधा को ध्यान में रखते हुए ऐसे व्यक्ति को-

(i) उसके स्वामित्व के किसी भवन के सम्मुख राजमार्ग पर जंगम संरचना को रखने या ऐसे भवन के सहारे पर या राजमार्ग के ऊपर जंगम संरचना बनाने के लिए, या

(ii) राजमार्ग पर अस्थायी लॉन लगाने या टेंट या अन्य समरूप संनिर्माण या अस्थायी स्टाल या पाइ डालने के लिए या

(iii) किसी राजमार्ग पर विक्रय के लिए निर्माण सामग्री, माल या अन्य वस्तुएँ जमा करने या करवाने के लिए, या

(iv) पार्श्वस्थ भवनों पर किन्हीं मरम्मत या सुधार करवाने हेतु अस्थाई उत्खनन के लिए अनुज्ञा प्रदान कर सकेगा, और ऐसी अनुज्ञा शर्तों के अधीन और किराये तथा अन्य प्रभारों के संदाय पर ऐसे प्ररूप में जो विहित किया जाये, अनुज्ञापत्र जारी करके प्रदान की जायेगी:



परन्तु ऐसी कोई अनुज्ञा उस तारीख से, जिसको अनुज्ञा प्रदान की जाती है, एक समय पर एक माह की कालावधि से आगे के लिए विधिमान्य नहीं होगी जब तक कि, ऐसे व्यक्ति द्वारा अनुज्ञा के नवीकरण के लिए किये गये आवेदन पर ऐसे अधिकारी द्वारा उसका नवीनकरण न किया जाये।

(3) उप-धारा (2) के अधीन प्रदान की गयी अनुज्ञा उसमें- (i) वह समय जब तक के लिए अनुज्ञा दी गयी है; (ii) ऐसी अनुज्ञा का प्रयोजन; (iii) राजमार्ग का वह भाग जिसके संबंध में अनुज्ञा प्रदान की गयी है, विनिर्दिष्ट करेगी और राजमार्ग के ऐसे भाग के प्लान या रेखाचित्र के साथ होगी।

(4) वह व्यक्ति, जिसे उप-धारा (2) के अधीन अनुज्ञापत्र जारी किया गया है, जब कभी भी राज्य सरकार के किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण करने के लिए कहा जाये, निरीक्षण के लिए अनुज्ञापत्र प्रस्तुत करेगा और ऐसे अनुज्ञापत्र के अधीन प्रदान की गयी अनुज्ञा की समाप्ति पर अनुज्ञापत्र में विनिर्दिष्ट राजमार्ग के भाग की, ऐसी स्थिति में जिसमें वह ऐसे अनुज्ञापत्र जारी करने के ठीक पूर्व में था, प्रत्यावर्तित करेगा और ऐसे भाग का कब्जा उस अधिकारी को परिदत्त करेगा जिसने ऐसा अनुज्ञापत्र जारी किया था।

(5) उप-धारा (2) के अधीन अनुज्ञापत्र जारी करने वाला अधिकारी, जारी किये गये ऐसे समस्त अनुज्ञापत्रों का संपूर्ण अभिलेख रखेगा और प्रत्येक मामले में, उस कालावधि की समाप्ति पर, जिस तक उस उप-धारा के अधीन अनुज्ञापत्र के अधीन अनुज्ञा प्रदान की गयी है, यह भी सुनिश्चित करेगा कि राजमार्ग के उस भाग का कब्जा, जिसके संबंध में ऐसी अनुज्ञा दी गयी थी, ऐसे अधिकारी को परिदत्त कर दिया गया है।

(6) जहां इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की यह राय है कि यातायात सुरक्षा या सुविधा के हित में उप-धारा (2) के अधीन जारी कोई अनुज्ञापत्र रद्द किया जाना आवश्यक है, तो वह ऐसा करने के कारणों को लिखित में अभिलिखित करने के पश्चात् ऐसे अनुज्ञापत्र को रद्द कर सकेगा और उस पर वह व्यक्ति, जिसे अनुज्ञा प्रदान की गयी थी, ऐसे अधिकारी द्वारा किये गये किसी आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर अनुज्ञापत्र में विनिर्दिष्ट राजमार्ग के भाग को, ऐसी स्थिति जिसमें वह ऐसे अनुज्ञापत्र के जारी होने के ठीक पूर्व था,

प्रत्यावर्तित करेगा और ऐसे अधिकारी को ऐसे भाग का कब्जा परिदत्त करेगा और यदि वह व्यक्ति ऐसी कालावधि के भीतर ऐसा कब्जा परिदत्त करने में विफल रहता है तो उसे इस धारा और धारा 43 के प्रयोजनों के लिए राजमार्ग भूमि के अप्राधिकृत अधिभोग में समझा जायेगा।

**41. अस्थायी प्रयोग के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करना.-** राज्य सरकार या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी यातायात की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए और ऐसी शर्तों के अधीन जो विहित की जायें और विहित किराये या अन्य प्रभारों के संदाय पर किसी व्यक्ति को अस्थायी प्रयोग के लिए राजमार्ग भूमि का पट्टा या की अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकेगा:

परन्तु ऐसा कोई पट्टा उस तारीख से, जिसको ऐसा पट्टा प्रदान किया गया था, एक समय पर पांच वर्ष से अधिक की कालावधि के लिए विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि राज्य सरकार या ऐसे अधिकारी द्वारा उसका नवीकरण न किया जाये।

**42. अप्राधिकृत अधिभोग का हटाया जाना.-** (1) जब, राजमार्ग भूमि के कालिक निरीक्षण के परिणामस्वरूप या अन्यथा, इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि राजमार्ग भूमि पर कोई अप्राधिकृत अधिभोग या अतिक्रमण हुआ है, ऐसा अधिकारी ऐसे अप्राधिकृत अधिभोग या अतिक्रमण करने वाले या उसके लिए उत्तरदायी व्यक्ति पर नोटिस में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर ऐसे अप्राधिकृत अधिभोग या अतिक्रमण को हटाने और ऐसी राजमार्ग भूमि को उसकी वास्तविक स्थिति में, जैसाकि वह अप्राधिकृत अधिभोग या अतिक्रमण के पूर्व थी, प्रत्यावर्तित करने की उससे अपेक्षा करते हुए नोटिस तामील करेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन नोटिस में, राजमार्ग भूमि जिसके संबंध में नोटिस जारी किया गया है, कालावधि जिसके भीतर अप्राधिकृत अधिभोग हटाया जाना अपेक्षित है, कोई अभ्यावेदन, यदि कोई हो, जो वह व्यक्ति, जिसे नोटिस संबोधित किया गया, नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कर सकता है, की सुनवाई का स्थान और समय तथा ऐसे नोटिस की पालना करने में विफलता नोटिस में विनिर्दिष्ट व्यक्ति

को, उप-धारा (5) के अधीन शास्ति, और उस राजमार्ग भूमि से, जिसके संबंध में नोटिस जारी किया गया है, सरसरी तौर से बेदखली का दायी बना देगा, विनिर्दिष्ट करेगा।

(3) उप-धारा (1) के अधीन नोटिस की तामील, उसकी एक प्रति उस व्यक्ति को जिसे ऐसा नोटिस संबोधित किया गया है या उसके अभिकर्ता या उसकी ओर से अन्य व्यक्ति को परिदत्त करके या उस व्यक्ति को, जिसे ऐसा नोटिस संबोधित है, रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा की जायेगी और ऐसे व्यक्ति या उसकी ओर से उसके अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होनी तात्पर्यित अभिस्वीकृति या डाक कर्मचारी द्वारा पृष्ठांकन कि ऐसे व्यक्ति या उसकी ओर से उसके अभिकर्ता या ऐसे अन्य व्यक्ति ने परिदान लेने से इंकार कर दिया है, तामील का प्रथमदृष्ट्या सबूत समझा जायेगा।

(4) जहां नोटिस की तामील उप-धारा (3) के अधीन उपबंधित रीति में नहीं की गयी है, नोटिस की अंतर्वस्तु, उन व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिन्हें नोटिस संबोधित किया गया है, राज्य स्तरीय समाचार पत्र में विज्ञापित की जायेगी और ऐसा विज्ञापन ऐसे व्यक्ति पर तामील समझा जायेगा।

(5) जहां उप-धारा (1) के अधीन नोटिस की तामील उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अधीन की गयी है और राजमार्ग पर अप्राधिकृत अधिभोग, जिसके संबंध में नोटिस तामील किया गया है, विनिर्दिष्ट समय के भीतर हटाया नहीं गया है और अप्राधिकृत अधिभोग को इस प्रकार नहीं हटाने के लिए इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष कोई युक्तियुक्त कारण दर्शित नहीं किया गया है, ऐसा अधिकारी राज्य सरकार के व्यय पर ऐसे अप्राधिकृत अधिभोग को हटवायेगा और उस व्यक्ति पर, जिसे नोटिस संबोधित किया गया है, शास्ति अधिरोपित करेगा जो ऐसे अप्राधिकृत दखल में की भूमि के दो हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर होगी और जहां इस प्रकार अधिरोपित शास्ति ऐसी भूमि के दाम के कम है, शास्ति को ऐसे दाम के बराबर बढ़ाया जा सकेगा।

(6) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को इस धारा के अधीन

नोटिस जारी किये बिना राजमार्ग भूमि पर अप्राधिकृत अधिभोग को हटाने की शक्ति होगी, यदि ऐसा अप्राधिकृत उपयोग-

(क) किसी माल या वस्तु-

(i) खुली हवा में; या

(ii) अस्थायी प्रकृति की किसी अन्य दुकान के माध्यम से प्रदर्शित करने,

(ख) संनिर्माण या परिनिर्माण, चाहे अस्थायी हो या स्थायी, या

(ग) अतिचार या अन्य अप्राधिकृत अधिभोग जिसे किसी मशीन या अन्य समरूप आवृत्ति के प्रयोग के बिना सुगमता से हटाया जा सकता है, की प्रकृति का है,

और ऐसे अधिभोग को हटाने में ऐसा अधिकारी, ऐसे हटाये जाने के लिए आवश्यक उचित बल के प्रयोग द्वारा ऐसे अधिभोग को हटाने के लिए पुलिस सहायता, यदि आवश्यक हो, ले सकता है।

(7) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, यदि इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की यह राय है कि राजमार्ग भूमि पर कोई अप्राधिकृत अधिभोग ऐसी प्रकृति का है कि उसे तुरंत हटाया जाना-

(क) राजमार्ग पर यातायात की सुरक्षा; या

(ख) राजमार्ग पर भागरूप किसी संरचना की सुरक्षा के हित में आवश्यक है,

और इस धारा के अधीन ऐसे अप्राधिकृत अधिभोग के लिए उत्तरदायी व्यक्ति पर, उसकी अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण के लिए असम्यक् विलम्ब के बिना कोई नोटिस तामील नहीं किया जा सकता है, ऐसा अधिकारी ऐसे अप्राधिकृत अधिभोग को उप-धारा (6) में विनिर्दिष्ट रीति में हटवा सकेगा।

(8) इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के पास इस धारा या, यथास्थिति धारा 43 के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित मामलों के संबंध में, अर्थात्:-

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना और शपथ पर उसका परीक्षण करना;

(ख) दस्तावेजों का प्रकटीकरण और उन्हें पेश करने की अपेक्षा करना;

(ग) साक्षियों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी करना; और

(घ) कोई अन्य मामले जो विहित किये जाएं,

वही शक्तियां होंगी जो वाद के विचारण के समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 5) के अधीन सिविल न्यायालय में निहित हैं और ऐसे अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही को, भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) की धारा 193 और 228 के अर्थ के अंतर्गत, और धारा 196 के प्रयोजन के लिए न्यायिक कार्यवाही समझा जायेगा और ऐसे अधिकारी को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जायेगा।

#### 43. अप्राधिकृत अधिभोग को हटाने के व्यय की वसूली.- (1)

जहां इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी ने किसी अप्राधिकृत अधिभोग को हटाया है या अप्राधिकृत अधिभोग के संबंध में संनिर्माण के परिवर्तन सहित कोई संनिर्माण किया है या धारा 37 की उप-धारा (2) के अधीन किसी नुकसान की मरम्मत की है, ऐसे हटाये जाने या मरम्मत में उपगत व्यय साथ ही इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित पन्द्रह प्रतिशत अतिरिक्त प्रभार या कोई जुर्माना इस धारा में इसके पश्चात् उपबंधित रीति में वसूलीय होगा।

(2) इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी विहित प्ररूप में, उसमें उप-धारा (1) के अधीन वसूलीय व्यय, अतिरिक्त प्रभार या जुर्माने उपदर्शित करके बिल की एक प्रति उस व्यक्ति पर, जिससे ऐसा व्यय, अतिरिक्त प्रभार या जुर्माना वसूलीय है, तामील करेगा और नोटिस की तामील से संबंधित धारा 42 के उपबंध इस उप-धारा के अधीन बिल की प्रति के तामील के लिए ऐसे लागू होंगे जैसे कि उस धारा में शब्द "नोटिस" के लिए शब्द "बिल" प्रतिस्थापित किया गया है।

(3) उप-धारा (2) में निर्दिष्ट बिल की प्रति के साथ, इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न होगा और बिल में उपदर्शित रकम इस बात का निश्चयक सबूत होगा कि

ऐसी रकम, उप-धारा (1) में निर्दिष्ट समस्त या किन्हीं प्रयोजनों के लिए वास्तविक रूप से उपगत व्यय है, जैसाकि बिल में उपदर्शित है।

(4) जहां इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी ने कोई अप्राधिकृत अधिभोग हटाया है या किसी अप्राधिकृत अधिभोग के संबंध में संनिर्माण के परिवर्तन सहित कोई संनिर्माण किया है या धारा 37 की उप-धारा (2) के अधीन किसी नुकसान की मरम्मत की है तो ऐसे हटाये जाने, संनिर्माण, परिवर्तन या मरम्मत के परिणामस्वरूप बरामद सामग्री, यदि कोई हो, उप-धारा (2) के अधीन उनके संबंध में तामील किये गये, बिल के संदाय तक राज्य सरकार या ऐसे अधिकारी के कब्जे में प्रतिधारित की जायेगी और ऐसे बिल के संदाय पर ऐसी सामग्री उसके हकदार को लौटा दी जायेगी किन्तु बिल में संदाय के लिए विनिर्दिष्ट समय के भीतर ऐसे संदाय में विफलता के मामले में, राज्य सरकार या ऐसे अधिकारी द्वारा सामग्री का नीलाम द्वारा विक्रय किया जा सकेगा और नीलाम के आगमों में से बिल के अधीन संदेय रकम को काटने के पश्चात् अतिशेष, यदि कोई हो, उसके हकदार व्यक्ति को लौटा दिया जायेगा।

(5) जहां उप-धारा (4) के अधीन नीलाम के आगम उस उप-धारा में निर्दिष्ट बिल के अधीन वसूलीय रकम से कम हैं, ऐसे आगमों और इस प्रकार वसूलीय रकम के बीच अंतर या जहां ऐसा कोई नीलाम नहीं किया गया है, बिल के अधीन वसूलीय रकम, बिल में विनिर्दिष्ट समय के भीतर संदाय के विफलता के मामले में, भू राजस्व के बकाया के रूप में वसूलीय होगी।

## अध्याय 7

### राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण

**44. प्राधिकरण का गठन.-** (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसी तारीख से जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे, एक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा जिसका नाम राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण होगा।

(2) यह प्राधिकरण पूर्वोक्त नाम का, शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाला, एक निगमित निकाय होगा जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जंगम और स्थावर, दोनों प्रकार की सम्पत्ति

का अर्जन, धारण तथा व्ययन करने की और संविदा करने की शक्ति होगी और उक्त नाम से यह वाद ला सकेगा और इस पर वाद लाया जा सकेगा।

(3) प्राधिकरण में निम्नलिखित होंगे-

(क) अध्यक्ष;

(ख) चार पूर्णकालिक सदस्य जिनमें से प्रत्येक सदस्य-

(i) वित्त,

(ii) सुरक्षा और तकनीक,

(iii) संकर्म संविदा और प्रचालन, और

(iv) रियायतों और लोक निजी भागीदारियों का प्रभारी-सदस्य होगा; और

(ग) राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त किये जाने वाले छह अंश-कालिक सदस्य, जिनमें से प्रत्येक शासन सचिव से अनिम्न रैंक का नहीं होगा, क्रमशः वित्त विभाग, योजना विभाग और परिवहन विभाग का नामनिर्देशिती होगा और प्रत्येक-

(i) वित्त और बैंकिंग,

(ii) सड़कों में प्रौद्योगिकी और अनुसंधान, और

(iii) न्यायापालिका या विधि के क्षेत्र से विख्यात व्यक्ति होगा।

(4) अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य निम्नलिखित से मिलकर बनी खोज और चयन समिति की सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियुक्त किये जायेंगे-

(क) मुख्य सचिव - अध्यक्ष;

(ख) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रमुख शासन सचिव - सदस्य;

(ग) सार्वजनिक निर्माण विभाग का प्रभारी सचिव - सदस्य;

(घ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का अध्यक्ष - सदस्य; और

(ङ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला अनुसंधान, तकनीकी या प्रबंध संस्थान का प्रमुख - सदस्य।

**45. सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें.-** सदस्यों की पदावधि सामान्यतया पांच वर्ष होगी और उनकी सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जायें:

परन्तु बासठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जायेगा या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् ऐसी हैसियत में सेवा नहीं करेगा:

परन्तु यह और कि राज्य सरकार, अपने विवेकाधिकार से, अध्यक्ष को सम्मिलित करते हुए किसी सदस्य की पदावधि, तीन मास का नोटिस देकर या उसके बदले वेतन और भत्ते देकर किसी भी समय समाप्त कर सकेगी।

**46. सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए निरर्हताएं-** कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए निरर्हित होगा यदि वह,-

- (क) ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है और कारावास से दंडादिष्ट दिया गया है जिसमें, राज्य सरकार की राय में, नैतिक अधमता अंतर्गस्त है; या
- (ख) अनुन्मोचित दिवालिया है; या
- (ग) विकृत चित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया गया है; या
- (घ) राज्य सरकार की या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम की सेवा से हटा दिया गया है या पदच्युत कर दिया गया है; या
- (ङ) राज्य सरकार की राय में, प्राधिकरण में ऐसा वित्तीय या अन्य हित रखता है जिसका उसके सदस्य के रूप में उसके द्वारा कृत्यों के निर्वहन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

**47. पुनर्नियुक्ति के लिए सदस्य की पात्रता.-** सेवा के ऐसे अन्य निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी विहित की जाएं, कोई व्यक्ति, जो सदस्य नहीं रह गया है, ऐसे सदस्य के रूप में पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा, यदि उसने पुनर्नियुक्ति की तारीख को चौंसठ वर्ष की आयु प्राप्त न कर ली हो।

**48. बैठकें.-** (1) प्राधिकरण की बैठकें ऐसे समय और स्थान पर होंगी और उन बैठकों में किये जाने वाले कार्य के बारे में, जिसके



अन्तर्गत ऐसी बैठकों में गणपूर्ति भी है, प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन किया जायेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें।

(2) यदि किसी कारण से अध्यक्ष प्राधिकरण की किसी बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है तो, उस बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया कोई अन्य सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(3) ऐसे सभी प्रश्न जो प्राधिकरण की किसी बैठक के समक्ष आएँ, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से विनिश्चित किये जायेंगे, और मतों के बराबर होने की दशा में अध्यक्ष का, अथवा उसकी अनुपस्थिति में पीठासीन व्यक्ति का, दूसरा या निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा।

**49. प्राधिकरण में रिक्ति से कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना.-** प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही, केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी, कि-

- (क) प्राधिकरण में कोई रिक्ति है या उनके गठन में कोई त्रुटि है; या
- (ख) प्राधिकरण के सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है; या
- (ग) प्राधिकरण द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है, जो मामले के गुणागुण को प्रभावित करती है।

**50. प्राधिकरण द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन.-** प्राधिकरण साधारण या विशेष लिखित आदेश द्वारा प्राधिकरण के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य या किसी अधिकारी को ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के, यदि कोई हों, अधीन रहते हुए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएँ, इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों और कृत्यों (धारा 103 के अधीन शक्तियों को छोड़कर) का प्रत्यायोजन, जिन्हें प्रत्यायोजित करना वह आवश्यक समझे, कर सकेगा।

**51. प्राधिकरण के आदेशों और अन्य लिखतों का अधिप्रमाणन.-** प्राधिकरण के सभी आदेश, विनिश्चय और अन्य लिखतें अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य या प्राधिकरण के किसी अधिकारी के हस्ताक्षर से

अधिप्रमाणित की जायेंगी जिसे प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो।

**52. प्राधिकरण के अधिकारियों, परामर्शदाताओं और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति.-** (1) प्राधिकरण अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनार्थ, उतने अधिकारी और अन्य कर्मचारी जो वह आवश्यक समझता है, और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाएं, नियुक्त करेगा।

(2) प्राधिकरण, समय-समय पर, किसी व्यक्ति को सलाहकार या परामर्शी के रूप में, जैसा वह आवश्यक समझे, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाएं, नियुक्त कर सकेगा।

**53. किसी राजमार्ग के विकास और प्रचालन से प्राधिकरण को निर्निहित करने की राज्य सरकार की शक्ति.-** (1) यदि किसी समय राज्य सरकार की यह राय है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह, आदेश द्वारा, प्राधिकरण को निर्देश दे सकेगी कि वह किसी राजमार्ग या उसके किसी भाग का विकास, अनुरक्षण या प्रबंध उस तारीख से और ऐसी अवधि के लिए और ऐसे व्यक्ति को, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, सौंप दे और प्राधिकरण ऐसे निदेश का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा।

(2) जहां किसी राजमार्ग या उसके किसी भाग का विकास या प्रचालन उप-धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति को (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् प्राधिकृत व्यक्ति कहा गया है), सौंपा जाता है, वहां प्राधिकरण ऐसे राजमार्ग या उसके किसी भाग के संबंध में इस अधिनियम के अधीन अपनी किन्हीं भी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन नहीं करेगा और प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन ऐसे अनुदेशों के, यदि कोई हों, अनुसार किया जाएगा, जो राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को समय-समय पर दिये जायें:

परन्तु प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना ऐसी किसी शक्ति का प्रयोग या कृत्यों का निर्वहन नहीं किया जाएगा जिसे राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करे।

(3) राज्य सरकार, यदि वह ठीक समझे तो, उप-धारा (1) में वर्णित कालावधि कम कर सकेगी या बढ़ा सकेगी।

(4) उप-धारा (1) के अधीन किये गये आदेश के प्रवर्तन के दौरान राज्य सरकार इस बात के लिए सक्षम होगी कि वह प्राधिकरण को समय-समय पर ऐसे निदेश दे जो उस राजमार्ग या उसके किसी भाग के संबंध में, जिसका प्रचालन प्राधिकृत व्यक्ति को सौंपा गया है, उस प्राधिकृत व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण की शक्तियों का प्रयोग करने और कृत्यों का निर्वहन करने में समर्थ बनाने के लिए और विशिष्टतया राजमार्ग या उसके किसी भाग के प्रचालन में के लिए प्राधिकरण की निधि से कोई धनराशि उस प्राधिकृत व्यक्ति को अंतरित करने के लिए, आवश्यक हो और प्राधिकरण ऐसे प्रत्येक निदेश का अनुपालन करेगा।

(5) किसी राजमार्ग या उसके किसी भाग के संबंध में उप-धारा (1) के अधीन किये गये किसी आदेश के प्रवर्तन की समाप्ति पर, प्राधिकृत व्यक्ति ऐसे राजमार्ग या उसके किसी भाग के संबंध में इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन नहीं करेगा और प्राधिकरण इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऐसी शक्तियों और कृत्यों का निर्वहन करता रहेगा।

(6) किसी राजमार्ग या उसके किसी भाग के संबंध में उप-धारा (1) के अधीन किये गये किसी आदेश के प्रवर्तन की समाप्ति पर, प्राधिकृत व्यक्ति ऐसे राजमार्ग या उसके किसी भाग के संचालन के संबंध में उसके पास शेष रही कोई सम्पत्ति (जिसमें कोई धनराशि या अन्य आस्ति सम्मिलित है) प्राधिकरण को सौंप देगा।

**54. प्राधिकरण को अतिष्ठित करने की राज्य सरकार की शक्ति.-** (1) यदि किसी समय, राज्य सरकार की यह राय है कि-

(क) प्राधिकरण ने राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन जारी किये गए किसी निदेश के अनुपालन में या इस अधिनियम के उपबन्धों द्वारा या उनके अधीन उस पर अधिरोपित कृत्यों और कर्तव्यों के निर्वहन में बार-बार व्यतिक्रम किया है; या

(ख) ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

तो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अधिक से अधिक एक वर्ष की इतनी अवधि के लिए, जितनी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, प्राधिकरण को अतिष्ठित कर सकेगी:

परन्तु खण्ड (ख) में वर्णित कारणों से इस उप-धारा के अधीन कोई अधिसूचना जारी करने से पूर्व, राज्य सरकार, प्राधिकरण को यह दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर देगी कि उसे क्यों न अतिष्ठित कर दिया जाये और वह प्राधिकरण के स्पष्टीकरण और आपत्तियों पर, यदि कोई हों, विचार करेगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन प्राधिकरण को अतिष्ठित करने वाली अधिसूचना के प्रकाशन पर,-

(क) सभी सदस्य, अतिष्ठन की तारीख से, उस रूप में अपने पद रिक्त कर देंगे;

(ख) उन सभी शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों का, जिनका प्रयोग या निर्वहन इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से किया जा सकता है, प्रयोग या निर्वहन, जब तक उप-धारा (3) के अधीन प्राधिकरण का पुनर्गठन नहीं कर दिया जाता, तब तक ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जैसाकि राज्य सरकार निदेश दे, किया जायेगा; और

(ग) जब तक उप-धारा (3) के अधीन प्राधिकरण का पुनर्गठन नहीं कर दिया जाता, तब तक के लिए प्राधिकरण के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन सभी संपत्ति राज्य सरकार में निहित होगी।

(3) उप-धारा (1) के अधीन जारी की गयी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अतिष्ठन की कालावधि की समाप्ति पर राज्य सरकार-

(क) अतिष्ठन की अवधि को इतनी और अवधि के लिए जितनी वह आवश्यक समझे, जो एक वर्ष से अधिक नहीं होगी, बढ़ा सकेगी; या

(ख) नई नियुक्ति द्वारा प्राधिकरण का पुनर्गठन कर सकेगी और ऐसी दशा में, वे व्यक्ति जिन्होंने उप-धारा (2) के खण्ड (क) के अधीन अपने पदों को रिक्त किया था, नियुक्ति के लिए निरहित नहीं समझे जायेंगे:

परन्तु राज्य सरकार, उप-धारा (1) के अधीन मूलतः विनिर्दिष्ट अथवा इस उप-धारा के अधीन बढ़ाई गई अतिष्ठन की कालावधि की समाप्ति के पूर्व किसी भी समय इस उप-धारा के खंड (ख) के अधीन कार्रवाई कर सकेगी।

(4) राज्य सरकार उप-धारा (1) या उप-धारा (3) के अधीन जारी की गयी अधिसूचना को और इस धारा के अधीन की गई किसी कार्रवाई की तथा उन परिस्थितियों की, जिनके कारण ऐसी कार्रवाई की गई थी, पूरी रिपोर्ट यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान-मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी।

### अध्याय 8

प्राधिकरण की सम्पत्ति और संविदाएं

**55. प्राधिकरण में किसी राजमार्ग को निहित करने या उसे सौंपने की राज्य सरकार की शक्ति.-** राज्य सरकार, समय-समय पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे राजमार्ग या उसके किसी भाग को, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये, प्राधिकरण में निहित कर सकेगी या उसे सौंप सकेगी।

**56. राज्य सरकार की आस्तियों और दायित्वों का प्राधिकरण को अंतरण.-** (1) धारा 55 के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को और से,-

(क) ऐसी तारीख से ठीक पहले, उस धारा के अधीन प्राधिकरण में निहित या उसे सौंपे गये किसी राजमार्ग या उसके किसी भाग के प्रयोजनों के लिए या उसके संबंध में राज्य सरकार द्वारा, उसकी ओर से, उसके साथ या उसके लिए उपगत सभी ऋण, बाध्यताएं और दायित्व, की गयी सभी संविदाएं और किये जाने के

लिए वचनबद्ध सभी मामले और बातें उस प्राधिकरण के द्वारा, उसके साथ या उसके लिए उपगत की गयी या किए जाने के लिए वचनबद्ध समझी जायेंगी;

- (ख) प्राधिकरण में इस प्रकार निहित या उसे सौंपे गये किसी राजमार्ग या उसके किसी भाग के प्रयोजनों के लिए या उसके संबंध में राज्य सरकार द्वारा या उसके लिए, उस तारीख तक उपगत और पूंजीगत व्यय के रूप में घोषित सभी अनावर्ती व्यय ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुये, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकरण को उपलब्ध कराई गई पूंजी समझी जायेगी;
- (ग) प्राधिकरण में इस प्रकार निहित या उसे सौंपे गये किसी राजमार्ग या उसके भाग के संबंध में उस तारीख से ठीक पहले राज्य सरकार को देय सभी धनराशियां प्राधिकरण को देय समझी जायेंगी; और
- (घ) ऐसे सभी वाद और अन्य विधिक कार्रवाहियां जो ऐसे राजमार्ग या उसके किसी भाग के संबंध में किसी मामले की बाबत उस तारीख से ठीक पहले राज्य सरकार के द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित की गई हों या संस्थित की जा सकती थीं, प्राधिकरण द्वारा उसके विरुद्ध चालू रखी या संस्थित की जा सकेंगी।

(2) यदि कोई ऐसा विवाद उद्भूत होता है कि राज्य सरकार की आस्तियों, अधिकारों या दायित्वों में से कौन से प्राधिकरण को अंतरित कर दिये गये हैं, तो ऐसे विवाद का विनिश्चय राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

**57. प्राधिकरण के लिए भूमि का अनिवार्य अर्जन.-** इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित कोई भूमि, लोक प्रयोजन के लिए आवश्यक भूमि समझी जायेगी और इस अधिनियम के अध्याय 2 में धारा 5 से 15 तक के अधीन ऐसी भूमि प्राधिकरण के लिए इस प्रकार अर्जित की जायेगी मानों कि यह राज्य सरकार के लिए और उसकी ओर से अर्जन हो।

**58. प्राधिकरण द्वारा संविदाएं.-** धारा 59 के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुये प्राधिकरण, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कोई संविदा करने और उसे संपादित करने के लिए सक्षम होगा और ऐसी संविदाओं में राजमार्गों के डिजाइन बनाने, संनिर्माण, वित्तपोषण और प्रचालन के लिए दीर्घ अवधि की रियायतें सम्मिलित हो सकेंगी।

**59. प्राधिकरण की ओर से संविदाएं निष्पादित करने का ढंग.-**

(1) प्राधिकरण की ओर से प्रत्येक संविदा प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा या उसके ऐसे अन्य सदस्य या ऐसे अधिकारी द्वारा जैसाकि प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त साधारणतया या विशेष रूप से सशक्त किया जाये, की जायेगी और ऐसी संविदाएं या ऐसे वर्गों की संविदाएं जैसी विनियमों में विनिर्दिष्ट की जाएं, प्राधिकरण की सामान्य मुद्रा से मुद्रांकित की जायेंगी:

परन्तु इतने मूल्य या रकम से, जितनी राज्य सरकार इस निमित्त विहित करे, अधिक की कोई संविदा तब तक नहीं की जायेगी जब तक राज्य सरकार द्वारा उसका पूर्वानुमोदन न कर दिया गया हो:

परन्तु यह और कि स्थावर संपत्ति के अर्जन या विक्रय के लिए या ऐसी किसी सम्पत्ति के एक वर्ष से अधिक की अवधि के पट्टे के लिए, कोई संविदा तब तक नहीं की जायेगी जब तक राज्य सरकार द्वारा उसका पूर्वानुमोदन न कर दिया गया हो।

(2) उप-धारा (1) के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन की जाने वाली किसी संविदा का प्ररूप और रीति ऐसी होगी जैसी विनियमों द्वारा विहित की जाये।

(3) कोई भी संविदा जो इस अधिनियम के उपबंधों और तदधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अनुसार नहीं है, प्राधिकरण पर आबद्धकर नहीं होगी।

## अध्याय 9

### प्राधिकरण के कृत्य

**60. प्राधिकरण के कृत्य.-** (1) इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा नियम बनाये जाने के अध्यक्षीन रहते हुए, प्राधिकरण का यह कृत्य होगा

कि वह राज्य सरकार द्वारा उसमें निहित या उसे न्यस्त राजमार्गों या अन्य सड़कों का विकास और प्रचालन करे:

परन्तु, प्राधिकरण अपने किन्हीं भी कृत्यों को या तो स्वयं या फिर किसी रियायतग्राही द्वारा निष्पादित कर सकेगा।

(2) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकारी या तो स्वयं या अन्य संस्थाओं के माध्यम से अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए-

- (क) उसमें निहित या उसे न्यस्त राजमार्गों का सर्वेक्षण, विकास और प्रचालन कर सकेगा;
- (ख) उसके कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कार्यालयों, कार्यशालाओं और अन्य भवनों का संनिर्माण कर सकेगा;
- (ग) उसमें निहित या उसे न्यस्त राजमार्गों पर यानों के चलाये जाने को, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) के अध्याय 8 के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए, उनके सुरक्षित और सुव्यवस्थित प्रचालन के लिए विनियमित और नियन्त्रित कर सकेगा;
- (घ) उसमें निहित या उसे न्यस्त राजमार्गों पर या उनके निकट की मार्गस्थ सुख-सुविधाएं स्थापित और अनुरक्षित कर सकेगा;
- (ङ) अन्य संस्थाओं द्वारा संनिर्माण या उसके प्रचालन के लिए अपेक्षित मार्गस्थ सुख-सुविधाएं या भूमि का पट्टा, उप-पट्टा, अनुज्ञप्ति या उप-अनुज्ञप्ति दे सकेगा;
- (च) इस प्रयोजन के लिए भूमि अर्जन को सम्मिलित करते हुए, राजमार्ग के आसपास की बस्तियों, उपनगरों या औद्योगिक कॉरीडोरों को प्रोत्साहित और उनके विकास को सक्षम बना सकेगा;
- (छ) भारत और विदेश में परामर्शी और सन्निर्माण सेवाओं को विकसित और प्रदत्त कर सकेगा और राजमार्गों के विकास और प्रचालन या वहां की किसी सुविधा के संबंध में शोध क्रियाकलाप चला सकेगा;



- (ज) इस अधिनियम द्वारा उस पर अधिरोपित कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन को बढ़ाने के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 18) के अधीन एक या अधिक कम्पनी बना सकेगा;
- (झ) राजमार्ग विकास की स्कीमों को विनिर्मित और लागू करने में, किसी राज्य सरकार की ऐसे निबंधनों और शर्तों पर सहायता कर सकेगा, जिन पर उनकी पारस्परिक सहमति हो जाये;
- (ञ) इस अधिनियम की धारा 18 के अधीन दी गयी सेवाओं और फायदों के लिए फीस और ऐसे निबन्धन और शर्तों पर जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, ऐसी अन्य फीस, राज्य सरकार के निमित्त संगृहीत कर सकेगा;
- (ट) सड़क सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए परियोजनाएं शुरू कर सकेगा और सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए उपस्कर और उपकरण प्रतिष्ठापित कर सकेगा;
- (ठ) रोगी वाहनों और ट्रॉमा केयर के उपबंधों के लिए सामयिक प्रतिक्रियाओं को सम्मिलित करते हुए, सड़क सुरक्षा से जुड़े उपाय ले सकेगा;
- (ड) सड़क सुरक्षा से संबंधित अध्ययन और शोध का भार ग्रहण कर सकेगा और उसे प्रोत्साहित कर सकेगा;
- (ढ) सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम कर सकेगा और यातायात विनियमन एवं सड़क सुरक्षा पर प्रशिक्षण और अभिविन्यास पाठ्यक्रम संचालित कर सकेगा; और
- (ण) ऐसे सभी कदम उठा सकेगा जो इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त और उस पर अधिरोपित किसी कृत्य के निर्वहन या किसी शक्ति के प्रयोग के लिए आवश्यक या सुविधाजनक या प्रासंगिक हो।
- (3) इस अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अध्याधीन रहते हुए, प्राधिकरण निम्नलिखित के लिए और

इसके संबंध में बनाये जाने वाले विनियमनों द्वारा राजमार्गों के प्रचालन को विनियमित कर सकेगा:-

- (क) राजमार्गों का अनुरक्षण और निरीक्षण;
- (ख) उपयोक्ता की सुरक्षा;
- (ग) सड़क सुरक्षा मानक और प्रक्रियाएं;
- (घ) राजमार्गों पर अवरोधों के निवारण की रीति;
- (ङ) इस प्रयोजन के लिए चिह्नित स्थानों को छोड़कर राजमार्गों पर यानों की पार्किंग या ठहराव को निषिद्ध करने की रीति;
- (च) राजमार्ग के किसी भाग तक पहुंच को निषिद्ध या निर्बंधित करने की रीति;
- (छ) राजमार्गों पर और उसके आस-पास विज्ञापनों को विनियमित या प्रतिबंधित करने की रीति; और
- (ज) साधारणतः राजमार्गों के कुशल और उचित प्रचालन के लिए।

(4) इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह-

- (क) प्राधिकरण द्वारा, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि की अवहेलना को प्राधिकृत करती है; या
- (ख) किसी व्यक्ति को किसी ऐसे कर्तव्य या दायित्व के लिए, जिसके अधीन प्राधिकरण या उसके अधिकारी या अन्य कर्मचारी, इस अधिनियम के अधीन अन्यथा न हो, कोई कार्यवाही संस्थित करने के लिए प्राधिकृत करती है।

(5) प्राधिकरण, राजमार्गों के विकास, वित्तपोषण और प्रचालन या राजमार्गों के प्रचालन और फीस संग्रहण के लिए रियायतों के पंचाट को सम्मिलित करते हुए अपने किन्हीं भी कृत्यों के लिए किसी व्यक्ति को, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की जायें, लगा सकेगा या उन्हें न्यस्त कर सकेगा।

(6) उप-धारा (1) और (2) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राजमार्ग के सामीप्य की बस्तियों, उपनगरों या औद्योगिक कॉरीडोरों के, ऐसे क्षेत्रों के आर्थिक विकास को गति प्रदान करने और किसी राजमार्ग के फायदों को बढ़ाने के उद्देश्य से, प्राधिकरण, राज्य सरकार के परामर्श से, विकास की योजना बना सकेगा, उसे प्रोत्साहित कर सकेगा और सक्षम बना सकेगा। ऐसी बस्तियों, उपनगरों और औद्योगिक कॉरीडोरों का विकास राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जो ऐसे अनुमोदन में विनिर्दिष्ट की जा सके, किया जायेगा। प्राधिकरण, धारा 1 की उप-धारा (3) के अधीन अधिसूचना जारी होने के पश्चात्, ऐसी बस्तियों, उपनगरों या औद्योगिक कॉरीडोरों के विकास के लिए भूमि का अर्जन इस प्रकार कर सकेगा मानोकि ऐसा अर्जन राजमार्ग के प्रयोजन के लिए हो।

(7) प्राधिकरण-

(क) राजमार्गों के विकास और प्रचालन के संबंध में नीतियों;

(ख) सड़क सुरक्षा से संबंधित नीतियों और नियमों; और

(ग) सड़क सुरक्षा मानकों और प्रक्रियाओं,

से संबंधित या उनसे जुड़े हुए किसी मामले पर राज्य सरकार को सलाह दे सकेगा।

**61. प्राधिकरण का कारबार के सिद्धान्त पर कार्य करना.-** इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में, प्राधिकरण जहां तक हो सके, कारबार के सिद्धान्त पर कार्य करेगा।

**62. कतिपय संकर्मों का भार ग्रहण करने की प्राधिकरण की शक्ति.-** प्राधिकरण किन्हीं संकर्मों या सेवाओं अथवा संकर्मों या सेवाओं के किसी वर्ग को, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के निमित्त कार्यान्वित करने का भार, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर ग्रहण कर सकेगा जिन पर प्राधिकरण और राज्य सरकार या संबंधित स्थानीय प्राधिकरण पारस्परिक रूप से सहमत हों।

**63. राजमार्ग योजनाओं का अनुरक्षण.-** (1) प्राधिकरण, इस अधिनियम के अधीन उसे न्यस्त राजमार्गों के लिए प्राधिकृत योजनाओं का अनुरक्षण करेगा।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट योजनाएं, राजमार्ग की सीमाएं, सड़क चौड़ाई के माप, सीमा चिहनों की स्थिति, यदि वे विस्थापित हो गयी हैं या उनके साथ गड़बड़ की गई है, के पुनःनियतन को सक्षम बनाने के लिए, दर्शित करेंगी।

(3) प्राधिकरण, विहित रीति में, राजमार्ग और उनकी सीमाओं का सर्वेक्षण करवाने के पश्चात् समस्त ऐसी प्राधिकृत योजनाएं तैयार करवायेगा।

**64. सीमाओं का सीमांकन.-** (1) प्राधिकरण उसे प्रभारित राजमार्गों की उसके द्वारा अनुरक्षित प्राधिकृत योजनाओं के संदर्भ में सीमाओं को पूरे राजमार्ग के साथ-साथ अन्तरालों में पत्थर गाढ़ कर या अन्य उपयुक्त टिकाऊ प्रकृति के चिहनों द्वारा इस रीति में कि ऐसे पत्थरों या चिहनों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा सड़क सीमा को सही रूप से दर्शा सके, सीमांकित करवायेगा।

(2) जहां सड़क सीमा में मोड़ या तीव्र घुमाव है वहां पत्थर या चिह्न इस प्रकार से अवस्थित किये जायेंगे ताकि सीमा को, यदि वह सीधी रेखाओं द्वारा जुड़ी हैं, सही आकृति मिल सके।

(3) सीमा पत्थर या चिह्न, जिन्हें क्रमवार संख्याएं दी जा सकेंगी, भूमि पर इस प्रकार अनुरक्षित होंगे जैसे वे राजमार्ग का भाग हों।

(4) प्राधिकरण, अप्राधिकृत अतिक्रमण, यदि कोई हो, को हटाने के प्रयोजन से उसे न्यस्त राजमार्गों की सीमाओं की नियमित जांच करवायेगा।

(5) जब राजमार्ग पर कोई अप्राधिकृत अतिक्रमण हो जाता है, प्राधिकरण, उसे हटाने के लिए धारा 42 में यथाविनिर्दिष्ट तत्काल कदम उठायेगा।

**65. प्राधिकरण और उसके अधिकारियों द्वारा शक्तियों का प्रयोग.-** इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अध्याय 4, 5, और 6 में धारा 28 से 43 के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्रयोग में ली जाने वाली शक्तियां और निर्वहन किये जाने वाले कृत्य और कर्तव्य, धारा 55 के अधीन प्राधिकरण द्वारा उसमें निहित या उसे न्यस्त राजमार्गों के संबंध में और उनके लिए, प्रयोग में

ली जायेंगी या निर्वहन की जायेंगी और इस प्रयोजन के लिए, प्राधिकरण उसके किन्हीं भी अधिकारियों को ऐसी शक्तियों के प्रयोग या ऐसे कृत्यों और कर्तव्यों के निर्वहन के लिए, जो वह उचित समझे, प्राधिकृत कर सकेगा।

**66. प्राधिकरण का राज्य सरकार के निदेशों द्वारा आबद्ध होना.-**

(1) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों और कर्तव्यों के निर्वहन में, नीति के प्रश्नों पर ऐसे निदेशों से आबद्ध होगा जो राज्य सरकार उसे लिखित में समय-समय पर दे।

(2) आया कि कोई प्रश्न नीति का है या नहीं, राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।

**अध्याय 10**

प्राधिकरण का वित्त, लेखे और लेखापरीक्षा

**67. राज्य सरकार द्वारा प्राधिकरण को अतिरिक्त पूंजी और अनुदान.-** राज्य सरकार, राजस्थान राज्य विधान-मण्डल द्वारा इस निमित्त

विधि द्वारा किये गये सम्यक् विनियोग के पश्चात्-

(क) ऐसी कोई पूंजी जो प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन के लिए या उससे संसक्त किसी प्रयोजन के लिए अपेक्षित की जा सके, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जो राज्य सरकार अवधारित करे, प्रदान कर सकेगी; और

(ख) ऋण या अनुदानों के माध्यम से प्राधिकरण को ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जो राज्य सरकार अवधारित करे, ऐसी धन राशि जो राज्य सरकार प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक समझे, संदत्त कर सकेगी।

**68. प्राधिकरण की निधि.-** (1) राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण निधि नामक एक निधि का गठन किया जायेगा और उसमें निम्नलिखित राशि जमा की जाएगी:-

- (क) प्राधिकरण द्वारा प्राप्त कोई अनुदान या सहायता;
  - (ख) प्राधिकरण द्वारा लिया गया कोई ऋण या उसके द्वारा लिया गया कोई उधार; और
  - (ग) प्राधिकरण द्वारा प्राप्त अन्य कोई राशि।
- (2) निधि का उपयोग निम्नलिखित को पूरा करने के लिए किया जाएगा:-

- (क) उन प्रयोजनों को ध्यान में रखते हुए जिनके लिए ऐसे अनुदान, ऋण या उधार प्राप्त किए गए हैं, प्राधिकरण के कृत्यों के निर्वहन में और उससे जुड़े या उसके प्रासंगिक मामलों के लिए प्राधिकरण के व्यय;
- (ख) प्राधिकरण के सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को प्रदत्त वेतन, भत्ते, अन्य पारिश्रमिक और सुविधाएं; और
- (ग) इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत उद्देश्य पर और प्रयोजनों के लिए व्यय।

**69. बजट.-** प्राधिकरण, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर जो विहित किया जाए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपना बजट तैयार करेगा, जिसमें प्राधिकरण की प्राक्कलित प्राप्तियां और व्यय दर्शित किए जायेंगे और इसे राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

**70. निधियों का विनिधान.-** प्राधिकरण, अपनी निधियों (आरक्षित निधि को सम्मिलित करते हुए) का विनिधान, राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के सावधि जमा में या ऐसी अन्य रीति से, जो विहित की जा सके, कर सकेगा।

**71. प्राधिकरण की उधार लेने की शक्ति.-** (1) प्राधिकरण, इस अधिनियम के अधीन अपने सभी या किन्हीं कृत्यों के निर्वहन के लिए, राज्य सरकार की सहमति से या राज्य सरकार द्वारा उसे दिये गये किसी साधारण या विशेष प्राधिकार के निबन्धनों के अनुसार बंधपत्रों, डिबेन्चर या ऐसी अन्य लिखतों को, जैसी वह ठीक समझे जारी करके, किसी भी स्रोत से धन उधार ले सकेगा।

(2) उप-धारा (1) के उपबंध, किसी राजमार्ग के वित्तपोषण और विकास के लिए किसी रियायत के अधीन 50 करोड़ रुपये प्रति वर्ष से अधिक के भुगतान की समस्त प्रतिबद्धताओं पर लागू होंगे जैसेकि ऐसा वित्तपोषण प्राधिकरण द्वारा उधार लिया गया धन है।

(3) प्राधिकरण ऐसी सीमाओं के अध्यक्षीन रहते हुए, जैसी राज्य सरकार समय-समय पर अधिकथित करे, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए अपेक्षित रकम, ओवरड्राफ्ट के रूप में या अन्यथा अस्थायी रूप से उधार ले सकेगा।

(4) राज्य सरकार उप-धारा (1) के अधीन लिए गये उधारों या उप-धारा (2) के अधीन किये गये भुगतान की प्रतिबद्धताओं के संबंध में; मूल धन के प्रतिसंदाय और उस पर ब्याज के संदाय को ऐसी रीति से, जैसी वह ठीक समझे, प्रत्याभूत कर सकेगी।

**72. वार्षिक रिपोर्ट.-** प्राधिकरण, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर जैसा विहित किया जाए, अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें वह पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान के अपने क्रियाकलापों का और आगामी वर्ष में राजमार्गों के विकास और प्रचालन के लिए उसकी योजना का पूरा ब्यौरा देगा और उसकी प्रतिलिपि राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा। प्रत्येक वार्षिक रिपोर्ट में, पूर्ववर्ती वार्षिक रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट योजनाओं के संबंध में प्राधिकरण के निष्पादन का पुनर्विलोकन भी अन्तर्विष्ट होगा।

**73. लेखा और लेखा परीक्षा.-** प्राधिकरण के लेखों का संधारण और लेखा परीक्षा ऐसी रीति में किया जायेगा जो राज्य सरकार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से विहित करे और प्राधिकरण ऐसे लेखाओं की एक लेखापरीक्षित प्रति तत्संबंधी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ, ऐसी तारीख से पूर्व, जो विहित की जा सके, राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

**74. वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का राजस्थान राज्य विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना.-** राज्य सरकार, राज्य विधान मण्डल के सदन के समक्ष प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट उनके प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र रखवाएगी।

## अध्याय 11

## अपराध और शास्तियां

**75. राजमार्ग का अप्राधिकृत उपयोग.-** (1) जो कोई, किसी ऐसे प्रयोजन के लिए जिसके लिए राजमार्ग का उपयोग इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों द्वारा प्राधिकृत है, से अन्यथा किसी प्रयोजन के लिए राजमार्ग या उसके भाग का उपयोग करता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से जो तीन मास तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से जो बीस हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में किसी राजमार्ग में प्रवेश करने वाला कोई व्यक्ति आपराधिक अतिचार का दोषी होगा और उसी रूप में दण्डनीय होगा।

**76. राजमार्ग पर अप्राधिकृत पहुंच.-** (1) जो कोई, विधिक प्राधिकारिता के बिना किसी राजमार्ग या उसके भाग को किसी सड़क या मार्ग से जोड़ता है, वह कारावास की ऐसी अवधि से, जो एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा, या, दोनों से, और अपराध चालू रहने की दशा में, दैनिक जुर्माने से, जो पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा; और यदि यह साबित हो जाता है कि ऐसी पहुंच कारित करने के लिए कोई साधन विद्यमान है तो जब तक इसके प्रतिकूल साबित न हो, यह उपधारित किया जायेगा कि ऐसी पहुंच ऐसे व्यक्ति द्वारा जानते हुए और जानबूझकर कारित की गयी है।

(2) जो कोई, धारा 29 के उपबंधों के अतिक्रमण में राजमार्ग या उसके किसी भाग तक पहुंच अभिप्राप्त करता है, ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो बीस हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा।

**77. राजमार्ग का अप्राधिकृत अधिभोग.-** (1) यदि कोई व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के अधीन, राजमार्ग भूमि पर अप्राधिकृत अधिभोग से बेदखल किया गया है, इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञा प्राप्त किए बिना पुनः किसी राजमार्ग भूमि का अधिभोग करता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो इस प्रकार अधिभोग की गयी राजमार्ग भूमि के प्रति वर्ग मीटर दो हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो राजमार्ग भूमि की पार्श्वस्थ प्राइवेट



भूमि के मूल्य के दोगुने से अधिक नहीं होगा, या दोनों से, दंडनीय होगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध करने वाला कोई भी न्यायालय, उस व्यक्ति को इस प्रकार अधिभुक्त भूमि से बेदखल करने के लिए संक्षेपतः आदेश कर सकेगा और वह, ऐसी किसी अन्य कार्रवाई, जो उसके विरुद्ध की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी बेदखली के लिए दायी होगा।

**78. फीस का संदाय किये बिना राजमार्ग का उपयोग.-** जो कोई भी, राजमार्ग या उसके भाग का उपयोग, ऐसे उपयोग के लिए देय फीस के संदाय के बिना करता है, ऐसे कारावास से जो एक मास तक का हो सकेगा या दो हजार रुपये के जुर्माने से या ऐसे जुर्माने से जो उल्लंघन करने वाले यान द्वारा राजमार्ग के उपयोग के लिए एक सौ किलोमीटर की दूरी के लिए संदत्त की जाने वाली फीस के दोगुने के बराबर, जो भी अधिक हो, से दण्डनीय होगा और ऐसा जुर्माना, इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन देय और संदेय फीस के अतिरिक्त, अधिरोपित किया जायेगा।

**79. असुरक्षित ढंग से वाहन चलाना.-** मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) के अध्याय 8 के उपबंधों के अध्याधीन, जो कोई भी राजमार्ग पर-

(क) किसी राजमार्ग पर अधिकतम अनुज्ञेय गति से, ऐसी अधिकतम अनुज्ञेय गति से दस किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक गति से; या

(ख) मत्तता या नशे की हालत में; या

(ग) किसी माल यान को, जिसमें उसके अधिकतम अनुज्ञेय भार से उसका दस प्रतिशत भार अधिक है,

चलाता है या चलाने का दुष्प्रेरण करता है, राजमार्ग के उपयोक्ता के जीवन और संपत्ति पर संकट कारित करने वाला समझा जायेगा और ऐसी अवधि के कारावास से जो छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो बीस हजार रुपये तक का हो सकेगा या, दोनों से, दण्डनीय होगा।

**80. राजमार्ग को क्षति द्वारा रिष्टि.-** जो कोई ऐसा कृत्य करके, जिससे कोई राजमार्ग यात्रा करने या सम्पत्ति का वहन करने के लिए

अगम्य या कम सुरक्षित हो जाये, या जिसके बारे में वह यह जानता है कि उससे किसी राजमार्ग का अगम्य या कम सुरक्षित होना संभाव्य है, रिष्टि कारित करता है या किसी राजमार्ग को जानबूझकर नुकसान कारित करता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से जो पांच वर्ष की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों, से दण्डित किया जायेगा।

**81. मार्ग चिहनों और संकेतों को विरूपित करना.-** जो कोई भी राजमार्ग पर किसी मार्ग चिह्न, संकेत, सूचक या साधित्र को विद्वेषतः या जानबूझकर, नुकसान पहुंचायेगा, विरूपित, परिवर्तित, उपांतरित करेगा या हटाएगा, ऐसी अवधि के कारावास से जो दो वर्ष तक की हो सकेगी; या जुर्माने से जो पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा; और यदि यह साबित कर दिया जाता है कि ऐसे नुकसान, विरूपण, परिवर्तन, उपांतरण करने या हटाने का कोई साधन विद्यमान है, तो जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाये यह उपधारित किया जायेगा कि ऐसा नुकसान, विरूपण, परिवर्तन या यथास्थिति, हटाना, ऐसे व्यक्ति द्वारा विद्वेषतः या जानबूझकर किया गया था।

**82. यान का अभिग्रहण और परिबंधन.-** (1) इस अधिनियम के अन्य किसी उपबंध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई यान जिसका उपयोग किसी अपराध के अनुक्रम में या इस अधिनियम के किसी उपबंध के उल्लंघन में किया गया हो, राज्य सरकार, प्राधिकरण या, यथास्थिति, रियायतग्राही के अधिकारी द्वारा, जो कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत हो, उस पर लदे हुए माल के साथ अभिग्रहण और परिबंधन के लिए दायी होगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन यान का अभिग्रहण करने वाला अधिकारी, अभिग्रहण के बारह घण्टों के भीतर-भीतर, अधिकारिता रखने वाले न्यायालय में अपराध की शिकायत फाइल करेगा और यान, साथ ही उस पर लदे हुए किसी माल, के अभिग्रहण की रिपोर्ट उक्त न्यायालय को करेगा और न्यायालय यान, और उस पर लदे हुए माल, यदि कोई

हो, के संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) के अध्याय 34 के अधीन कार्यवाही करेगा।

(3) यदि उप-धारा (1) के अधीन परिबद्ध कोई यान किसी ऐसे स्थान पर पार्क किया गया है जो कि राजमार्ग का भाग है तो उसका स्वामी या अधिभोगी प्रत्येक घंटे या उसके भाग के पार्किंग शुल्क के संदाय का दायी होगा, जो शुल्क ऐसे वाहन द्वारा पचास किलोमीटर की दूरी के लिए राजमार्ग के उपयोग के लिए संदेय फीस के बराबर होगा।

**83. रियायतग्राही के अधिकारी द्वारा अभिग्रहण या शमन.-** (1) यदि राज्य सरकार या प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत रियायतग्राही का कोई अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग, किसी यान का अभिग्रहण या परिबंधन करने के लिए करता है, वह निम्नलिखित का अनुपालन करेगा:-

- (क) वह हल्के नीले रंग की वर्दी और गहरे नीले रंग की टोपी पहनेगा, सीने पर उसका नाम प्रदर्शित होगा और रियायतग्राही द्वारा जारी किया गया और इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया पहचान-पत्र रखेगा;
- (ख) वह कैमरे में अपराध को पकड़ेगा या पकड़वायेगा और ऐसे अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को मांग करने पर दिखायेगा; और
- (ग) वह, अभिग्रहण के बारह घण्टों के भीतर-भीतर, अधिकारिता रखने वाले न्यायालय में अपराध की शिकायत फाइल करेगा और यान, साथ ही उस पर लदे हुए किसी माल, के अभिग्रहण की रिपोर्ट उक्त न्यायालय को करेगा और न्यायालय यान, और उस पर लदे हुए किसी माल, यदि कोई हो, के संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) के अध्याय 34 के अधीन कार्यवाही करेगा।

(2) रियायतग्राही का कोई भी अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा या प्राधिकरण द्वारा या किसी यान के अभिग्रहण और परिबंधन के लिए या तलाशी लेने या अभिग्रहण करने के

लिए तब तक प्राधिकृत नहीं होगा जब तक कि वह ऐसा व्यक्ति है जिसने पुलिस में या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी सशस्त्र बल में कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए सेवा न की हो और कम से कम पुलिस निरीक्षक या इसके समकक्ष के रैंक से सेवानिवृत्त (त्यागपत्र या पदच्युति नहीं) न हुआ हो और ऐसी अन्य शर्तें पूरी करता हो जैसीकि विहित की जायें।

(3) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कार्यरत रियायतग्राही का कोई अधिकारी, इस अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (3) के उपबंधों के अनुसरण में रियायतग्राही की ओर से कार्यरत समझा जायेगा।

**84. आदेशों और निदेशों के अननुपालन के लिए दण्ड.-** जो कोई भी इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार या प्राधिकरण या राज्य सरकार या यथास्थिति, प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा दिये गये आदेश या निदेश का अनुपालन, ऐसे समय के भीतर जैसाकि उक्त आदेश अनुपालन या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाये, नहीं करता है या इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये किन्हीं नियमों या विनियमों के उपबंधों में से किसी का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयत्न करता है या दुष्प्रेरण करता है तो वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा, प्रत्येक अपराध के बारे में और निरंतर असफल रहने के मामले में, जब तक असफलता जारी रहे, प्रत्येक दिवस के लिए बीस हजार रुपये तक के अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा।

**85. पुलिस की अन्वेषण करने की शक्ति.-** इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध के अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए, पुलिस अधिकारी को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) के अध्याय 12 में यथाउपबंधित की गयी समस्त शक्तियां होंगी।

**86. कम्पनियों द्वारा अपराध.-** (1) जहां इस अधिनियम के अधीन अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो, अपराध किये जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह कम्पनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जायेंगे और

तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दंडित किये जाने के भागी होंगे:

परन्तु यह कि इस उप-धारा की कोई बात, किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दण्ड का भागी नहीं बनायेगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किये जाने का निवारण करने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है, और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध किसी कंपनी के निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दंडित किये जाने का भागी होगा।

**स्पष्टीकरण.-** इस धारा के प्रयोजनों के लिए,-

- (क) "कम्पनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है; और
- (ख) "निदेशक" से कम्पनी में पूर्णकालिक निदेशक अभिप्रेत है और फर्म के संबंध में उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

**87. तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति.-** (1) राज्य सरकार, प्राधिकरण या, यथास्थिति, रियायतग्राही का राज्य सरकार द्वारा या प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई भी अधिकारी-

- (क) ऐसे किसी भी यान में प्रवेश कर सकेगा, निरीक्षण कर सकेगा, तोड़कर खोल सकेगा और तलाशी ले सकेगा, जिसके बारे में उसके पास विश्वास करने का कारण है कि वह इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध में अन्तर्वलित है;

- (ख) ऐसी समस्त युक्तियों, उपकरणों या वस्तुओं की तलाशी ले सकेगा, अभिग्रहण कर सकेगा या हटा सकेगा जिनका उपयोग ऐसे अपराध के लिए किया गया है या किया जा रहा है; और
- (ग) ऐसे किसी भी दस्तावेज का परीक्षण या अभिग्रहण कर सकेगा जो उसकी राय में, इस उप-धारा (1) के अधीन अपराध के संबंध में किसी कार्यवाही के लिए उपयोगी होंगे या उससे सुसंगत होंगे और उस व्यक्ति को, जिसकी अभिरक्षा से ऐसे दस्तावेज अभिगृहीत किये गये हैं अपनी उपस्थिति में प्रतियां बनाने के लिए या उनसे उद्धरण लेने के लिए अपनी उपस्थिति में अनुमति दे सकेगा।

(2) तलाशी लिये जा रहे यान के अधिभोगी या उसकी ओर से कोई व्यक्ति ऐसी तलाशी के दौरान उपस्थित रहेगा और ऐसी तलाशी के अनुक्रम में अभिगृहीत सभी वस्तुओं की सूची बनायी जायेगी और ऐसे अधिभोगी या व्यक्ति को परिदत्त की जायेगी जो उस पर हस्ताक्षर करेगा।

(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) के तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित उपबंध, जहां तक हो सके, इस अधिनियम के अधीन तलाशियों और अभिग्रहण पर लागू होंगे।

**88. न्यायालयों द्वारा विचार में लिये जाने वाले कारक.-** इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित की जाने वाली शास्ति या जुर्माने की मात्रा का न्यायनिर्णयन करते समय, न्यायालय निम्नलिखित कारकों का सम्यक् ध्यान रखेगा, अर्थात्:-

- (क) अपराध के परिणामस्वरूप कारित, संभाव्य अभिलाभ या अऋजु फायदे की मात्रा, जहां कहीं भी अनुमान्य हो;
- (ख) अपराध की पुनरावृत्तिपूर्ण प्रकृति; और
- (ग) राजमार्ग के उपयोक्ताओं को या अन्य व्यक्तियों को कारित नुकसान या खतरा; और राजमार्ग में समाविष्ट किसी संपत्ति या संकर्म को नुकसान।

**अध्याय 12****विविध**

**89. राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि अधिनियम, 2004 का लागू होना.-** राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि अधिनियम, 2004 (2004 का अधिनियम सं. 13) में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होने पर भी, राज्य सरकार उस अधिनियम की धारा 9 के उपबंधों के अनुसार, किसी वर्ष में अधिनियम के अधीन संगृहीत निधियों का कम से कम पचास प्रतिशत राज्य राजमार्गों के विकास और रख-रखाव के लिए, चिह्नित करेगी और उस अधिनियम के उपबंध इस धारा में विनिर्दिष्ट विस्तार तक संशोधित किये गये समझे जायेंगे।

**90. राज्य सरकार द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन.-** (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के अधीन इसके द्वारा प्रयोक्तव्य कोई शक्ति (धारा 102 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को छोड़कर), ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, जैसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये, प्राधिकरण या किसी अन्य प्राधिकरण या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या प्राधिकरण द्वारा, जैसाकि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये, प्रयोक्तव्य होगी।

(2) जहां अधिनियम ऐसा उपबंध करता है, वहां राज्य सरकार आदेश द्वारा-

(क) राज्य सरकार के ऐसे राजपत्रित अधिकारी; या

(ख) राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी के समतुल्य प्राधिकरण के ऐसे अधिकारी को,

राज्य सरकार की ऐसी शक्तियों के प्रयोग और ऐसे कृत्यों के निर्वहन के लिए प्राधिकृत करती है, जैसीकि आदेश में विनिर्दिष्ट की जायें।

(3) राज्य सरकार, उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के अधीन किये गये आदेश में, राजमार्ग की सीमाएं जिनके भीतर या राजमार्ग की लम्बाई जिस पर उस उप-धारा के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेगा, विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

(4) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन यातायात विनियमित करने और उसके संबंध में ऐसी शक्तियों

के प्रयोग और ऐसे कृत्यों के निर्वहन, जैसेकि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हों, करने के लिए रियायतग्राही के ऐसे कर्मचारी या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को, जैसाकि वह उचित समझे, प्राधिकृत कर सकेगी और ऐसी अधिसूचना के अनुसरण में कार्य करने वाला कोई व्यक्ति, ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजनों के लिए उस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण या प्राधिकृत अधिकारी समझा जायेगा।

**91. जिला सड़क सुरक्षा परिषद्-** (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राज्य में के प्रत्येक जिले में जिला सड़क सुरक्षा परिषद् के नाम से एक परिषद् गठित करेगी।

(2) प्रत्येक जिला सड़क सुरक्षा परिषद् निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

- (क) जिला कलक्टर- पदेन; जो परिषद् का सभापति होगा;
- (ख) जिला पुलिस अधीक्षक- पदेन;
- (ग) जिले पर अधिकारिता रखने वाला अधीक्षण अभियंता (सड़क और पुल)- पदेन;
- (घ) जिले पर अधिकारिता रखने वाला प्राधिकरण का कोई अधिकारी जिसे प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा- पदेन;
- (ङ) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का कोई अधिकारी जिसे प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा- पदेन;
- (च) जिले के मुख्यालय पर अधिकारिता रखने वाला क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी-पदेन; जो कि परिषद् का सदस्य-सचिव होगा;
- (छ) सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट विशेषज्ञ; और
- (ज) सड़क सुरक्षा मामलों में अनुभव रखने वाले गैर-सरकारी संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाला जिला कलक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति।



(3) जिला सड़क सुरक्षा परिषद् ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगी, जैसाकि राज्य सरकार समय-समय पर इस अधिनियम के अधीन प्रत्यायोजित करे।

**92. जिला सड़क सुरक्षा परिषद् का रिपोर्ट इत्यादि प्रस्तुत करना.-** प्रत्येक जिला सड़क सुरक्षा परिषद् राज्य सरकार को ऐसी रिपोर्टें और विवरणियां प्रस्तुत करेगी और ऐसी सूचना देगी, जैसाकि समय-समय पर अपेक्षित हो, और राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष के लिए और उसके संबंध में राज्य विधान-मण्डल को एक संकलित और समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

**93. आदेशों की अंतिमता.-** इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, राज्य सरकार या, यथास्थिति, प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी, राज्य सरकार या प्राधिकरण द्वारा किये गये प्रत्येक आदेश या की गयी कोई कार्रवाई अंतिम होगी और किसी मूल वाद, आवेदन या निष्पादन कार्यवाही में प्रश्नगत नहीं की जायेगी और इस अधिनियम या इसके द्वारा प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में राज्य सरकार, प्राधिकरण या इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा की गयी या किये जाने के लिए तात्पर्यित किसी कार्रवाई के बारे में किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई व्यादेश मंजूर नहीं किया जायेगा।

**94. अपील.-** (1) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के विनिश्चय या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उसको विनिश्चय या आदेश की संसूचना की तारीख से साठ दिन के भीतर, अधिकारिता रखने वाले खण्ड आयुक्त को अपील फाइल कर सकेगा:

परन्तु खण्ड आयुक्त, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी उक्त कालावधि के भीतर अपील फाइल करने से पर्याप्त कारण द्वारा निवारित कर दिया गया था, साठ दिन से अनधिक की और कालावधि के भीतर उस अपील को फाइल करने की अनुमति दे सकेगा।

(2) प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के निर्णय या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उसको विनिश्चय या आदेश

की संसूचना की तारीख से साठ दिन के भीतर प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त नामनिर्दिष्ट प्राधिकरण के सदस्य को अपील फाइल कर सकेगा:

परन्तु प्राधिकरण का ऐसा सदस्य, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी को उक्त कालावधि के भीतर अपील फाइल करने से पर्याप्त कारण द्वारा निवारित कर दिया गया था, साठ दिन से अनधिक की और कालावधि के भीतर उस अपील को फाइल करने की अनुमति दे सकेगा।

(3) खण्ड आयुक्त या, यथास्थिति, प्राधिकरण के सदस्य के विनिश्चय या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 5) की धारा 100 में विनिर्दिष्ट किसी एक या अधिक आधारों पर, विनिश्चय या आदेश की उसको संसूचना की तारीख से साठ दिवस के भीतर उच्च न्यायालय को अपील फाइल कर सकेगा:

परन्तु उच्च न्यायालय, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी उक्त कालावधि के भीतर अपील फाइल करने से पर्याप्त कारण द्वारा निवारित कर दिया गया था, साठ दिन से अनधिक की और कालावधि के भीतर उस अपील को फाइल करने की अनुमति दे सकेगा।

**95. अधिकारिता का वर्जन.-** इस अधिनियम में यथाउपबंधित के सिवाय किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण को कोई अपील नहीं होगी और किसी सिविल न्यायालय को, ऐसे किसी मामले के संबंध में कोई अधिकारिता नहीं होगी जिसके संबंध में इस अधिनियम के द्वारा या के अधीन राज्य सरकार या प्राधिकरण या राज्य सरकार या प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी सशक्त किया गया हो, और इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग के अनुसरण में की गयी या किये जाने के लिए प्रस्तावित किसी कार्रवाई के संबंध में किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा व्यादेश नहीं दिया जायेगा।

**96. जांच का संचालन.-** इस अधिनियम के अधीन इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी, यदि वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए कोई जांच करने का विनिश्चय करता है, ऐसी रीति से, जो विनिर्दिष्ट की जाये, संक्षिप्त जांच करेगा।

**97. प्राधिकरण और रियायतग्राही के कर्मचारियों का लोक सेवक होना.-** प्राधिकरण या रियायतग्राही के सभी सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी, जब वे इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये किसी नियम या विनियम के उपबंधों के अनुसरण में कार्य कर रहे हों या कार्य करने के लिए तात्पर्यित हों, भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

**98. सद्भावपूर्वक की गयी कार्रवाई से संरक्षण.-** (1) प्राधिकरण या प्राधिकरण के किसी सदस्य या अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध, इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गयी या किये जाने के लिए आशयित कार्रवाई के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

(2) प्राधिकरण या प्राधिकरण के किसी सदस्य या अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध, इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गयी या किये जाने के लिए आशयित किसी कार्रवाई से कारित या संभाव्यतः कारित नुकसानी के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

**99. पुलिस की शक्तियां और कर्तव्य.-** प्रत्येक पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के अधीन उसकी जानकारी में आये किसी अपराध की सूचना प्राधिकरण के निकटतम अधिकारी या उसके अधीनस्थ किसी अन्य अधिकारी को तत्काल देगा और प्राधिकरण और उसके अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके विधिपूर्ण प्राधिकार के प्रयोग में सहायता को आबद्ध रहेगा।

**100. ग्राम पदधारियों के कर्तव्य.-** जहां कहीं कोई ग्राम मुखिया, ग्राम लेखाकार, ग्राम चौकीदार या अन्य ग्राम पदधारी को, जिसे चाहे किसी भी नाम से जाना जाये, अप्राधिकृत अधिभोग, किसी राजमार्ग के नुकसान या विनाश से अंतर्वलित किसी अपराध का पता चलता है, वहां वह तत्काल निकटतम पुलिस थाने या प्राधिकरण के निकटतम कार्यालय को या राज्य सरकार या प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को ऐसे अपराध के कारित किये जाने की सूचना देगा और राज्य सरकार या प्राधिकरण और ऐसे प्राधिकृत अधिकारी की उस

अपराध के अपराधी के अभियोजन में सहायता करने के लिए कर्तव्यबद्ध होगा।

**101. प्रवेश करने की शक्ति.-** इस निमित्त बनाये गये किन्हीं नियमों के अध्यक्षीन, राज्य सरकार या प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त साधारणतया या विशेष रूप से प्राधिकृत कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए जब कभी ऐसा किया जाना आवश्यक हो, सभी युक्तियुक्त समयों पर, किसी भूमि या परिसर में प्रवेश कर सकेगा, और-

- (क) कोई निरीक्षण, सर्वेक्षण, माप, मूल्यांकन या जांच कर सकेगा;
- (ख) लेवल ले सकेगा;
- (ग) अव-मृदा को खोद सकेगा या बोर कर सकेगा;
- (घ) संकर्म का सीमांकन और आशयित रेखांकन कर सकेगा;
- (ङ) ऐसी सीमाएं चिह्नित कर सकेगा और चिन्ह लगाकर रेखाएं बना सकेगा और झरी काट सकेगा; या
- (च) ऐसे अन्य कार्य या बातें कर सकेगा, जो विहित की जायें:

परन्तु ऐसा कोई व्यक्ति अपने ऐसा करने के आशय की सूचना 24 घण्टे पूर्व ऐसे अधिभोगी को दिये बिना किसी सीमा या किसी परिवेष्टित परिसर में या निवास-गृह से संलग्न बाग में (उसके अधिभोगी की सहमति को छोड़कर) प्रवेश नहीं करेगा।

**102. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति.-** (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम, निम्नलिखित के संबंध में उपबन्ध कर सकेंगे-

- (क) धारा 4 की उप-धारा (2) के अधीन अभिलेख जिनमें भूमि दर्शित की गयी है, के संधारण की रीति और ऐसे अभिलेखों को सही करने के दावे को साबित करने की रीति;
- (ख) धारा 8 की उप-धारा (1) के अधीन प्रतिकर की रकम जमा करने की रीति;

- (ग) धारा 11 की उप-धारा (1) के अधीन प्रतिकर की रकम के अवधारण की रीति और निबंधन;
- (घ) धारा 13 की उप-धारा (1) और (6) के अधीन राज्य सरकार द्वारा रकम जमा करने की रीति;
- (ङ) धारा 16 की उप-धारा (1) के अधीन प्राधिकरण या किसी अधिकारी या राज्य सरकार के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा राजमार्ग का विकास और प्रचालन;
- (च) धारा 16 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) के अधीन राजमार्ग का रख-रखाव और निरीक्षण;
- (छ) धारा 16 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन उपयोक्ताओं की सुरक्षा;
- (ज) धारा 16 की उप-धारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन सड़क सुरक्षा के मानक और प्रक्रियाएं;
- (झ) धारा 16 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ) के अधीन राजमार्ग पर बाधाओं के निवारण की रीति;
- (ञ) धारा 16 की उप-धारा (2) के खण्ड (ङ) के अधीन राजमार्ग पर यानों के ठहरने या प्रतीक्षा में रखने के प्रतिषेध की रीति;
- (ट) धारा 16 की उप-धारा (2) के खण्ड (च) के अधीन राजमार्ग के किसी भाग तक पहुंच को प्रतिषिद्ध या निर्बंधित करने की रीति;
- (ठ) धारा 16 की उप-धारा (2) के खण्ड (छ) के अधीन विज्ञापनों के विनियमन या निर्बंधन की रीति;
- (ड) धारा 16 की उप-धारा (2) के खण्ड (ज) के अधीन राजमार्ग के दक्ष और उपयुक्त प्रचालन के सामान्य मामले;
- (ढ) धारा 18 के अधीन वह दर जिस पर राजमार्ग के उपयोग के संबंध में प्रदान की गई सेवाओं के लिए फीस उद्गृहीत की जा सकेगी, विनिर्दिष्ट लोक प्रयोजनों में लगे हुए यानों के लिए फीस के संदाय से

छूट और वह रीति और प्ररूप जिसमें ऐसी फीस निविदत्त और संगृहीत की जायेगी;

- (ण) धारा 19 की उप-धारा (2) के अधीन फीस के संग्रहण और प्रतिधारण की रीति;
- (त) धारा 20 के अधीन भूमि के किसी वर्ग, प्रवर्ग या अवस्थिति के उपयोग का प्राधिकार प्रदान किया जाना;
- (थ) धारा 21 की उप-धारा (2) के अधीन नियन्त्रण जोन में भवन निर्माण या अन्य कार्य के लिए आवेदन और उसमें उपबन्धित सूचना का प्ररूप;
- (द) धारा 30 की उप-धारा (2) के अधीन आवेदन का प्ररूप और उसके साथ फीस की मात्रा और अनुज्ञा के लिए निबंधन और शर्तें;
- (ध) धारा 30 की उप-धारा (3) के अधीन अनुज्ञप्ति का प्ररूप, ऐसी अनुज्ञप्ति की अवधि और नवीकरण की रीति;
- (न) धारा 33 के अधीन भार वहन की सीमा और उपबन्ध जिनके अध्यक्षीन राजमार्गों पर यानों का आवागमन प्रतिषिद्ध किया जा सकेगा;
- (प) धारा 36 के अधीन स्थापित या परिनिर्मित यातायात चिह्न;
- (फ) धारा 38 की उप-धारा (1) के अधीन राजमार्ग पर किसी यान या पशु के ठहराव या निकास को अनुज्ञात करने के लिए सुरक्षा और नियन्त्रण;
- (ब) धारा 39 की उप-धारा (2) के अधीन आवेदन का प्ररूप;
- (भ) धारा 39 की उप-धारा (3) के अधीन अधिरोपित की जाने वाली फीस और अन्य प्रभार;
- (म) धारा 40 की उप-धारा (2) के अधीन शर्तें जिसके अध्यक्षीन किराये और अन्य प्रभार, जिसके संदाय पर और प्ररूप, जिसमें अनुज्ञा जारी की जा सकेगी;

- (य) धारा 41 के अधीन राजमार्ग भूमि के पट्टा या अनुज्ञप्ति के प्रदान के लिए किराये और अन्य प्रभारों के संदाय की शर्तें;
- (यक) धारा 42 की उप-धारा (7) के अधीन किसी निर्माण के परिवर्तन को सम्मिलित करते हुए निर्माण करने के लिए साध्य लागत;
- (यख) धारा 42 की उप-धारा (8) के अधीन वह अतिरिक्त मामला जिसके सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है;
- (यग) धारा 43 की उप-धारा (2) के अधीन राजमार्ग भूमि के अप्राधिकृत अधिभोग को हटाने के लिए बीजक का प्ररूप;
- (यघ) धारा 45 के अधीन सदस्यों की सेवा शर्तें;
- (यङ) धारा 56 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन पूंजी के रूप में व्यवहृत अनावर्ती व्यय के निबंधन और शर्तें;
- (यच) धारा 59 की उप-धारा (1) के अधीन संविदा का मूल्य;
- (यछ) धारा 63 की उप-धारा (3) के अधीन रीति जिसके द्वारा राजमार्ग और उसकी सीमाओं का सर्वेक्षण किया जाना है;
- (यज) धारा 69 के अधीन प्ररूप और समय, जिसके भीतर, प्राधिकरण बजट तैयार करेगा;
- (यझ) धारा 70 के अधीन वह रीति जिसमें प्राधिकारी इसकी निधियों का निवेश कर सकेगा;
- (यञ) धारा 72 के अधीन वह प्ररूप और समय जिसके भीतर प्राधिकरण अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा;
- (यट) धारा 73 के अधीन वह रीति जिसमें प्राधिकरण के लेखों का संधारण और लेखापरीक्षा की जायेगी और वह तारीख जिससे पूर्व उस पर लेखा परीक्षक की

रिपोर्ट के साथ लेखों की लेखापरीक्षित प्रति राज्य सरकार को भेजी जायेगी;

(यठ) धारा 83 की उप-धारा (2) के अधीन किसी व्यक्ति, जो प्राधिकृत है, के द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें; और

(यड) धारा 96 के अधीन संक्षिप्त जांच की रीति।

**103. विनियम बनाने की प्राधिकरण की शक्ति.-** (1) प्राधिकरण, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए ऐसे विनियम बना सकेगा जो इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों से असंगत न हो।

(2) विशिष्टितया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:-

- (क) धारा 48 की उप-धारा (1) के अधीन बैठकों का समय, स्थान और नियम;
- (ख) धारा 52 की उप-धारा (1) के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के नियोजन के निबंधन और शर्तें;
- (ग) धारा 52 की उप-धारा (2) के अधीन सलाहकारों या परामर्शियों के नियोजन की शर्तें और निबंधन;
- (घ) धारा 59 की उप-धारा (1) के अधीन संविदाओं के वर्गों या वर्ग;
- (ङ) धारा 59 की उप-धारा (2) के अधीन संविदा का प्ररूप और रीति;
- (च) धारा 60 की उप-धारा (3) के खण्ड (क) के अधीन राजमार्गों का अनुरक्षण और निरीक्षण;
- (छ) धारा 60 की उप-धारा (3) के खण्ड (ख) के अधीन उपयोक्ताओं की सुरक्षा;
- (ज) धारा 60 की उप-धारा (3) के खण्ड (ग) के अधीन सड़क सुरक्षा मानक और प्रक्रिया;
- (झ) धारा 60 की उप-धारा (3) के खण्ड (घ) के अधीन राजमार्गों पर बाधाओं को रोकने की रीति;



- (ज) धारा 60 की उप-धारा (3) के खण्ड (ड) के अधीन इस प्रयोजन के लिए चिन्हित स्थानों पर के सिवाय राजमार्गों पर यानों के ठहरने या प्रतीक्षा में रखने के प्रतिषेध की रीति;
- (ट) धारा 60 की उप-धारा (3) के खण्ड (च) के अधीन राजमार्ग के किसी भाग तक पहुंच को प्रतिषिद्ध या निर्बंधित करने की रीति;
- (ठ) धारा 60 की उप-धारा (3) के खण्ड (छ) के अधीन राजमार्गों पर और उनके आस-पास विज्ञापनों के विनियमन या निर्बंधन की रीति;
- (ड) धारा 60 की उप-धारा (3) के खण्ड (ज) के अधीन साधारणतः राजमार्गों के दक्ष और उचित प्रचालन के मामले;
- (ढ) धारा 60 की उप-धारा (5) के अधीन राजमार्गों के प्रचालन और फीस के संग्रहण के लिए निर्बंधन और शर्तें।

**104. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना.-** इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि के फलस्वरूप प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में अन्तर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

**105. कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति.-** (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा ऐसा आदेश कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, और जो उसे ऐसी कठिनाई का निराकरण करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परन्तु ऐसा कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राजस्थान राज्य विधान-मण्डल के समक्ष रखा जायेगा।

**106. नियमों और विनियमों का राजस्थान राज्य विधान-मण्डल के समक्ष रखा जाना.-** इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और प्रत्येक विनियम उनके इस प्रकार बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन से अन्यून की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र की, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे किन्हीं भी नियमों में कोई उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसे कोई नियम या विनियम नहीं बनाये जाने चाहिए तो तत्पश्चात् ऐसे नियम या, यथास्थिति, विनियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होंगे या, यथास्थिति, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलकरण उनके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

**107. निरसन और व्यावृत्तियां.-** (1) राजस्थान राजमार्ग अधिनियम, 1995 (1995 का अधिनियम सं. 27) और राजस्थान सड़क विकास अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम सं. 5) इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(2) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किन्तु राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 8) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राजस्थान सड़क विकास अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम सं. 5) के अधीन बनाया गया कोई नियम या जारी की गयी कोई अधिसूचना या किया गया कोई आदेश, की गयी कोई संविदा या उद्गृहीत की गयी कोई फीस या नियत की गयी दरें, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत नहीं हैं, तब तक प्रवृत्त रहेंगी जब तक कि उन्हें इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी नियम, जारी की गयी अधिसूचना, किये गये आदेश, या यथास्थिति, की गयी संविदा द्वारा निरसित या अतिष्ठित नहीं कर दिया जाये।

अनुसूची  
[धारा 3 देखिये]  
राज्य राजमार्ग

क्र. सं.	राज्य राजमार्ग सं.	राज्य राजमार्गों का विवरण
(1)	(2)	(3)
1	1	झालावाड़ से मथुरा वाया झालरापाटन, खण्डिया चौराहा, बारां, मांगरोल, ईटावा, लबान, लाखेरी, इन्द्रगढ़, सवाईमाधोपुर, भाड़ौती, गंगापुर, हिण्डोन, बयाना और भरतपुर।
2	2	दौसा से कुचामन वाया लवाण, तुंगा, फागी, दूदू, सांभर, नांवा, पालड़ी और कुचामन।
3	2ए	धौलपुर (राष्ट्रीय राजमार्ग-3) से राजाखेड़ा-राज्य सीमा तक।
4	2बी	पालड़ी से खाटू वाया मंगलाना और मकराना।
5	2सी	जयपुर से नांवा वाया जोबनेर और पचकोडिया।
6	3	गंगानगर से बीकानेर वाया पदमपुर, रायसिंहनगर, अनुपगढ़, घड़साना और छतरगढ़।
7	6	डूंगरगढ़ (राष्ट्रीय राजमार्ग-11) से राजगढ़ वाया सरदारशहर और तारानगर।
8	6ए	सवाई बाड़ी (राज्य राजमार्ग-6) से सत्तासर वाया वरसीसर और लूणकरणसर।
9	7	किशनगढ़ से सांगरिया वाया रूपनगढ़, परबतसर, मंगलाना, कुचामन, लोसल, सालासर, रतनगढ़, सरदारशहर, पल्लू, रावतसर और हनुमानगढ़।
10	7ए	हनुमानगढ़ से अबोहर वाया सादुलशहर।
11	7बी	सादुलशहर-गंगानगर, मिर्जावाला और करणपुर।
12	7सी	रतनगढ़ से तालछापर।
13	7डी	राणासर (राज्य राजमार्ग-7) से लाडनूं वाया दौलतपुरा और डीडवाना।

14	7ई	सरवाड़ से किशनगढ़ वाया अरांई।
15	8	सीकर से लुहारू-राज्य सीमा तक वाया नवलगढ़, झुंझुनू, चिड़ावा और सुरजगढ़।
16	8ए	सीकर से पचकोडिया वाया लालास, घाटवा, दांतारामगढ़ और रेनवाल।
17	8बी	जाटावाली से कालाडेरा वाया चौमूं।
18	9	डबोक (राष्ट्रीय राजमार्ग-76) से चित्तौड़गढ़ वाया मावली, भोपालसागर और कपासन।
19	9ए	कटूंदा से श्री छतरपुरा वाया बडोदिया, चेचट और रामगंजमण्डी।
20	9बी	सुकेत से रामगंजमण्डी।
21	11	सांचौर (राष्ट्रीय राजमार्ग-15) से आबू रोड़ वाया रानीवाड़ा कलां और मण्डार।
22	12	सांगानेर से कांकरोली वाया फागी, डिग्गी, मालपुरा, सांवरिया, केकड़ी, शाहपुरा, मांडल और भीलवाड़ा।
23	13	अलवर से राजगढ़ वाया कुशलगढ़, तलवारकश, नारायणपुर, थानागाजी, घाटाभाण्डरोल, शाहपुरा, कांवट, नीमकाथाना, खेतड़ी, सिंघाना, चिड़ावा और पिलानी।
24	14	भरतपुर से नारनौल (राज्य सीमा) वाया डीग, नगर, मेवो का बडोदा, बग्गड़ का तिराहा, अलवर, बहरोड़, ततारपुर और बरझौद।
25	15	मंगलवाड़ से नीमच राज्य सीमा तक वाया झूंगला, बड़ी सादडी और छोटी सादडी।
26	16	चावा से अमरतिया (राष्ट्रीय राजमार्ग-8) वाया सिंदरी, जालौर, सांडेराव, सादडी और देसूरी।
27	19	फलौदी (राष्ट्रीय राजमार्ग-15) से नीदड़ वाया आहू, पचूडी, नागौर, तरनउ, खाटू कला, खाटू खुर्द, तोशीना, कुचामन, भूणी, मरोठ, देवली मिण्डा, रेनवाल क्रॉसिंग और कालाडेरा।

28	19ए	झालावाड़ से आगर (राज्य सीमा) वाया पीपलिया, सुलिया, भवानीमण्डी और डग।
29	19बी	मांगरोल (राज्य राजमार्ग-1) से राजपुरा वाया बम्बोरी कलां।
30	20	सीकर से नोखा वाया सालासर, सुजानगढ़ और तालछापर।
31	21	दांतीवाड़ा से मेड़तासिटी वाया पीपाड़ सिटी और बोरुंदा।
32	21ए	परवतसर से राष्ट्रीय राजमार्ग-89 जंक्शन तक वाया पीपलाद, बागोत, हरसोर, भेरुंदा और डोडियाना।
33	22	मंडरायल से पहाड़ी राज्य सीमा तक वाया करौली, हिण्डौन, महुआ, कठूमर खेड़ली और नगर।
34	23	भरतपुर (राष्ट्रीय राजमार्ग-11-ऊंचा नगला) से धौलपुर (राष्ट्रीय राजमार्ग-11ख) वाया रूपवास और सेपड।
35	24	भाडौती मोड़ (राज्य राजमार्ग-1) से बस्सी वाया राष्ट्रीय राजमार्ग-11ख के लालसोट जंक्शन और तुंगा।
36	25	धारुहेड़ा से गंगापुर वाया भिवाड़ी, टपूकड़ा, तिजारा, किशनगढ़ बास, अलवर, राजगढ़, बांदीकुई, सिकंदरा, गंगापुर और गढ़ी सवाई राम।
37	25ए	टहला से गढ़ी सवाई राम (राज्य राजमार्ग-35) वाया राजगढ़।
38	26	नसीराबाद से देवली (राज्य राजमार्ग-12) वाया केकड़ी।
39	27	सिरोही (राष्ट्रीय राजमार्ग-14) से डीसा जिला सीमा तक वाया मंडार।
40	28	फलौदी (राष्ट्रीय राजमार्ग-15) से रामजी की गोल वाया डेचूं, शेरगढ़, पचपदरा, बालोतरा, सिंदरी और गुढामलानी।
41	28बी	पचपदरा (राष्ट्रीय राजमार्ग-112) से बागुण्डी।

42	29	उनियारा (राष्ट्रीय राजमार्ग-116) से बिजौलिया (राष्ट्रीय राजमार्ग-76) वाया बूंदी, इन्द्रगढ़, लाखेरी से राष्ट्रीय राजमार्ग-76 तक।
43	29ए	राष्ट्रीय राजमार्ग-11क (किमी. 13/300) से सरिस्का वाया टहला।
44	30	सवाईमाधोपुर (राष्ट्रीय राजमार्ग-116) से पालीघाट राज्य सीमा तक।
45	31	जालौर (राज्य राजमार्ग-16) से रानीवाड़ा कलां (राज्य राजमार्ग-11) वाया रामसीन भीनमाल।
46	32	सादड़ी (राज्य राजमार्ग-16-62) से बांसवाड़ा वाया रणकपुर, गोगुन्दा, उदयपुर, सलूमबर आसपुर, साबला, लोहारिया और गनोडा।
47	33	रावतभाटा (राज्य राजमार्ग-9ए) से लबान वाया कोटा, केशोरायपाटन और कापरेन।
48	34	टोंक से केशोरायपाटन वाया नगर, नैनवां और खटकड।
49	35	महुआ से गोविंदगढ़ (राज्य राजमार्ग-45) वाया गढी सवाई राम और लक्ष्मणगढ़।
50	36	चूरू (राष्ट्रीय राजमार्ग-65) से गंगानगर वाया तारानगर, सहवा, नोहर, थालडका, मुण्डा, हनुमानगढ़ और लालगढ़।
51	37	चौमूं (राष्ट्रीय राजमार्ग-11) से चूरू वाया अजीतगढ़, श्रीमाधोपुर, खंडेला और उदयपुरवाटी।
52	37ए	दूदू से मनोहरथाना वाया मालपुरा, टोडारायसिंह, नैनवां, खटकड, कापरेन, बड़ौद और बारां।
53	37बी	कोटपूतली (राष्ट्रीय राजमार्ग-8) से लोसल (राज्य राजमार्ग-7) वाया पाटन, नीमकाथाना, चला, उदयपुरवाटी, सीकर और धौद।
54	37सी	उदयपुरिया मोड से (राष्ट्रीय राजमार्ग-11) से मूंड़रू (राज्य राजमार्ग-37) वाया खेजरोली।
55	38	सिरोही (राष्ट्रीय राजमार्ग-14) से बालोतरा (राष्ट्रीय

		राजमार्ग-112) वाया जावल, कालन्दरी, रामसीन, जालौर, मोकलसर और सिवाना।
56	39	सतूर (राष्ट्रीय राजमार्ग-12) से मूंडवा वाया जहाजपुर, शाहपुरा, विजयनगर, ब्यावर, मेड़तासिटी, लाम्बिया, मेड़ता रोड़ और खजवाना।
57	40	गडरारोड़ से नाचना वाया पोकरण, बाड़मेर, चवा, बायतु, कानोड़, फलसुण्ड, मिनियाना और पोकरण।
58	41	फतहपुर से राजगढ़ वाया झुंझुनू, अलसीसर और मलसीसर।
59	42	बाड़ी (राष्ट्रीय राजमार्ग-11ख) से खेरागढ़ राज्य सीमा तक वाया सेपउ और बसई-नवाब।
60	43	बाड़ी (राष्ट्रीय राजमार्ग-11ख) से सोंख राज्य सीमा तक वाया बसेड़ी, बन्धबारेठा, उच्चैन और भरतपुर।
61	44	नटणी का बाड़ा से कामा कोशी रोड़ वाया मालाखेड़ा, लक्ष्मणगढ़, कटूमर, नदबई और डीग।
62	45	रामगढ़ (राज्य राजमार्ग- 13) से फतहपुर सीकरी (राज्य सीमा तक) वाया गोविंदगढ़, सीकरी, नगर, नदबई, वैर, बयाना और राडवल।
63	48	छानी से रानी।
64	49	मावली से चारभुजाजी (राज्य राजमार्ग-16) वाया नाथद्वारा और केलवाड़ा।
65	51	कोटा से धरनावदा राज्य सीमा तक वाया लाड़पुरा, सांगोद और छबड़ा।
66	52	अजारका (राज्य सीमा) से ताला वाया मुण्डावर, सोडावास, हरसोरा, नारायणपुर और थानागाजी।
67	53	भिण्डर से ऋषभदेव वाया बम्बोरा, सलूमबर और कल्याणपुर।
68	54	आसपुर से सरथूना वाया पुंजपुर, पुनाली, डोबरा, सीमलवाड़ा और पीठ।
69	55	गुढा (राज्य राजमार्ग-52) से जयपुर (राष्ट्रीय

		राजमार्ग-8) वाया किशोरी, सिद्ध का तिबारा, झिरी, आंधी और रामगढ़।
70	56	मांदड़ी (राज्य राजमार्ग-12) से लसानी ताल तक राष्ट्रीय राजमार्ग-8 वाया आमेट और देवगढ़।
71	57	मोखमपुर (राष्ट्रीय राजमार्ग-8) से सांभर वाया फुलेरा।
72	58	जोधपुर से भीम तक राष्ट्रीय राजमार्ग-8 तक वाया विनायिका, राजोला, सोजतसिटी, रेंदडी, भैंसाना, सोजत रोड़, कंटालिया और बबान।
73	59	ब्यावर से निम्बीजोधा वाया पिसांगन, गोविंदगढ़, लाडपुरा, टहला, बेरुंडा, हरसोर, डेगाना, खाटू और बांठड़ी।
74	60	थांवला से गनेढी (राज्य राजमार्ग-20) वाया भैरुन्दा, नीमडी, कोठारिया, डेगाना, सांजू और तरनउ जायल डीडवाना।
75	61	फलौदी (राष्ट्रीय राजमार्ग-15) से मांडल वाया औंसियां, मथानिया, जोधपुर, खेजड़ली, भटिण्डा, सरदारसमन्द, जाडण, मारवाड़ जंक्शन, आऊवा, जोजावर, कमलीघाट, देवगढ़ और राजाजी का करेड़ा।
76	62	बिलाड़ा से पिंडवाड़ा वाया सोजत, सिरीयारी, जोजावर, बागोल, देसूरी, सादडी और सेवाडी।
77	63	बनाड़ से कुचेरा वाया भोपालगढ़, आसोप।
78	64	रोहट (राष्ट्रीय राजमार्ग-65) से आहोर (राज्य राजमार्ग-16) वाया वासी और भादराजून।
79	65	शिव (राष्ट्रीय राजमार्ग-15) से शेरगढ़ वाया भियाड़, बड़नावा जागीर, पाटौदी और फलसूंड।
80	66	सिवाना से धांधनियां (राष्ट्रीय राजमार्ग- 114) वाया समदड़ी, कल्याणपुर और मांडली रोधवाकलां।
81	67	सरदारसमंद (राज्य राजमार्ग-61) से देसूरी (राज्य राजमार्ग-62) वाया पाली, रामसिया, सोमेसर और नाडौल।



82	68	डांगियावास (राष्ट्रीय राजमार्ग-112) से बालोतरा वाया काकेलाव, खेजडली, गुडा विशनोईयाँ, काकाणी, लूणी, धुंधाड़ा और रामपुरा समदड़ी।
83	69	चूरू से भालेरी।
84	70	ताथेड़ से शिवपुरी (राज्य सीमा) वाया दीगोद, कोटा, सुल्तानपुर, ईटावा और खातोली।
85	71	कुंद से मियाड़ा वाया कोयला, कोटडीसूंडा, मजरावता, राष्ट्रीय राजमार्ग-76, जालेडा, हीकड, पीपलोद और अटरू।
86	72	बांरा, जलवाडा, नाहरगढ़, पादौन से राज्य सीमा तक।
87	73	राष्ट्रीय राजमार्ग-11 जंक्शन - रामू का वास से बधाधर जंक्शन राष्ट्रीय राजमार्ग-11 सीकर शहर क्षेत्र।

दीपक माहेश्वरी,  
प्रमुख शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT  
(GROUP-II)**

NOTIFICATION

**Jaipur, May 1, 2015**

**No. F. 2 (32) Vidhi/2/2014.**-In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the Following translation in the English language of Rajasthan Rajya Rajmarg Adhiniyam, 2014 (2015 Ka Adhiniyam Sankhyank 22):-

**(Authorised English Translation)**

**THE RAJASTHAN STATE HIGHWAYS ACT, 2014**

**(Act No. 22 of 2015)**

[Received the assent of the Governor on the 29<sup>th</sup> day of April, 2015]

*An*

*Act*

*to provide for the declaration, development, operation, safety and regulation of state highways and the use of land appurtenant thereto, acquisition of land for highways and other roads, constitution of the Rajasthan State Highways Authority, and for matters connected therewith or incidental thereto.*

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

**CHAPTER I**

PRELIMINARY

**1. Short title, extent and commencement.**- (1) This Act may be called the Rajasthan State Highways Act, 2014.

(2) It extends to the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force on such date, as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision:

Provided further that the State Government shall appoint such date for commencement of the provisions of sections 5 to 15

and sub-section (6) of section 60, after inclusion of this Act in the Fourth Schedule of the Land Acquisition Act, 2013 under sub-section (2) of section 105 thereof.

**2. Definitions.-** In this Act, unless the context otherwise requires,-

- (a) “Authority” means the Rajasthan State Highways Authority constituted under section 44;
- (b) “building” includes any erection of whatsoever material and in whatsoever manner constructed (including a farm-building for agricultural purposes) and also includes plinths, door steps, walls (including compound walls and fences) advertisement boards and the like;
- (c) “Chairperson” means the Chairperson of the Authority;
- (d) “competent authority” means any person or authority authorised by the State Government, by notification in the Official Gazette, to perform the functions of the competent authority for such area as may be specified in the notification;
- (e) “Collector” means the Collector of a District and includes any officer specially appointed by the State Government to perform the functions of a Collector under this Act;
- (f) “control zone” means the area of land appurtenant to a highway and situate within the distance specified in sub-section (1) of section 20;
- (g) “concession” means the rights and obligations specified in a contract entered into between the State Government or the Authority, as the case may be, and any person for development, financing and operation of a state highway or part thereof, and includes a contract for operation of, and levy and collection of fee on, a state highway;
- (h) “concessionaire” means a person who has entered into a contract with the State Government or the

Authority, as the case may be, for and in respect of a concession;

- (i) “development”, in relation to a state highway, includes its designing, construction, renovation, refurbishing, augmentation, upgradation and other activities incidental thereto, and “develop” shall be construed accordingly;
- (j) “Divisional Commissioner” means the Commissioner of a Division and includes any officer specially appointed by the State Government to perform the functions of a Divisional Commissioner under this Act;
- (k) “encroachment” means unauthorised occupation of any highway or part thereof and includes-
  - (i) the erection of a building or any other structure, balconies, thresholds, porches or projections on, over or overhanging the highway;
  - (ii) occupation of highway beyond the prescribed period, if any, for stacking materials or goods of any description or for exhibiting articles for sale, or for erecting poles, awnings, tents, *pandals*, and other similar erection, or for parking vehicles or stabling domestic animals, or for any other purposes; and
  - (iii) excavations or embankments of any kind made or extended on any highway land;
- (l) “erect”, with all its grammatical variations, in relation to a building, means to construct, reconstruct, extend or alter structurally a building;
- (m) “excavation”, in relation to a piece of land, means piercing the surface of that piece of land and includes digging of wells and tanks;
- (n) “expressway” means a highway having a controlled access thereto with a limited number of intersections and a divider between lanes for traffic moving in opposite directions;

- (o) “highway” or “state highway” means any road for the time being declared as a state highway under section 3 and shall include all land situate within the boundaries of such road;
- (p) “land” includes benefits to arise out of land and things attached to the earth or permanently fastened to anything attached to the earth;
- (q) “Land Acquisition Act, 2013” means the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Central Act No. 30 of 2013) and includes any modification, amendment or re-enactment thereof;
- (r) “member” means a member of the Authority appointed under section 44 and includes the Chairperson;
- (s) “occupier” includes -
- (i) any person who for the time being is paying or is liable to pay to the owner rent or any portion of the rent of the premises in respect of which such rent is paid or payable;
  - (ii) an owner living in or otherwise using the premises;
  - (iii) a rent free tenant;
  - (iv) a licensee in occupation of any premises; and
  - (v) any person who is liable to pay to the owner damages for the use and occupation of any premises;
- (t) “operation”, in relation to a highway, includes its maintenance, repair, modification, improvement, management and regulation, and “operate” shall be construed accordingly;
- (u) “owner”, means and includes,-
- (1) when used with reference to any premises, the person who receives the rent of the said premises or who would be entitled to receive the rent thereof if the premises were let, and includes-
    - (i) an agent, manager or trustee, by whatever name called, who has control over the

premises or who receives rent on behalf of the owner;

- (ii) an agent, manager or trustee who receives the rent of, or is entrusted with, or concerned with, any premises devoted to religious or charitable purposes;
- (iii) receiver, sequestrator or manager appointed by any court of competent jurisdiction; and
- (iv) a mortgagee in possession;

(2) when used with reference to an institution or a body corporate, the principal officer of such institution or body corporate;

(3) when used with reference to a vehicle, the person who own or controls that vehicle;

- (v) “person” shall include any company or association or body of individuals, whether incorporated or not ;
- (w) “prescribed” means prescribed by rules made under this Act;
- (x) “regulations” means regulations made by the Authority under this Act;
- (y) “rules” means rules made by the State Government under this Act;
- (z) “State Government” means the Government of the State of Rajasthan;
- (za) “survey” includes all operations incidental to the determination, measurement and record of a boundary or boundaries or any part of a boundary and also includes a resurvey;
- (zb) “Schedule” means Schedule of this Act;
- (zc) “user” means a person who is authorised to use a highway under the provisions of this Act and includes any person who uses a highway in discharge of his functions and duties under any law for the time being in force;
- (zd) “vehicle” means and includes a vehicle of every description of carriage or other artificial contrivance

used, or capable of being used, as means of transportation on land; and

- (ze) “wayside amenities” means and includes hotel, motel, restaurants, service stations, hospitals, trauma centres, shopping complexes, office complexes, transport and tourism facilities, warehousing, logistic hubs, entertainment complexes, associated services, residential premises and other amenities or facilities that may be useful for travellers and for areas surrounding a highway.

## CHAPTER II

### DEVELOPMENT AND OPERATION OF HIGHWAYS

**3. Declaration of certain highways to be state highways.-** (1) Each of the roads included in the Schedule is hereby declared to be a state highway under this Act.

(2) The State Government may, by notification in the Official Gazette, declare any road to be a state highway under this Act and on the publication of such notification such road shall be deemed to be included in the Schedule.

(3) The State Government may, by like notification, omit any highway from the Schedule and, on the publication of such notification, the highway so omitted shall cease to be a state highway under this Act.

**4. State highways to vest in the State.-** (1) All state highways shall vest in the State Government as the owner thereof, and for the purposes of this Act such highways shall include-

- (i) all lands appurtenant thereto, whether demarcated or not;
- (ii) all bridges, culverts, tunnels, causeways, carriageways and other structures constructed on or across such highways;
- (iii) all road furniture, signals, sign boards, fences, trees, posts and boundary stones of such

highways or any land appurtenant to such highways; and

(iv) all wayside amenities.

(2) The State Government shall cause to be maintained a record of state highways and lands comprising each highway in such manner as may be prescribed by rules made in this behalf. Any records of the lands comprising state highways maintained on or before the date of commencement of this Act shall be deemed to be records for the purposes of this section and the State Government shall be deemed to be the owner of such state highways and the lands forming part thereof.

(3) Any person claiming against the ownership of the State Government referred to in sub-section (2) shall make written complaint to the State Government and prove his claim before it and the State Government may, after considering the evidence produced by such person, correct such records or reject the claim.

**5. Power to acquire land, etc.-** (1) Where the State Government is satisfied that for a public purpose any land is required for the development of an existing or new highway, any other road, or part thereof, it may, by notification in the Official Gazette, declare its intention to acquire such land.

(2) Every notification under sub-section (1) shall give a brief description of the land.

(3) The competent authority shall cause the substance of the notification to be published in two State level newspapers having wide circulation, at least one of which shall be in Hindi language.

(4) Upon issue of a notification under sub-section (1), it shall be lawful for any person, authorised by the State Government in this behalf, to-

(a) enter upon any land with his workmen and make any inspection, survey, measurement, valuation or enquiry;

(b) take levels;



- (c) dig or bore into sub-soil;
- (d) set out boundaries and intended lines of work;
- (e) mark such boundaries and lines placing marks and cutting trenches; or
- (f) do such other acts or things as may be laid down by rules made in this behalf by the State Government:

Provided that no person shall enter into any building or any enclosed court or garden attached to a dwelling house or cut down and clear any part of standing crops, or fence without the consent of the occupier thereof or without giving such occupier a notice of at least twenty four hours, in writing, of his intention to do so:

Provided further that the State Government shall pay reasonable compensation to the occupier for the damage caused by him to such building, land or other structures.

(5) The State Government may, upon issue of a notification under sub-section (1), acquire any land specified therein by outright gift or purchase by agreement with the owners, or failing such agreement, by recourse to the provisions of this Act.

**6. Hearing of objections.-** (1) Any person interested in any land which is included in the notification issued under sub-section (1) of section 5 may, within twenty-one days from the date of publication thereof, object to the use of the land for the purpose or purposes mentioned in that sub-section.

(2) Every objection under sub-section (1) shall be made to the competent authority in writing and shall set out the grounds thereof whereupon the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

**Explanation.-** For the purposes of this sub-section, legal practitioner has the same meaning as in clause (i) of sub-section (1) of section 2 of the Advocates Act, 1961 (Central Act No. 25 of 1961).

(3) Any order made by the competent authority under sub-section (2) shall be final.

**7. Declaration of acquisition.-** (1) Where no objection under sub-section (1) of section 6 has been made to the competent authority within the period specified therein or where the competent authority has disallowed the objection under sub-section (2) of that section, the competent authority shall, as soon as may be, submit a report accordingly to the State Government and on receipt of such report, the State Government shall declare, by notification in the Official Gazette, that the land should be acquired for the purpose or purposes mentioned in sub-section (1) of section 5.

(2) On the publication of the declaration under sub-section (1), the land shall vest absolutely in the State Government free from all encumbrances.

(3) Where in respect of any land, a notification has been published under sub-section (1) of section 5 for acquisition thereof, but no declaration under sub-section (1) has been published within a period of one year from the date of publication of that notification, the said notification shall cease to have any effect:

Provided that any period during which the operation of the notification issued under sub-section (1) of section 5 is stayed by a court in any proceedings pending in respect thereof shall be excluded while computing the said period of one year.

(4) A declaration made by the State Government under sub-section (1) shall not be called in question in any court or by any other authority.

**8. Power to take possession.-** (1) Where any land has vested in the State Government under sub-section (2) of section 7, and the amount of compensation determined by the competent authority under section 10 with respect to such land has been deposited in the manner prescribed under sub-section (1) of section 13, with the competent authority by the State Government, the competent authority may, by notice in writing, direct the owner

as well as any other person who may be in possession of such land to surrender or deliver possession thereof to the competent authority or any person duly authorised by it in this behalf within ninety days of the service of the notice.

(2) If any person refuses or fails to comply with any direction made under sub-section (1), the competent authority shall apply,-

- (a) in case of any land situated in any area falling within the metropolitan area, to the Commissioner of Police; and
- (b) in case of any land situated in any area other than the area referred to in clause (a), to the Collector of the District,

and such Commissioner or Collector, as the case may be, shall enforce the surrender of the land to the competent authority or to the person duly authorised by it.

**9. Right to enter into the land vested in the Government.**-Where the land has vested in the State Government under sub-section (2) of section 7, it shall be lawful for any person authorised by the State Government in this behalf, to enter and do other acts necessary upon the land for carrying out the building, maintenance, management or operation of a highway, any other road, or a part thereof, or any other work connected therewith.

**10. Determination of compensation by competent authority.**- (1) Where any land is acquired from any person under this Act, there shall be paid to such person a compensation which shall be determined by the competent authority.

(2) Where the right of user or any right in the nature of an easement on any land is acquired under this Act, there shall be paid to the person whose right of enjoyment in that land has been affected in any manner whatsoever by reason of such acquisition an amount equal to ten per cent of the amount determined under sub-section (1), for that land.

(3) Before proceeding to determine the amount under sub-section (1) or sub-section (2), the competent authority shall give a public notice, published in two State level newspapers having wide circulation, at least one of which shall be in Hindi language, inviting claims from all persons interested in the land to be acquired.

(4) A notice under sub-section (3) shall state the particulars of the land and shall require all persons interested in such land to appear in person or by an agent or by a legal practitioner referred to in sub-section (2) of section 6, before the competent authority, at a designated time and place and to state the nature of their respective interest in such land.

(5) Upon hearing the interested persons and considering the material on record, the competent authority shall by order make an award under this section within a period of one year from the date of the publication of the notification under sub-section (3) of section 5 and if no award is made within that period, it may make the award within an extended period which shall not exceed one year:

Provided that where an award is made within the extended period, the entitled person shall be paid an additional compensation for the extended period, at the rate of one and a quarter per cent of the value of the award, for each month of such extended period.

**11. Determination of compensation by arbitrator.-** (1) If the amount determined by the competent authority under section 10 is not acceptable to either of the parties, the amount shall, on an application by either of the parties, be determined by the arbitrator to be appointed by the State Government from among persons who have been district and session judges, in such manner and on such terms as may be prescribed by rules.

(2) Except as otherwise provided in this Act, the provisions of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (Central Act No. 26 of 1996) shall apply to every arbitration under this Act.

**12. Determination of amount payable as compensation.-** (1) While assessing and determining the market value of land for making an award under section 10 or section 11, as the case may be, the competent authority or the arbitrator shall adopt the criteria specified in section 26 of the Land Acquisition Act, 2013.

(2) The competent authority having determined the market value of the land acquired shall calculate the total amount of compensation to be paid to the land owner, whose land has been acquired, by including all assets attached to the land.

(3) In determining the amount of compensation to be awarded for any land acquired under this Act, the competent authority shall take into consideration the criteria and factors specified in section 28 of the Land Acquisition Act, 2013.

(4) In determining the market value of the building, other immovable property or assets, trees and plants or damage to the standing crops attached to the land or building which is to be acquired, the Collector may use the services of specialists or experienced persons as specified in section 29 of the Land Acquisition Act, 2013.

(5) The competent authority having determined the total compensation to be paid, shall, to arrive at the final award, impose a solatium amount in accordance with the provisions of section 30 of the Land Acquisition Act, 2013.

**13. Deposit and payment of amount.-** (1) The amount determined under section 12 shall be deposited by the State Government in such manner as may be prescribed by rules made in this behalf, with the competent authority before taking possession of the land.

(2) As soon as may be after the amount has been deposited under sub-section (1), the competent authority shall, on behalf of the State Government, pay the amount to the person or persons entitled thereto.

(3) Where several persons claim to be interested in the amount deposited under sub-section (1), the competent authority shall determine the persons who in its opinion are entitled to receive the amount payable to each of them.

(4) If any dispute arises as to the apportionment of the amount or any part thereof or to any person to whom the same or any part thereof is payable, the competent authority shall refer the dispute to the decision of the principal civil court of original jurisdiction within the limits of whose jurisdiction the land is situated.

(5) Where the amount determined under section 11 by the arbitrator is in excess of the amount determined by the competent authority, the arbitrator may award interest at the rate of nine per cent per annum on such excess amount from the date of taking possession under section 8 till the date of the actual deposit thereof.

(6) The amount determined by the arbitrator in excess of the amount determined by the competent authority, together with interest, if any, shall be deposited by the State Government in such manner as may be prescribed by rules made in this behalf, with the competent authority and the provisions of sub-sections (2) to (4) shall apply to such deposit.

**14. Competent authority to have certain powers of civil court.-** The competent authority shall have, for the purposes of this Act, all the powers of a civil court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act No. 5 of 1908), in respect of the following matters, namely:-

- (a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

- (b) requiring the discovery and production of any document;
- (c) reception of evidence on affidavits;
- (d) requisitioning any public record from any court or office; and
- (e) issuing commission for examination of witnesses.

**15. Resettlement and Rehabilitation Award.**-The award for rehabilitation and resettlement of all affected families shall be determined in accordance with the provisions of sections 31 to 42 of Land Acquisition Act, 2013 read with Second Schedule and Third Schedule thereof.

**16. Development and operation of highways.**- (1) The State Government shall develop and operate all state highways; provided, however, that it may, by notification in the Official Gazette, direct that any function in relation to the development and operation of any highway shall, subject to such conditions, if any, as may be specified in the notification, also be exercisable by the Authority or by any officer or authority subordinate to the State Government or to the Authority, in accordance with such rules as the State Government may prescribe.

(2) The State Government may regulate the operation of highways by rules to be made for and in respect of -

- (a) upkeep and inspection of highways;
- (b) safety of users;
- (c) road safety standards and procedures;
- (d) the manner of preventing obstructions on highways;
- (e) the manner of prohibiting the parking or waiting of vehicles on highways, except at places earmarked for this purpose;
- (f) the manner of prohibiting or restricting access to any part of the highways;
- (g) the manner of regulating or restricting advertisements on and around highways; and

(h) generally for the efficient and proper operation of highways.

**17. Power to issue directions to the Authority.-** The State Government may give directions to the Authority as to the carrying out of any of the provisions of this Act or of any rule, notification or order made thereunder, or for discharging any functions or duties of the State Government or for exercising any powers of the State Government under this Act, and the Authority shall comply with such directions forthwith.

**18. Fees for services or benefits rendered on highways.-** (1) No vehicle shall enter or use a highway without payment of fee levied under sub-section (2) in the form and manner prescribed by the State Government or in accordance with any exemption thereof, and it shall be the duty of the owner or occupier of a vehicle to tender such fee in the form and manner prescribed by the State Government.

(2) The State Government may, by notification in the Official Gazette, levy fees at such rates as may be laid down by rules made in this behalf for services or benefits rendered in relation to the use of highways or parts thereof, including the use of ferries, permanent bridges, temporary bridges or tunnels.

(3) Such fees when so levied shall be collected in accordance with the rules made under this Act and any person who in any manner avoids or evades the collection of fees shall, without prejudice to any other provisions of this Act, be liable to payment of a fine equal to one third of the fees payable by such person.

(4) Any fee leviable immediately before the commencement of this Act for services or benefits rendered in relation to the use of a highway shall continue to be leviable under this Act unless and until it is altered in exercise of the powers conferred by sub-section (2).

(5) The State Government may exempt vehicles engaged in defence, security, law and order, fire fighting, crime prevention, medical emergencies or such other public purposes, as it may prescribe, from payment of fees under this section.



**19. Agreements for development and operation of highways.-** (1) Notwithstanding anything contained in this Act, the State Government or the Authority, as the case may be, may enter into an agreement with any person in relation to the development and operation of the whole or any part of a highway, and such agreement may, where deemed necessary, include the terms and conditions for development of wayside amenities, habitations, townships or industrial corridors in the vicinity of such highway:

Provided that no such agreement shall be entered into except with a person who has been selected through a process of open competitive bidding on such terms as may be approved by the State Government:

Provided further that the development of habitations, townships and industrial corridors shall be undertaken in conformity with the applicable laws.

(2) Notwithstanding anything contained in section 18, the person referred to in sub-section (1) shall be entitled to collect and retain fees in such manner and at all such rates as may be prescribed by rules made under section 18 and in accordance with the terms of the agreement referred to in sub-section (1).

(3) A person referred to in sub-section (1), including its employee who has been authorised in this behalf by such person or by the State Government or the Authority, shall have powers to regulate and control the traffic in accordance with the provisions of this Act on the highway forming subject matter of the agreement referred to in sub-section (1), for safe and orderly operation and management thereof.

(4) A person referred to in sub-section (1) may use, or cause to be used, or sub-licence, the land or property forming part of a highway, in accordance with the provisions of this Act and the rules made thereunder, as if such person is the State Government or the Authority, as the case may be, but always subject to the provisions of the agreement referred to in sub-section (1).

**CHAPTER III****CONTROL ZONE APPURTENANT TO HIGHWAYS****20. Restrictions on land in a control zone.- (1)**

Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, no person shall use, and no authority shall permit the use of, any land which lies within a control zone comprising the area appurtenant to a highway and situated between the boundary of such highway and a distance of one hundred meters from such boundary, save and except for the purposes of agriculture, horticulture, animal husbandry or afforestation, which purposes shall not include the construction of any permanent structures or buildings:

Provided that the provisions of this section shall, instead of one hundred meters referred to hereinabove, apply within a distance of fifteen meters from the boundary of any part of a highway where such part of the highway is situated within the municipal limits of a town or a village *abadi*:

Provided further that the State Government may at any time acquire, any or all land and buildings forming part of the control zone, under this Act for development and expansion of the highway or any wayside amenities:

Provided also that the restrictions on the control zone hereunder shall not apply to the use of any land, or any building or structure thereon, to the extent such use of land, or any building or structure thereon, was lawfully in existence at the commencement of this Act or where such building or structure is being repaired, improved or modified without any alteration in the building line comprising its length, width and height:

Provided also that in the event of a doubt or dispute in respect of the width and boundary line of a highway, such width and boundary line shall be deemed to be determined by reference to the nearest section of such highway on which there is no doubt or dispute in respect of the width and boundary line thereof:

Provided also that the control zone for every highway included in the Schedule at the commencement of this Act shall be

determined with reference to the date on which this Act comes into force and in respect of any highway included in the Schedule by notification under sub-section (2) of section 3, the control zone thereof shall be determined with reference to the date of such notification, and any extension of a highway boundary subsequently shall not alter the control zone.

(2) The State Government may by rules to be made in this behalf authorise the use of any class, category or location of lands referred to in sub-section (1) for such purposes and subject to such conditions, including payment of fees, as may be prescribed.

**21. Prohibition of construction within control zone.- (1)**

No person shall, on any land situated within the control zone,-

- (i) construct, form or layout any means of access to or from a highway;
- (ii) erect any building;
- (iii) materially alter any existing building by increasing its height, length or width, as the case may be;
- (iv) make or extend any excavation; or
- (v) construct or layout any work,

save and except in accordance with a general or special permission granted under this Act.

(2) Any person who proposes to construct any building or other work within the control zone shall make an application in writing to the State Government or an officer authorised by the State Government in this behalf, in such form and containing such information as may be prescribed in respect of the building, alteration, excavation, works or means of access, as the case may be, to which the application relates.

(3) On receipt of an application under sub-section (2), the State Government or the officer authorised by the State Government in that behalf shall, after making such enquiry as it may consider necessary, by order in writing, either -

- (a) grant the permission subject to such conditions, if any, as may be specified in the order; or

(b) refuse to grant such permission:

Provided that -

- (i) the permission required under sub-section (3) for carrying out any excavation, construction, formation or laying out of works in land for the purpose of repairing, renewing, enlarging or maintaining any underground sewer, drain, electric line, pipe, duct or other apparatus shall not be withheld, but may be granted subject to such conditions as may be necessary for securing that such sewer, drain, electric line, pipe, duct or other apparatus shall be laid in such manner and at such levels that the construction, development or maintenance of a road there over will not be prevented or prejudicially affected thereby;
- (ii) the permission under sub-section (3) for erection, re-erection or alteration of a building or the making or extending of any excavation which conform to the requirements of safety and convenience of traffic on the adjoining road shall be neither withheld nor made subject to any unreasonable conditions;
- (iii) no permission shall be required for the following works, namely:-
  - (a) agriculture;
  - (b) horticulture;
  - (c) pisciculture;
  - (d) pasture;
  - (e) poultry farming;
  - (f) dairy farming; or
  - (g) construction of wells, tube wells and bore wells.

(4) When permission is refused under sub-section (3), the reasons thereof shall be recorded and communicated to the applicant:

Provided that nothing therein contained shall debar a person from making a fresh application after omitting therefrom the objectionable features on account of which such permission was refused.

(5) Upon receipt of an application made under sub-section (2), the State Government or the officer authorised by the State Government in this behalf shall dispose of the same within a period of three months.

(6) The State Government or an officer authorised by the State Government in this behalf shall maintain a register with sufficient particulars of all permissions given or refused by it under this section and such register shall be available for inspection free of charge by all persons interested and such persons shall be entitled to take extracts therefrom.

**22. Exemption for certain works.-** The restrictions under Chapter III of the Act shall not apply to any excavation or works necessary for the repair, renewal, enlargement or maintenance of any sewer, drain, electric line, pipe, duct or other apparatus constructed in or upon the land comprising a highway before the date of commencement of this Act, or where such works are undertaken with the consent of the State Government on or after such commencement.

**23. Reconstruction of demolished buildings.-** If any building or part thereof, situate within the control zone and erected before the commencement of this Act, has, either entirely or in greater part, been taken down, burnt down or fallen down, such building or part thereof, shall be rebuilt only in accordance with this Act.

**24 Regulation of access in control zone.-** The State Government may, if it considers necessary in the interests of safety or smooth movement of traffic, by notification to be

published in two State level newspapers having wide circulation, at least one of which shall be in Hindi language, regulate or divert any existing right of access to the highway across the control zone:

Provided that any existing right of access shall not be diverted until alternative access has been given within a reasonable distance.

**25. Restriction on change in land use.-** (1) No agricultural land situate within the control zone shall be diverted or converted for non-agricultural purposes without the prior sanction of the State Government or an officer authorised by the State Government in this behalf and subject to any general or special directions of the State Government.

(2) Notwithstanding anything contained in this Act, no permission for change in land use or for diversion of agricultural land for non-agricultural purposes shall be granted in respect of any land forming part of the control zone and situate within a distance of twenty five meters from the boundary of a highway, save and except any permission which may be granted under this Act for construction of wayside amenities:

Provided that the restriction under this section shall not apply to the control zone situate within municipal limit.

**26. Levy of betterment charges in control zone.-**Any permission for change in land use under section 25 shall be granted in accordance with applicable laws and subject to payment of betterment charges to the State Government or the Authority, as the case may be, for an amount equal to the market value of the land to be determined in accordance with the provisions of sub-section (4) or sub-section (5) of section 12.

**27. Removal of unauthorised construction.-**Any construction, works or excavation carried out in violation of the provisions of Chapter III of this Act shall be liable to removal under section 42 as if it is an unauthorised occupation of the highway, and shall be punishable as if it is an offence under the provisions of section 77 of this Act.

**CHAPTER IV**  
**CONTROL OF ACCESS TO HIGHWAYS**

**28. Restrictions on use of highway.-** (1) No person or vehicle shall enter into, or use a highway except as authorised by this Act or the rules made thereunder.

(2) No pedestrian shall enter into, or walk on, a highway except in any area or zone which is specially demarcated for this purpose.

(3) No non-motorized vehicle, including a cycle, or any motorized vehicle which cannot achieve the maximum speed specified for a highway, not being a road having a carriageway width of less than ten meters, shall enter into, or use that highway except to the extent of use of a lane, if any, earmarked for such vehicles. Provided, however, that the State Government may, by notification in the Official Gazette, permit or authorise access in such manner, to such extent and for such period as may be specified therein.

(4) Any person or vehicle using a highway in discharge of its functions and duties under any law for the time being in force shall be deemed to be authorised to use that highway under this Act. Provided, however, that nothing contained herein shall relieve such person or vehicle from its obligation to pay fees in accordance with the provisions of section 18.

**29. Restrictions on access to highways.-** (1) No person shall connect any highway or part thereof with any road or passage except in accordance with the permission granted by the State Government or an officer authorised by the State Government in this behalf and subject to such conditions as may be specified in that permission.

(2) No person shall have right of access to a highway either through any vehicle or on foot by a group of five or more persons except in accordance with the provisions of this Act or as permitted by the State Government either generally or specifically in the manner specified in section 30.

(3) The access to a highway under sub-section (1) and sub-section (2) shall be subject to the guidelines and instructions issued by the State Government from time to time.

(4) The State Government may, by notification in the Official Gazette, declare an expressway comprising a highway or any portion thereof to be limited for access in the manner as specified in such notification and may also impose any restriction or control on such access to, from or across such highway as specified in that notification.

**30. Procedure for permission of access to highway.- (1)**

The general permission under sub-section (2) of section 29, including any terms and conditions thereof, shall be given by issuing a notification in the Official Gazette for such purpose and specific permission under that sub-section shall be given in the manner specified hereinafter under this section.

(2) Any person desirous of obtaining specific permission referred to in sub-section (1) may make an application in the prescribed form to the State Government or an officer authorised by the State Government in this behalf specifying therein the means of access to which such permission relates and shall also be accompanied with such fees as may be prescribed and the State Government or such officer shall, after considering the application, either give the permission with or without the terms and conditions as may be specified therein or reject the application as it may deem fit.

(3) In case where the permission has been given in respect of the application made under sub-section (2), the person to whom such permission has been given shall obtain the licence from the State Government or the officer authorised by the State Government in this behalf, in the prescribed form enumerating therein the terms and conditions, if any, subject to which such permission has been given, and such permission shall be renewed after such period and in such manner as may be prescribed.



(4) If any person contravenes the provisions of sub-section (1) or sub-section (2) of section 29 or violates any terms and conditions subject to which permission has been given under sub-section (2) including non-renewal of licence obtained under sub-section (3), his access to the highway under the permission under sub-section (1) or sub-section (3), as the case may be, shall be deemed to be unauthorised access and the State Government or the officer authorised by the State Government in this behalf shall have the power to remove such access and where necessary, the State Government or such officer may use the necessary force with the assistance of the police to remove such access.

**31. Regulation or diversion of access, etc.-** (1) Notwithstanding any permission given under sub-section (1) or sub-section (2) of section 30, an officer authorised by the State Government in this behalf shall have the power, in the interest of the safety and convenience of the traffic, to refuse, regulate or divert any proposed or existing access to the highway.

(2) Where an existing access is diverted, the alternative access given in lieu thereof shall not be unreasonably distant from the existing access.

## CHAPTER V

### REGULATION OF TRAFFIC

**32. Power to regulate traffic.-** (1) Notwithstanding anything contained in this Act, subject to the provisions of Chapter VIII of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988) an officer authorised by the State Government in this behalf shall have the power to regulate and control the plying of vehicles on the highway for the proper management thereof.

(2) If at any time the officer authorised by the State Government in this behalf is satisfied on the information received by it or otherwise that any highway or any part thereof is or has become congested or unsafe for vehicular or pedestrian traffic by reason of damage or otherwise, it may, either close the highway or such part thereof to all traffic or to any class of traffic, or regulate

the number and speed of vehicles to be used on the highway or such part thereof, as the case may be, in the manner as it may deem fit.

**33. Prohibition of use of heavy vehicles on certain highways.-** Where the officer authorised by the State Government in this behalf is satisfied that the surface of a highway or any part thereof, or any bridge, culvert or causeway built on or across the highway is not designed to carry vehicles of which the laden weight exceeds a prescribed limit, it may, subject to such rules as may be made in this behalf, prohibit or restrict the plying of such vehicles on or over such highway or part thereof or such bridge, culvert or causeway, as the case may be.

**34. Temporary closure of traffic on highway.-** Where, in exercise of the powers under section 32 or section 33, the officer authorised by the State Government in this behalf considers it proper for the purposes of that section to temporarily close a highway or part thereof or to restrict or regulate traffic on such highway or part thereof, it may do so in the manner as it may deem fit.

**35. Permanent closure of highway.-** (1) Where, in exercise of the powers under section 32, the State Government or an officer authorised by the State Government in this behalf deems it necessary in the interest of the safety of the highway to close the highway or part thereof, it may, by notification in the Official Gazette, give notice of its intention to the public to do so specifying therein the time within which the objections and suggestions received shall be considered under sub-section (3) and in addition to such notice, it shall also notify the contents of such notice in at least two State level newspapers having wide circulation, one of which shall be in Hindi language and another shall be the newspaper being circulated in such area.

(2) The notice under sub-section (1) shall indicate the alternative route proposed to be provided in lieu of the highway or part thereof intended to be closed specifying therein as to whether

such alternative route shall be an already existing highway or shall be newly constructed and shall also invite objections and suggestions from the persons affected on such proposal within the time and to be addressed to the officer as specified in such notice.

(3) The State Government or the officer authorised by the State Government in this behalf shall, after considering the objections and suggestions, if any, received within the time specified in such notice, take a decision on the proposal for closure and shall act in accordance with such decision.

**36. Power to restrict the use of highway.-** If the State Government or an officer authorised by the State Government in this behalf is satisfied that it is necessary in the interest of public safety or convenience, or because of the nature of any road or bridge so to do, it may, by notification in the Official Gazette, prohibit or restrict, subject to such exceptions or conditions as may be specified in the notification, the use of any highway or part thereof by a class or classes of traffic either generally or on specified occasion or time as specified in the notification and when such prohibition or restriction is imposed, the State Government or such officer shall cause such traffic signs to be placed or erected at suitable places for the convenience of the traffic as may be prescribed:

Provided that where any prohibition or restriction under this section is to be retained for a period of one month or less, such prohibition or restriction may be imposed without issuing notification in the Official Gazette:

Provided further that the prohibition or restriction imposed under the first proviso shall be published widely for the knowledge of the users by other possible means.

**37. Prevention and repair of damage to highway.-** (1) No person who is in charge of, or in possession of, any vehicle or animal shall, wilfully or negligently, cause, or allow such vehicle or animal to cause, any damage to any highway.

(2) Where, in contravention of sub-section (1), any damage has been caused to any highway, the State Government or an officer authorised by the State Government in this behalf shall have such damage repaired at the expense of the State Government, and such expenses together with fifteen per cent thereof as additional charges shall, without prejudice to any other action which may be taken against the person who has so contravened sub-section (1), be recovered from him in accordance with the provisions contained in section 43 as if such expenses and additional charges were the expenses and additional charges recoverable under that section.

**38. Prohibition to leave vehicles or animals in dangerous position.-** (1) No person in charge of, or in possession of, any vehicle or animal shall allow such vehicle or animal to stand or proceed on a highway unless the same is under such safety or other control as may be prescribed.

(2) Where any obstruction on the highway is caused in contravention of sub-section (1), the vehicle or animal causing such obstruction shall be caused to be towed away by the officer authorised by the State Government in this behalf and the vehicle or animal so towed away shall be taken into possession by such officer and shall be handed over to the owner thereof upon payment of the expenses incurred by such officer in such removal and shall be liable to fine imposed by such officer, which shall not be less than one thousand rupees and not more than five thousand rupees.

(3) In case where the expenses and fine in respect of the vehicle or animal taken into possession under sub-section (2) have not been paid under that sub-section, the officer authorised by the State Government in this behalf shall sell such vehicle or animal by auction and the proceeds of the auction shall be the property of the State Government.

(4) Any person who has unauthorised occupation on a highway land shall be summarily evicted by the officer authorised by the State Government in this behalf in the manner specified in section 42 for removal of unauthorised occupation and shall be

liable to fine imposed by such officer, which shall not be less than two thousand rupees per square meter of the unauthorisedly occupied land by him but which may be extended to the cost of private land adjacent to the highway.

**39. Construction on highway land.-** (1) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, no person shall construct, install, shift, repair, alter or carry any poles, pillars, advertisement towers, transformers, cable wire, pipe, drain, sewer, canal, railway line, tramway, telephone boxes, repeater station, street, path or passage of any kind on a highway or across, under or over any highway except in accordance with the prior permission in writing of the State Government or an officer authorised by the State Government in this behalf.

(2) Any person who intends to obtain the permission under sub-section (1) shall make an application in the prescribed form to the officer authorised by the State Government in this behalf, containing therein the purpose and period of occupancy of a highway, location and part of the highway to be occupied, method of execution of work, period of construction and method of restoration of such part of the highway.

(3) The officer authorised by the State Government in this behalf shall consider the application made under sub-section (1) and if it is satisfied that there is no alternative where land can be found to locate the public utility at a site other than the highway in respect of which the permission is sought under the application, it may give permission in writing as sought in the application:

Provided that while giving such permission, such officer may impose such conditions as it may deem fit to protect-

(i) the highway from damage; and

(ii) the traffic on the highway from obstruction, and may also impose such fees and other charges as may be prescribed on the person to whom such permission is given in respect of any land forming part of the highway, occupied or applied to the proposed work or construction under permission and also impose on such person the expenditure, if any, incurred by the State Government

or such officer for repairing any damage caused to the highway by laying or shifting of any structure, article or equipment under the permission.

(4) If any person, in contravention of sub-section (1), makes any construction or carries out any other work, the officer authorised by the State Government in this behalf may, at the expense of the State Government, cause such construction or other work to be removed from the highway and restore the highway in the condition as it was immediately before giving permission for such construction or other work under sub-section (3) and such expense together with fifteen per cent thereof as additional charges and fine imposed by such officer taking into account the nature of the damages caused by such construction or other work, which shall not be less than two thousand rupees per square meter of land used for such construction or other work, but shall not exceed the cost of any adjacent private land, shall be recovered from such person in accordance with the provisions contained in section 43 as if such expenses, additional charges and fine were the expenses, additional charges and fine recoverable under that section.

## CHAPTER VI

### PREVENTION OF UNAUTHORISED OCCUPATION

**40. Restrictions on occupation of highway land.-** (1) No person shall occupy or encroach upon any highway land or discharge any material through a drain on such land without obtaining prior permission, in writing, from an officer authorised by the State Government in this behalf.

(2) The officer authorised under sub-section (1) may, on an application made by a person in this behalf and having regard to the safety and convenience of traffic, grant permission to such person-

(i) to place a movable structure on the highway in front of any building owned by him or to make a movable structure on support of such building and over the highway, or

(ii) to put up a temporary awning or tent or other similar construction or a temporary stall or scaffolding on the highway, or

(iii) to deposit or cause to be deposited, building materials, goods for sale or other articles on any highway, or

(iv) to make a temporary excavation for carrying out any repairs or improvements to adjoining buildings, and such permission shall be granted subject to the conditions and on payment of the rent and other charges by issuing permit in the form as may be prescribed:

Provided that no such permission shall be valid beyond a period of one month at a time from the date on which the permission has been granted unless it is renewed by such officer on an application made by such person for the renewal of the permission.

(3) The permission granted under sub-section (2) shall specify therein- (i) the time up to which the permission is granted; (ii) the purpose of such permission; (iii) the portion of the highway in respect of which the permission has been granted, and shall be accompanied with a plan or sketch of such portion of the highway.

(4) The person, to whom the permit has been issued under sub-section (2), shall produce the permit for inspection whenever called upon to do so by any officer of the State Government or the Authority and shall, on the expiry of the permission granted under such permit, restore the portion of the highway specified in the permit in such condition as it was immediately before the issuing of such permit and deliver the possession of such portion to the officer who issued such permit.

(5) The officer issuing the permit under sub-section (2) shall maintain a complete record of all such permits issued, and shall also ensure in every case at the expiration of the period up to which the permission under a permit is granted under that sub-section that the possession of the portion of the highway in respect

of which such permission was granted has been delivered to such officer.

(6) Where an officer authorised by the State Government in this behalf is of the opinion that it is necessary in the interest of traffic safety or convenience to cancel any permit issued under sub-section (2), it may, after recording the reasons in writing for doing so, cancel such permit and, thereupon, the person to whom the permission was granted shall, within the period specified by an order made by such officer restore the portion of the highway specified in the permit in such condition as it was immediately before the issuing of such permit and deliver the possession of such portion to such officer and in case such person fails to deliver such possession within such period, he shall be deemed to be in unauthorised occupation of highway land for the purposes of this section and section 43.

**41. Grant of licence for temporary use.-** The State Government or an officer authorised by the State Government in this behalf may, having regard to the safety and convenience of traffic and subject to such conditions as may be prescribed and on payment of prescribed rent or other charges, grant lease or licence of highway land to a person for temporary use:

Provided that no such lease shall be valid for more than five years at a time from the date on which such lease has been granted unless renewed by the State Government or such officer.

**42. Removal of unauthorised occupation.-** (1) When, as a result of the periodical inspection of highway land or otherwise, the officer authorised by the State Government in this behalf is satisfied that any unauthorised occupation or encroachment has taken place on highway land, such officer shall serve a notice on the person causing or responsible for such unauthorised occupation or encroachment requiring him to remove such unauthorised occupation or encroachment and to restore such highway land in its original condition as before the unauthorised



occupation or encroachment within the period specified in the notice.

(2) The notice under sub-section (1) shall specify therein the highway land in respect of which such notice is issued, the period within which the unauthorised occupation on such land is required to be removed, the place and time of hearing any representation, if any, which the person to whom the notice is addressed may make within the time specified in the notice and that failure to comply with such notice shall render the person specified in the notice liable to penalty, and summary eviction from the highway land in respect of which such notice is issued, under sub-section (5).

(3) The service of the notice under sub-section (1) shall be made by delivering a copy thereof to the person to whom such notice is addressed or to his agent or other person on his behalf or by registered post addressed to the person to whom such notice is addressed and an acknowledgment purporting to be signed by such person or his agent or other person on his behalf or an endorsement by a postal employee that such person or his agent or such other person on his behalf has refused to take delivery may be deemed to be *prima facie* proof of service.

(4) Where the service of the notice is not made in the manner provided under sub-section (3), the contents of the notice shall be advertised in a State level newspaper for the knowledge of the person to whom the notice is addressed and such advertisement shall be deemed to be the service of such notice on such person.

(5) Where the service of notice under sub-section (1) has been made under sub-section (3) or sub-section (4) and the unauthorised occupation on the highway land in respect of which such notice is served has not been removed within the time specified in the notice for such purpose and no reasonable cause has been shown before the officer authorised by the State Government in this behalf for not so removing unauthorised occupation, such officer shall cause such unauthorised occupation

to be removed at the expense of the State Government, and impose penalty on the person to whom the notice is addressed which shall be two thousand rupees per square meter of the land so unauthorisedly occupied and where the penalty so imposed is less than the cost of such land, the penalty may be extended equal to such cost.

(6) Notwithstanding anything contained in this section, the officer authorised by the State Government in this behalf shall have power without issuing any notice under this section to remove the unauthorised occupation on the highway land, if such unauthorised occupation is in the nature of-

- (a) exposing any goods or article-
  - (i) in open air; or
  - (ii) through temporary stall, kiosk, booth or any other shop of temporary nature,
- (b) construction or erection, whether temporary or permanent, or
- (c) trespass or other unauthorised occupation which can be removed easily without use of any machine or other similar device,

and in removing such occupation, such officer may take assistance of the police, if necessary, to remove such occupation by use of the reasonable force necessary for such removal.

(7) Notwithstanding anything contained in this section, if the officer authorised by the State Government in this behalf is of the opinion that any unauthorised occupation on the highway land is of such a nature that the immediate removal of which is necessary in the interest of-

- (a) the safety of traffic on the highway; or
- (b) the safety of any structure forming part of the highway,

and no notice can be served on the person responsible for such unauthorised occupation under this section without undue delay owing to his absence or for any other reason, such officer may

have such unauthorised occupation removed in the manner specified in sub-section (6).

(8) An officer authorised by the State Government in this behalf shall, for the purposes of this section or section 43, as the case may be, have the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act No. 5 of 1908), while trying a suit, in respect of the following matters, namely:-

- (a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;
- (b) requiring the discovery and production of documents;
- (c) issuing commissions for the examination of witnesses; and
- (d) any other matter which may be prescribed,

and any proceeding before such officer shall be deemed to be a judicial proceeding within the meaning of sections 193 and 228, and for the purpose of section 196, of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act No. 45 of 1860) and such officer shall be deemed to be a civil court for the purposes of section 195 and Chapter XXVI of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974).

**43. Recovery of cost of removal of unauthorised occupation.-** (1) Where an officer authorised by the State Government in this behalf has removed any unauthorised occupation or made any construction including alteration of construction in respect of any unauthorised occupation or repaired any damage under sub-section (2) of section 37, the expenditure incurred in such removal or repair together with fifteen per cent of additional charges or any fine imposed under this Act shall be recoverable in the manner hereinafter provided in this section.

(2) The officer authorised by the State Government in this behalf shall serve a copy of the bill in the prescribed form

indicating therein the expenditure, additional charges or fine recoverable under sub-section (1) on the person from whom such expenditure, additional charges or fine is recoverable and the provisions of section 42 relating to the service of notice shall apply for the service of copy of the bill under this sub-section as if for the word "notice" the word "bill" has been substituted in that section.

(3) A copy of the bill referred to in sub-section (2) shall be accompanied with a certificate issued by the officer authorised by the State Government in this behalf and the amount indicated in the bill shall be the conclusive proof that such amount is the expenditure actually incurred for all or any of the purposes referred to in sub-section (1) as indicated in the bill.

(4) Where the officer authorised by the State Government in this behalf has removed any unauthorised occupation or made any construction including alteration of construction in respect of any unauthorised occupation or repair any damage under sub-section (2) of section 37, the material, if any, recovered as a result of such removal, construction, alteration or repair shall be retained in possession of the State Government or such officer till the payment of the bill in respect thereof served under sub-section (2) and on payment of such bill such material shall be returned to the person entitled for the material, but in case of the failure of such payment within the time specified for the payment in the bill, the material may be sold by auction by the State Government or such officer and after deduction of the amount payable under the bill from the proceeds of the auction, the balance, if any, shall be returned to the person entitled therefor.

(5) In case where the proceeds of the auction under sub-section (4) is less than the amount recoverable under the bill referred to in that sub-section, the difference between such proceeds and the amount so recoverable or where no such auction has been made, the amount recoverable under the bill shall, in case of failure of the payment within the time specified in the bill, be recoverable as the arrears of land revenue.

**CHAPTER VII****THE RAJASTHAN STATE HIGHWAYS AUTHORITY**

**44. Constitution of the Authority.-** (1) With effect from such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint in this behalf, there shall be constituted for the purposes of this Act an Authority to be called the Rajasthan State Highways Authority.

(2) The Authority shall be a body corporate by the name aforesaid having perpetual succession and a common seal, with power, subject to the provisions of this Act, to acquire, hold and dispose of property, both movable and immovable, and to contract and shall by the said name sue and be sued.

(3) The Authority shall consist of-

- (a) a Chairperson;
- (b) four full-time members of whom one each shall be the member-in-charge of
  - (i) finance,
  - (ii) safety and technology,
  - (iii) works contracts and operations; and
  - (iv) concessions and public private partnerships; and
- (c) six part-time members, to be appointed by the State Government by notification in the Official Gazette, of whom one each, not being lower in rank than a Secretary to the Government, shall be the nominee of the Finance Department, the Planning Department and the Transport Department respectively, and one each shall be an eminent person from the field of
  - (i) finance or banking,
  - (ii) technology and research in roads, and
  - (iii) judiciary or law.

(4) The Chairperson and full-time members shall be appointed by the State Government, by notification in the Official Gazette, on the recommendation of a Search and Selection Committee consisting of-

- (a) Chief Secretary - Chairman;
- (b) An Additional Chief Secretary or a Principal Secretary to be nominated by the State Government - Member;
- (c) Secretary-in-charge of Public Works Department - Member;
- (d) Chairman of a public sector undertaking, to be nominated by the State Government - Member; and
- (e) Head of a research, technical or management institute, to be nominated by the State Government - Member.

**45. Term of office and conditions of service of members.-** The term of office of the members shall ordinarily be five years and their conditions of service shall be such as may be prescribed:

Provided that no person shall be appointed as Chairperson or member after he attains the age of sixty-two years or shall serve in such capacity after he attains the age of sixty-five years:

Provided further that the State Government may, in its discretion, terminate the term of office of any member, including the Chairperson, at any time by giving a notice of three months or the salary and allowances in lieu thereof.

**46. Disqualifications for appointment as member.-** A person shall be disqualified for being appointed as a member if he-

- (a) has been convicted and sentenced to imprisonment for an offence which, in the opinion of the State Government, involves moral turpitude; or
- (b) is an undischarged insolvent; or
- (c) is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

- (d) has been removed or dismissed from the service of the State Government or a Corporation owned or controlled by the State Government; or
- (e) has, in the opinion of the State Government, such financial or other interest in the Authority as is likely to affect prejudicially the discharge by him of his functions as a member.

**47. Eligibility of member for re-appointment.-** Subject to the other terms and conditions of service as may be prescribed, any person ceasing to be a member shall be eligible for re-appointment as such member if he has not attained the age of sixty-four years on the date of re-appointment.

**48. Meetings.-** (1) The Authority shall meet at such times and places and shall observe such rules of procedure in regard to the transaction of business at its meetings, including the quorum thereat, as may be specified by regulations.

(2) If for any reason the Chairperson is unable to attend any meeting of the Authority, any other member chosen by the members present at the meeting shall preside at the meeting.

(3) All questions which come up before any meeting of the Authority shall be decided by a majority of votes of the members present and voting, and in the event of an equality of votes, the Chairperson, or in his absence the person presiding, shall have and exercise a second or casting vote.

**49. Vacancy in the Authority not to invalidate proceedings.-**No act or proceeding of the Authority shall be invalidated merely by reason of-

- (a) any vacancy in, or any defect in the constitution of, the Authority; or
- (b) any defect in the appointment of a person acting as a member of the Authority; or
- (c) any irregularity in the procedure adopted by the Authority not affecting the merits of the case.

**50. Delegation of powers by the Authority.-** The Authority may, by general or special order in writing, delegate to the Chairperson or any other member or to any officer of the Authority, subject to such conditions and limitations, if any, as may be specified in the order, such of its powers and functions under this Act (except its powers under section 103) as it may deem necessary.

**51. Authentication of orders and other instruments of the Authority.-**All orders, decisions and other instruments of the Authority shall be authenticated by the signature of the Chairperson or any other member or any officer of the Authority authorised by it in this behalf.

**52. Appointment of officers, consultants and other employees of the Authority.-** (1) For the purpose of discharging its functions, the Authority shall appoint such number of officers and other employees as it may consider necessary on such terms and conditions as may be specified by regulations.

(2) The Authority may appoint, from time to time, any person as adviser or consultant as it may consider necessary, on such terms and conditions as may be specified by regulations.

**53. Power of the State Government to temporarily divest the Authority of the development and operation of any highway.-** (1) If, at any time, the State Government is of opinion that in the public interest it is necessary or expedient so to do, it may, by order, direct the Authority to entrust the development and operation of any highway or a part thereof with effect from such date and for such period and to such person as may be specified in the order and the Authority shall be bound to comply with such direction.

(2) Where development and operation of any highway or part thereof is entrusted to any person specified under sub-section (1) (hereafter in this section referred to as the authorised person), the Authority shall cease to exercise and discharge all its powers and functions under this Act in relation to such highway or part



thereof and such powers and functions shall be exercised and discharged by the authorised person in accordance with the instructions, if any, which the State Government may give to the authorised person from time to time:

Provided that no such power or function as may be specified by the State Government by a general or special order shall be exercised or discharged by the authorised person except with the previous sanction of the State Government.

(3) The State Government may reduce or extend the period mentioned in sub-section (1) as it considers necessary.

(4) During the operation of an order made under sub-section (1), it shall be competent for the State Government to issue, from time to time, such directions to the Authority as are necessary to enable the authorised person to exercise the powers and discharge the functions of the Authority under this Act in relation to the highway or part thereof, the operation of which has been entrusted to him and in particular, to transfer any sum of money from the Fund of the Authority to the authorised person for the operation of the highway or part thereof and every such direction shall be complied with by the Authority.

(5) On the cesser of operation of any order made under sub-section (1) in relation to any highway or part thereof, the authorised person shall cease to exercise and perform the powers and functions of the Authority under this Act in relation to such highway or part thereof and the Authority shall continue to exercise and perform such powers and functions in accordance with the provisions of this Act.

(6) On the cesser of operation of any order made under sub-section (1) in relation to any highway or part thereof, the authorised person shall hand over to the Authority any property (including any sum of money or other asset) remaining with him in connection with the operation of such highway or part thereof.

**54. Power of the State Government to supersede the Authority.-** (1) If, at anytime, the State Government is of the opinion-

- (a) that the Authority has persistently made default in complying with any direction issued by the State Government under this Act or in the discharge of the functions and duties imposed on it by or under the provisions of this Act; or
- (b) that circumstances exist which render it necessary in the public interest so to do,

the State Government may, by notification in the Official Gazette, supersede the Authority for such period, not exceeding one year, as may be specified in the notification:

Provided that before issuing a notification under this sub-section for the reasons mentioned in clause (b), the State Government shall give a reasonable opportunity to the Authority to show cause why it should not be superseded and shall consider the explanations and objections, if any, of the Authority.

(2) Upon the publication of a notification under sub-section (1) superseding the Authority,-

- (a) all the members shall, as from the date of supersession, vacate their offices as such;
- (b) all the powers, functions and duties which may, or under the provisions of this Act, be exercised or discharged by or on behalf of the Authority, shall, until the Authority is reconstituted under sub-section (3), be exercised and discharged by such person or persons as the State Government may direct; and
- (c) all property owned or controlled by the Authority shall, until the Authority is reconstituted under sub-section (3), vest in the State Government.

(3) On the expiration of the period of supersession specified in the notification issued under sub-section (1), the State Government may-

- (a) extend the period of supersession for such further term, not exceeding one year, as it may consider necessary; or
- (b) reconstitute the Authority by fresh appointment and in such a case, any person who vacated office under clause (a) of sub-section (2) shall not be deemed disqualified for appointment:

Provided that the State Government may, at any time before the expiration of the period of supersession whether as originally specified under sub-section (1) or as extended under this sub-section, take action under clause (b) of this sub-section.

(4) The State Government shall cause a notification issued under sub-section (1) or sub-section (3) and a full report of any action taken under this section and the circumstances leading to such action to be laid before the House of the State Legislature as soon as may be.

## CHAPTER VIII

### PROPERTY AND CONTRACTS OF THE AUTHORITY

**55. Power of the State Government to vest or entrust any highway in the Authority.-**The State Government may, from time to time, by notification in the Official Gazette, vest in, or entrust to, the Authority, such highway or any section thereof as may be specified in such notification.

**56. Transfer of assets and liabilities of the State Government to the Authority.-** (1) On and from the date of publication of the notification under section 55,-

- (a) all debts, obligations and liabilities incurred, all contracts entered into and all matters and things engaged to be done by, on behalf of, with, or for, the State Government, immediately before such date for or in connection with the purposes of any

highway or any section thereof vested in, or entrusted to, the Authority under that section, shall be deemed to have been incurred, entered into and engaged to be done by, with, or for, the Authority;

- (b) all non-recurring expenditure incurred by or for the State Government for or in connection with the purposes of any highway or any section thereof, so vested in, or entrusted to, the Authority, up to such date and declared to be capital expenditure by the State Government shall, subject to such terms and conditions as may be prescribed, be treated as capital provided by the State Government to the Authority;
- (c) all sums of money due to the State Government in relation to any highway or any section thereof, so vested in, or entrusted to, the Authority immediately before such date shall be deemed to be due to the Authority; and
- (d) all suits and other legal proceedings instituted or which could have been instituted by or against the State Government immediately before such date for any matter in relation to such highway or any section thereof may be continued or instituted by or against the Authority.

(2) If any dispute arises as to which of the assets, rights or liabilities of the State Government have been transferred to the Authority, such dispute shall be decided by the State Government.

**57. Compulsory acquisition of land for the Authority.-**

Any land required by the Authority for the purposes of this Act shall be deemed to be land needed for a public purpose and such land may be acquired for the Authority under sections 5 to 15 in Chapter II of this Act, as if it is an acquisition for and on behalf of the State Government.

**58. Contracts by the Authority.-** Subject to the provisions of section 59, the Authority shall be competent to enter into and perform any contract necessary for the discharge of its functions under this Act and such contracts may include long-term concessions for designing, construction, financing and operation of highways.

**59. Mode of executing contracts on behalf of the Authority.-** (1) Every contract shall, on behalf of the Authority, be made by the Chairperson or such other member or such officer of the Authority as may be generally or specially empowered in this behalf by the Authority and such contracts or classes of contracts as may be specified in the regulations shall be sealed with the common seal of the Authority:

Provided that no contract exceeding such value or amount as the State Government may prescribe in this behalf shall be made unless it has been previously approved by the State Government:

Provided further that no contract for the acquisition or sale of immovable property or for the lease of any such property for a term exceeding one year shall be made without previous approval of the State Government.

(2) Subject to the provisions of sub-section (1), the form and manner in which any contract shall be made under this Act shall be such as may be specified by regulations.

(3) No contract which is not in accordance with the provisions of this Act and the rules or regulations made thereunder shall be binding on the Authority.

## CHAPTER IX

### FUNCTIONS OF THE AUTHORITY

**60. Functions of the Authority.-** (1) Subject to the rules made by the State Government in this behalf, it shall be the function of the Authority to develop and operate the highways or other roads vested in, or entrusted to, it by the State Government:

Provided that the Authority may carry out any of its functions either by itself or through a concessionaire.

(2) Without prejudice to the generality of the provisions contained in sub-section (1), the Authority may, for the discharge of its functions, either itself or through other entities -

- (a) survey, develop and operate highways vested in, or entrusted to, it;
- (b) construct offices, workshops and other buildings necessary for discharge of its functions;
- (c) Subject to the provisions of Chapter VIII of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988) regulate and control the plying of vehicles on the highways vested in, or entrusted to, it for the safe and orderly operation thereof;
- (d) establish and maintain wayside amenities at or near the highways vested in, or entrusted to it;
- (e) lease, sub-lease, licence or sub-licence the wayside amenities or the land required for construction or operation thereof by other entities;
- (f) promote and enable the development of habitations, townships or industrial corridors in the vicinity of the highway, including acquisition of land for this purpose;
- (g) develop and provide consultancy and construction services in India and abroad and carry on research activities in relation to the development and operation of highways or any facilities thereat;
- (h) form one or more companies under the Companies Act, 2013(Central Act No. 18 of 2013) to further the efficient discharge of the functions imposed on it by this Act;
- (i) assist, on such terms and conditions as may be mutually agreed upon, any State Government in the formulation and implementation of schemes for highway development;

- (j) collect fees on behalf of the State Government for services or benefits rendered under section 18 of this Act, and such other fees on such terms and conditions as may be specified by the State Government;
- (k) undertake projects for promoting road safety and install equipments and devices to enhance road safety;
- (l) undertake measures associated with road safety, including timely responses for provision of ambulances and trauma care;
- (m) undertake and promote studies and research relating to road safety;
- (n) undertake road safety awareness programmes and conduct training and orientation courses on traffic regulation and road safety; and
- (o) take all such steps as may be necessary or convenient for, or may be incidental to, the exercise of any power or the discharge of any function conferred or imposed on it by this Act.

(3) Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, the Authority may regulate the operation of highways by regulations to be made for and in respect of -

- (a) upkeep and inspection of highways;
- (b) safety of users;
- (c) road safety standards and procedures;
- (d) the manner of preventing obstructions on highways;
- (e) the manner of prohibiting the parking or waiting of vehicles on highways, except at places earmarked for this purpose;
- (f) the manner of prohibiting or restricting access to any part of the highway;
- (g) the manner of regulating or restricting advertisements on and around highways; and

(h) generally for the efficient and proper operation of highways.

(4) Nothing contained in this section shall be construed as -

(a) authorising the disregard by the Authority of any law for the time being in force; or

(b) authorising any person to institute any proceeding in respect of a duty or liability to which the Authority or its officers or other employees would not otherwise be subject under this Act.

(5) The Authority may engage, or entrust any of its functions to, any person on such terms and conditions as may be specified by regulations or as may be approved by the State Government, including award of concessions for development, financing and operation of highways, or for operation of highways and collection of fees.

(6) Without prejudice to the generality of the provisions of sub-sections (1) and (2), the Authority may, in consultation with the State Government, plan, promote and enable the development of habitations, townships or industrial corridors, in the vicinity of the highway with the objective of accelerating the economic development of such areas and for optimizing the benefits of a highway. Such habitations, townships and industrial corridors shall be developed with prior approval of the State Government and on such terms and conditions as may be specified in such approval. The Authority may, after issue of the notification under sub-section (3) of section 1, acquire land for development of such habitations, townships or industrial corridors as if such acquisition is for the purpose of a highway.

(7) The Authority may advise the State Government on any matter relating to or associated with -

(a) policies in respect of the development and operation of highways;

(b) policies and rules relating to road safety; and

(c) road safety standards and procedures.



**61. Authority to act on business principles.-** In the discharge of its functions under this Act, the Authority shall act, so far as may be, on business principles.

**62. Power of the Authority to undertake certain works.-** The Authority may undertake to carry out on behalf of the State Government or any local authority any works or services or any class of works or services on such terms and conditions as may be agreed upon between the Authority and the State Government or the local authority concerned.

**63. Maintenance of highway plans.-** (1) The Authority shall maintain authoritative plans for the highways entrusted to it under this Act.

(2) The plans referred to in sub-section (1) shall show the boundaries of the highway, the detailed measurements of road widths, the distances between boundary marks and sufficient measurements from fixed points to enable the re-fixation of the position of boundary marks, in case they have been displaced or tempered with.

(3) The Authority shall have all such authoritative plans prepared after having a survey made of the highway and their boundaries in the manner prescribed.

**64. Demarcation of boundaries.-** (1) The Authority shall have the boundaries of the highways in its charge demarcated with reference to the authoritative plans maintained by it, by planting stones or other suitable marks of durable nature at intervals all along the highway in such a manner that the imaginary line joining such stones or marks shows the road boundary correctly.

(2) Where there are bends or kinks in the road boundary, the stones or marks shall be so located as to give the correct configuration of the boundary if they are joined by straight lines.

(3) The boundary stones or marks, which may be given consecutive numbers, shall be maintained on the ground as if they constitute part of the highway.

(4) The Authority shall conduct regular check of the boundaries of the highways entrusted to it for the purpose of removing unauthorised encroachments, if any.

(5) When an unauthorised encroachment has been made on the highway, the Authority shall take immediate steps as specified in section 42 for the removal thereof.

**65. Exercise of powers by the Authority and its officers.-**

Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, all powers to be exercised, and the functions and duties to be discharged, by the State Government under sections 28 to 43 in Chapters IV, V and VI of this Act shall be exercised or discharged by the Authority for and in respect of the highways vested in, or entrusted to it under section 55, and for this purpose, the Authority may authorise any of its officers to exercise such powers or discharge such functions and duties as it may deem fit.

**66. Authority to be bound by directions of the State Government.-** (1) Without prejudice to the other provisions of this Act, the Authority shall, in the discharge of its functions and duties under this Act, be bound by such directions on questions of policy as the State Government may give to it in writing from time to time.

(2) The decision of the State Government whether a question is one of policy or not shall be final.

## CHAPTER X

### FINANCE, ACCOUNTS AND AUDIT OF THE AUTHORITY

**67. Additional capital and grants to the Authority by the State Government.-** The State Government may, after due appropriation made by the Rajasthan State Legislature by law in this behalf,-

- (a) provide any capital that may be required by the Authority for the discharge of its functions under this Act or for any purpose connected therewith

on such terms and conditions as the State Government may determine; and

- (b) pay to the Authority, on such terms and conditions as the State Government may determine, by way of loans or grants such sums of money as the State Government may consider necessary for the efficient discharge by the Authority of its functions under this Act.

**68. Fund of the Authority.-** (1) There shall be constituted a Fund to be called the Rajasthan State Highways Authority Fund and there shall be credited thereto-

- (a) any grant or aid received by the Authority;
- (b) any loan taken by the Authority or any borrowings made by it; and
- (c) any other sums received by the Authority.
- (2) The Fund shall be utilized for meeting-
- (a) expenses of the Authority in the discharge of its functions having regard to the purposes for which such grants, loans or borrowings are received and for matters connected therewith or incidental thereto;
- (b) salary, allowances, other remuneration and facilities provided to the members, officers and other employees of the Authority; and
- (c) expenses on objects and for purposes authorised by this Act.

**69. Budget.-** The Authority shall prepare, in such form and at such time in each financial year as may be prescribed, its budget for the next financial year, showing the estimated receipts and expenditure of the Authority and forward the same to the State Government.

**70. Investment of funds.-** The Authority may invest its funds (including any reserve fund) in the securities of the State Government or fixed deposits of scheduled commercial banks or in such other manner as may be prescribed.

**71. Borrowing powers of the Authority.-** (1) The Authority may, with the consent of the State Government or in accordance with the terms of any general or special authority given to it by the State Government, borrow money from any source by the issue of bonds, debentures or such other instruments as it may deem fit for discharging all or any of its functions under this Act.

(2) The provisions of sub-section (1) shall apply to all commitments of payment exceeding rupees fifty crore per annum under any concession for financing and development of a highway, as if such financing is a borrowing of money by the Authority.

(3) Subject to such limits as the State Government may, from time to time, lay down, the Authority may borrow temporarily by way of overdraft or otherwise, such amounts as it may require for discharging its functions under this Act.

(4) The State Government may guarantee in such manner as it thinks fit the repayment of the principal and the payment of interest thereon with respect to the borrowings made by the Authority under sub-section (1) or the commitments of payment made under sub-section (2).

**72. Annual report.-** The Authority shall prepare, in such form and at such time in each financial year as may be prescribed, its annual report, giving a full account of its activities during the previous financial year and its plans for development and operation of highways in the forthcoming year, and submit a copy thereof to the State Government. Every annual report shall also contain a review of the performance of the Authority in respect of the plans contained in the preceding annual report.

**73. Accounts and audit.-** The accounts of the Authority shall be maintained and audited in such manner as the State Government may, in consultation with the Comptroller and Auditor General of India, prescribe and the Authority shall furnish, to the State Government before such date as may be prescribed, its audited copy of accounts together with the auditor's report thereon.

**74. Annual report and auditor's report to be laid before the State Legislature.-** The State Government shall cause the annual report of the Authority and the auditor's report to be laid, as soon as may be, after they are received, before the House of the State Legislature.

## CHAPTER XI

### OFFENCES AND PENALTIES

**75. Unauthorised use of highway.-** (1) Whoever uses a highway or part thereof for any purpose other than for which the usage of the highway is authorised by this Act or the rules made thereunder shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine which may extend to twenty thousand rupees, or with both.

(2) A person entering a highway in violation of the provisions of this Act shall be guilty of criminal trespass and shall be punishable as such.

**76. Unauthorised access to highway.-** (1) Whoever, unauthorisedly connects any highway or part thereof with any road or passage without lawful authority shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to one lakh rupees, or with both, and in the case of a continuing offence, with a daily fine which may extend to fifty thousand rupees; and if it is proved that any means exist for causing such access, it shall be presumed, until the contrary is proved, that such access has been knowingly and wilfully caused by such person.

(2) Whoever obtains access to a highway or a part thereof in violation of the provisions of section 29 shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine which may extend to twenty thousand rupees, or with both.

**77. Unauthorised occupation of a highway.-** (1) If any person, who has been evicted from any unauthorised occupation on a highway land under this Act, again occupies any highway land

without permission for such occupation under this Act, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine which shall not be less than two thousand rupees per square meter of the so occupied highway land but which shall not exceed two times the cost of private land adjacent to the highway land, or with both.

(2) Any court, convicting a person under sub-section (1), may make an order for evicting that person from such occupied highway land summarily and he shall be liable to such eviction without prejudice to any other action that may be taken against him.

**78. Use of highway without payment of fee.-** Whoever uses a highway or part thereof without payment of the fee due for such use shall be punishable with imprisonment which may extend to one month or with a fine of two thousand rupees or a fine equal to twice the fee payable for use of the highway by the offending vehicle for a distance of one hundred kilometres, whichever is higher, and such fine shall be imposed in addition to the fee due and payable under this Act and the rules made thereunder.

**79. Unsafe driving.-** Subject to the provisions of Chapter VIII of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988), whoever engages in or abets driving on a highway,-

- (a) at a speed exceeding the maximum permissible speed on a highway by more than ten kilometres per hour of such maximum permissible speed;
  - (b) in a state of intoxication or inebriation; or
  - (c) a goods vehicle which exceeds its maximum permissible load by more than ten per cent thereof,
- shall be deemed to cause danger to the life and property of users of the highway and shall be punishable with imprisonment for a term that may extend to six months, or a fine which may extend to twenty thousand rupees, or with both.

**80. Mischief by injury to highway.-** Whoever commits mischief by doing any act which renders or which he knows to be likely to render any highway impassable or less safe for travelling or conveying property, or wilfully causes damage to a highway, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to five years, or with a fine which shall not be less than ten thousand rupees but which may extend to one lakh rupees, or with both.

**81. Defacing road signs and signals.-** Whoever maliciously or wilfully damages, defaces, alters, modifies or removes any road sign, signal, indicator, or apparatus on the highway shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine which may extend to fifty thousand rupees, or with both; and if it is proved that any means exist for causing such damage, defacing, alteration, modification or removal, it shall be presumed, until the contrary is proved, that such damage, defacing, alteration, modification or removal, as the case may be, has been maliciously or wilfully caused by such person.

**82. Seizure and impounding of vehicle.-** (1) Without prejudice to any other provision of this Act, a vehicle which is used in the course of any offence or for violation of any provision of this Act shall be liable to seizure and impounding, together with any goods loaded on it, by an officer of the State Government, Authority or concessionaire, as the case may be, who is authorised by the State Government or by the Authority in this behalf.

(2) The officer seizing vehicle under sub-section (1) shall, within twelve hours from the seizure, file a complaint of the offence in the Court having jurisdiction and report the seizure of the vehicle, together with any goods loaded in it, to the said Court and the Court shall deal with the vehicle and the goods loaded in it, if any, under Chapter XXXIV of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974).

(3) If a vehicle impounded under sub-section (1) is parked at any place forming part of the highway, its owner or occupier shall be liable to payment of parking charges for each hour or part

thereof, which charges shall be equal to the fee payable for use of the highway by such vehicle for a distance of fifty kilometres.

**83. Seizure or compounding by officer of the concessionaire.-** (1) If an officer of the concessionaire authorised by the State Government or by the Authority in this behalf exercises any powers to seize or impound any vehicle under this Act, he shall comply with the following:-

- (a) he shall wear a light blue uniform and a dark blue cap, with his name displayed on his chest, and shall carry an identity card issued by the concessionaire and countersigned by an officer of the State Government authorised for this purpose;
- (b) he shall capture, or caused to be captured, the offence on a camera and show the same on demand to the person accused of such offence; and
- (c) he shall, within twelve hours from the seizure, file a complaint of the offence to the Court having jurisdiction and report the seizure of the vehicle, together with any goods loaded in it, to the said Court and the Court shall deal with the vehicle and the goods loaded in it, if any, under Chapter XXXIV of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974).

(2) No officer of the concessionaire shall be authorised by the State Government or by the Authority to seize or impound any vehicle or conduct any search or seizure under this Act unless he is a person who has served in the police or in any armed force of the Central Government or any State Government for a period of at least 5 (five) years and has retired (not resigned or dismissed) in the rank of at least an inspector of police or equivalent and fulfills such other conditions as may be prescribed.

(3) An officer of the concessionaire acting under the provisions of this Act shall be deemed to be acting on behalf of the concessionaire in pursuance of the provisions of sub-section (3) of section 19 of this Act.



**84. Punishment for non-compliance of orders or directions.-** Whoever, fails to comply with any order or direction given under this Act by the State Government or the Authority or any officer authorised by the State Government or the Authority in this behalf, as the case may be, within such time as may be specified in the said order or direction or contravenes or attempts or abets the contravention of any of the provisions of this Act or any rules or regulations made thereunder, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine, which may extend to one lakh rupees, or with both, in respect of each offence and in the case of a continuing failure, with an additional fine which may extend to twenty thousand rupees for every day during which the failure continues.

**85. Power of police to investigate.-** For the purposes of investigation of an offence punishable under this Act, a police officer shall have all the powers as provided in Chapter XII of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974).

**86. Offences by companies.-** (1) Where an offence under this Act has been committed by a company, every person who, at the time the offence was committed, was in charge of, and was responsible to the company for the conduct of, the business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment provided in this Act, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he had exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed by a company, and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of, any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer

shall also be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

**Explanation.-**For the purposes of this section-

- (a) “company” means any body corporate and includes a firm or other association of individuals; and
- (b) “director” means a whole time director in the company and in relation to a firm means a partner in the firm.

**87. Power of search and seizure.-** (1) Any officer of the State Government, Authority or concessionaire, as the case may be, authorised in this behalf by the State Government or by the Authority, may-

- (a) enter, inspect, break open and search any vehicle which he has reason to believe is involved in an offence under this Act;
- (b) search, seize and remove all such devices, instruments or articles which have been, or are being, used for such offence; and
- (c) examine or seize any documents which in his opinion shall be useful for or relevant to, any proceedings in respect of the offence under this sub-section (1) and allow the person from whose custody such documents are seized to make copies thereof or take extracts therefrom in his presence.

(2) The occupant of the vehicle of search or any person on his behalf shall remain present during the search and a list of all things seized in the course of such search shall be prepared and delivered to such occupant or person who shall sign the list.

(3) The provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974), relating to search and seizure shall apply, as far as may be, to searches and seizure under this Act.

**88. Factors to be taken into account by courts.-** While adjudicating the quantum of penalties and fines to be imposed

under this Act, the court shall have due regard to the following factors, namely:-

- (a) the amount of potential gain or unfair advantage, wherever quantifiable, made as a result of the offence;
- (b) the repetitive nature of the offence; and
- (c) the damage caused or danger posed to users of a highway or to other persons; and damage to any property or works comprising a highway.

## CHAPTER XII MISCELLANEOUS

**89. Application of the Rajasthan State Road Development Fund Act, 2004.-** Notwithstanding anything to the contrary contained in the Rajasthan State Road Development Fund Act, 2004 (Act No. 13 of 2004), the State Government shall, in accordance with the provisions of section 9 of that Act, earmark at least fifty per cent of the funds collected under that Act in any year, for the development and maintenance of state highways, and the provisions of that Act shall be deemed to be amended to the extent specified in this section.

**90. Delegation of powers by the State Government.-** (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, direct that any power exercisable by it (except the powers conferred by section 102) under this Act shall, subject to such conditions, if any, as may be specified in the notification, be exercisable by the Authority or any other authority or by an officer of the State Government or the Authority, as may be specified in the notification.

(2) Where the Act so provides, the State Government may, by order authorise such-

- (a) gazetted officer of the State Government; or
- (b) officer of the Authority, equivalent to a gazetted officer of the State Government,

to exercise such powers and discharge such functions of the State Government as may be specified in the order.

(3) The State Government may specify in the order made under sub-section (1) or sub-section (2), the limits of the highway within which or the length of the highway on which an officer appointed under that sub-section shall exercise the powers and discharge the functions.

(4) The State Government may by notification in the Official Gazette, authorise such employee of the concessionaire or any other person, as it deems suitable, to regulate traffic under this Act and to exercise such powers and discharge such functions in respect thereof as may be specified in the notification, and any person acting in pursuance of such notification shall be deemed to be the authority or the authorised officer under that Act for the purposes of exercising the powers and discharging the functions specified in such notification.

**91. District Road Safety Council.-** (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, constitute a Council to be called the District Road Safety Council in every district in the State.

(2) Every District Road Safety Council shall consist of the following members, namely:-

- (a) the District Collector *-ex-officio*; who shall be the Chairman of the Council;
- (b) the District Superintendent of Police *-ex-officio*;
- (c) the Superintending Engineer (Roads and Bridges) having jurisdiction over the district *-ex-officio*;
- (d) an officer of the Authority having jurisdiction over the district to be nominated by the Chairperson of the Authority *-ex-officio*;
- (e) an officer of the National Highways Authority of India to be nominated by the Chairperson of that Authority *-ex-officio*;

- (f) the regional transport officer having jurisdiction over the headquarters of the District *-ex-officio*; who shall be the Member-Secretary of the Council;
- (g) an expert in the field of road safety, to be nominated by the State Government; and
- (h) a person representing a non-government organisation having experience in road safety matters, to be nominated by the District Collector.

(3) The District Road Safety Council shall exercise such powers and perform such functions, as the State Government may, from time to time, delegate under this Act.

**92. District Road Safety Council to submit reports etc.-**

Every District Road Safety Council shall submit such reports and returns and furnish such information to the State Government, as may be required from time to time, and the State Government shall compile and cause to be laid a consolidated report before the House of the State Legislature for and in respect of each year.

**93. Finality of orders.-** Save as otherwise expressly provided in this Act, every order made or any action taken by the State Government or the Authority or an officer authorised in this behalf by the State Government or the Authority, as the case may be, shall be final and shall not be called in question in any original suit, application or execution proceeding and no injunction shall be granted by any court or other authority in respect of any action taken or to be taken in pursuance of any power conferred by or under this Act on the State Government, Authority or the officer authorised in that behalf.

**94. Appeal.-** (1) Any person aggrieved by a decision or order of any officer authorised by the State Government in that behalf may file an appeal to the Divisional Commissioner having jurisdiction, within sixty days from the date of communication of the decision or order to him:

Provided that the Divisional Commissioner may, if he is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from

filing the appeal within the said period, allow it to be filed within a further period not exceeding sixty days.

(2) Any person aggrieved by a decision or order of any officer authorised by the Authority in that behalf may file an appeal to a Member of the Authority designated by the Authority in this behalf, within sixty days from the date of communication of the decision or order to him:

Provided that such Member of the Authority may, if he is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal within the said period, allow it to be filed within a further period not exceeding sixty days.

(3) Any person aggrieved by a decision or order of the Divisional Commissioner or Member of the Authority, as the case may be, may file an appeal to the High Court within sixty days from the date of communication of the decision or order to him, on any one or more of the grounds specified in section 100 of the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act No. 5 of 1908):

Provided that the High Court may, if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal within the said period, allow it to be filed within a further period not exceeding sixty days.

**95. Bar of jurisdiction.-** Save as provided in this Act, no appeal shall lie in any court or other authority and no civil court shall have any jurisdiction in respect of any matter in respect of which the State Government or the Authority, or any officer authorised by the State Government or the Authority in that behalf is empowered by or under this Act and no injunction shall be granted by any court or other authority in respect of any action taken or proposed to be taken in pursuance of any power conferred by or under this Act.

**96. Conduct of inquiry.-** An officer authorised in this behalf under this Act shall, if he decides to make any inquiry for the purposes of this Act, make a summary inquiry in such manner as may be prescribed.

**97. Employees of the Authority and the concessionaire to be public servants.-** All members, officers and employees of the Authority or the concessionaire shall, when acting or purporting to act in pursuance of the provisions of this Act or of any rule or regulation made thereunder, be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act No. 45 of 1860).

**98. Protection of action taken in good faith.-** (1) No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Authority or any member or officer or employee of the Authority for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or the rules or regulations made thereunder.

(2) No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Authority or any member or officer or employee of the Authority for any damage caused or likely to be caused by anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or the rules or regulations made thereunder.

**99. Powers and duties of police.-** Every police officer shall forthwith furnish information to the nearest officer of the Authority or any officer subordinate thereto of any offence under this Act coming to his knowledge and shall be bound to assist the Authority and its officers and employees in the exercise of their lawful authority.

**100. Duty of village officials.-** Wherever any village headman, village accountant, village watchman or other village official, by whatever name called, becomes aware of any offence involving unauthorised occupation, damage or destruction of a highway, he shall forthwith inform the nearest police station or the nearest office of the Authority or any officer authorised in this behalf by the State Government or the Authority, the commission of such offence and shall also be duty bound to assist the State Government or the Authority and such authorised officer in prosecuting the offender of the offence.

**101. Power to enter.-** Subject to any rules made in this behalf, any person, generally or specially authorised by the State Government or the Authority in this behalf, may, whenever it is necessary so to do for any of the purposes of this Act, at all reasonable times, enter upon any land or premises, and-

- (a) make any inspection, survey, measurement, valuation or enquiry;
- (b) take levels;
- (c) dig or bore into sub-soil;
- (d) set out boundaries and intended lines of work;
- (e) mark such boundaries and lines by placing marks and cutting trenches; or
- (f) do such other acts or things as may be prescribed:

Provided that no such person shall enter any boundary or any enclosed court or garden attached to a dwelling house (except with the consent of the occupier thereof) without previously giving such occupier at least twenty-four hours' notice in writing of his intention to do so.

**102. Power of the State Government to make rules.- (1)**

The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the provisions of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for-

- (a) the manner for maintaining records in which lands are shown and the manner of proving claim for correction of such records, under sub-section (2) of section 4;
- (b) the manner of depositing of amount of compensation, under sub-section (1) of section 8;
- (c) the manner and terms of determining the amount of compensation, under sub-section (1) of section 11;
- (d) the manner of depositing the amount by the State Government, under sub-sections (1) and (6) of section 13;



- (e) the development and operation of a highway by the Authority or any officer or authority subordinate to the State Government, under sub-section (1) of section 16;
- (f) upkeep and inspection of highways, under clause (a) of sub-section (2) of section 16;
- (g) safety of users, under clause (b) of sub-section (2) of section 16;
- (h) road safety standards and procedures, under clause (c) of sub-section (2) of section 16;
- (i) the manner of preventing obstructions on the highway, under clause (d) of sub-section (2) of section 16;
- (j) the manner of prohibiting parking or waiting of vehicles on highways, under clause (e) of sub-section (2) of section 16;
- (k) the manner of prohibiting or restricting access to any part of the highway, under clause (f) of sub-section (2) of section 16;
- (l) the manner of regulating or restricting advertisements, under clause (g) of sub-section (2) of section 16;
- (m) matters generally for the efficient and proper operation of highways, under clause (h) of sub-section (2) of section 16;
- (n) the rates at which fees for services rendered in relation to the use of a highway may be levied, the exemption from payment of fees for vehicles engaged in specified public purposes, and the manner and form in which such fees shall be tendered and collected, under section 18;
- (o) the manner of collecting and retaining fees, under sub-section (2) of section 19;

- (p) authorising the use of any class, category or location of lands, under section 20;
- (q) the form of application and the information to be provided therein for constructing building or other work in the control zone, under sub-section (2) of section 21;
- (r) the form of application and quantum of fees to be accompanied therewith and the terms and conditions for permission, under sub-section (2) of section 30;
- (s) the form of licence, the period and the manner of renewal of such licence, under sub-section (3) of section 30;
- (t) the limit of laden weight and the provisions subject to which the plying of vehicles on the highways may be prohibited, under section 33;
- (u) the traffic signs to be placed or erected, under section 36;
- (v) the safety and control for allowing any vehicle or animal to stand or proceed on a highway under sub-section (1) of section 38;
- (w) the form of application, under sub-section (2) of section 39;
- (x) the fees and other charges to be imposed, under sub-section (3) of section 39;
- (y) the conditions subject to which, the rent and other charges on payment of which and the form in which the permit may be issued, under sub-section (2) of section 40;
- (z) the conditions, payment of rent and other charges for grant of lease or licence of highway land, under section 41;

- (za) the feasible cost for making construction including alteration of any construction, under sub-section (7) of section 42;
- (zb) the additional matter in respect of which an officer authorised by the State Government may exercise the powers of a civil court, under sub-section (8) of section 42;
- (zc) the form of bill for removal of unauthorised occupation of highway land, under sub-section (2) of section 43;
- (zd) the conditions of service of members, under section 45;
- (ze) the terms and conditions for non-recurring expenditure being treated as capital, under clause (b) of sub-section (1) of section 56;
- (zf) the value of contract, under sub-section (1) of section 59;
- (zg) the manner in which the survey of the highway and its boundaries is to be made, under sub-section (3) of section 63;
- (zh) the form and the time within which the Authority shall prepare its budget, under section 69;
- (zi) the manner in which the Authority may invest its funds, under section 70;
- (zj) the form and time within which the Authority shall prepare its annual report, under section 72;
- (zk) the manner in which the accounts of the Authority shall be maintained and audited and the date before which the audited copy of the accounts together with the auditor's report thereon shall be furnished to the State Government, under section 73;
- (zl) the conditions to be fulfilled by a person who is authorised, under sub-section (2) of section 83; and
- (zm) the manner of summary inquiry, under section 96.

**103. Power of the Authority to make regulations.- (1)**

The Authority may, by notification in the Official Gazette, make regulations not inconsistent with this Act and the rules made thereunder to carry out the provisions of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such regulations may provide for all or any of the following matters, namely:-

- (a) the time, place and rules of meetings, under sub-section (1) of section 48;
- (b) terms and conditions of employment of officers and other employees, under sub-section (1) of section 52;
- (c) terms and conditions of employment of advisers or consultants, under sub-section (2) of section 52;
- (d) the class or classes of contracts, under sub-section (1) of section 59;
- (e) the form and manner of contract, under sub-section (2) of section 59;
- (f) upkeep and inspection of highways, under clause (a) of sub-section (3) of section 60;
- (g) safety of users, under clause (b) of sub-section (3) of section 60;
- (h) road safety standards and procedures, under clause (c) of sub-section (3) of section 60;
- (i) the manner of preventing obstructions on the highways, under clause (d) of sub-section (3) of section 60;
- (j) the manner of prohibiting the parking or waiting of vehicles on highways, except at places earmarked for this purpose, under clause (e) of sub-section (3) of section 60;
- (k) the manner of prohibiting or restricting access to any part of the highway, under clause (f) of sub-section (3) of section 60;

- (l) the manner of regulating or restricting advertisements on and around highways, under clause (g) of sub-section (3) of section 60;
- (m) matters generally for the efficient and proper operation of highways, under clause (h) of sub-section (3) of section 60;
- (n) the terms and conditions for operation of highways and collection of fees, under sub-section (5) of section 60.

**104. Act to have overriding effect.-** The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force or in any instrument having effect by virtue of any law other than this Act.

**105. Power to remove difficulties.-** (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by notification in the Official Gazette, make an order not inconsistent with the provisions of this Act as may appear to it to be necessary or expedient for the removal of the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiration of two years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before the Rajasthan State Legislature.

**106. Rules and regulations to be laid before the Rajasthan State Legislature.-**Every rule and every regulation made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is so made, before the House of the State Legislature, while it is in session, for a period of not less than fourteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions and if before the expiry of the session in which it is so laid or of the sessions immediately following, the House of the State

Legislature makes any modification in the rule or resolves that the rule or regulations should not be made, the rule or regulations, as the case may be, shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

**107. Repeal and savings.-** (1) The Rajasthan Highways Act, 1995 (Act No. 27 of 1995) and the Rajasthan Road Development Act, 2002 (Act No. 5 of 2002) are hereby repealed.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) but without prejudice to the provisions of the Rajasthan General Clauses Act, 1955 (Act No. 8 of 1955), any rule, notification, or order made or issued or any contracts entered into or any fee levied or rates fixed under the Rajasthan Road Development Act, 2002 (Act No. 5 of 2002) shall, so far as they are not inconsistent with the provisions of this Act, continue to be in force until they are repealed or superseded by any rule, notification, order or contract, as the case may be, made, issued or entered into under this Act.

—————  
The Schedule

[See section 3]

**STATE HIGHWAYS**

Serial No.	State Highway No.	Description of State Highways
1.	1	Jhalawar to Mathura via Jhalarapatan, Khandiya Choraha, Baran, Mangrol, Itawa, Laban, Lakheri, Indergarh, Sawai Madhopur, Bhadoti, Gangapur, Hindaun, Bayana and Bharatpur.
2.	2	Dausa to Kuchaman via Lawan, Tunga, Phagi, Dudu, Sambhar, Nawan, Palari and Kuchaman.

3.	2A	Dholpur (NH-3) to Rajakhera up to State Border.
4.	2B	Palari to Khatu via Managlana and Makrana.
5.	2C	Jaipur to Nawan via Jobner and Pachkodiya.
6.	3	Ganganagar to Bikaner via Padampur, Raisinghnagar, Anupgarh, Gharsana and Chattargarh.
7.	6	Dungargarh (NH-11) to Rajgarh via Sardarshahar and Taranagar.
8.	6A	Sawai Bari (SH-6) to Sattasar via Varsisar and Lunkaransar.
9.	7	Kishangarh to Sangaria via Roopangarh, Parbatsar, Manglana, Kuchaman, Losal, Salasar, Ratangarh, Sardarsahar, Pallu, Rawatsar and Hanumangarh.
10.	7A	Hanumangarh to Abohar via Sadulshahar.
11.	7B	Sadulshahar Ganganagar, Mirzawala and Karanpur.
12.	7C	Ratangarh to Talchhapar.
13.	7D	Ranasar (SH-7) to Ladunun via Daulatpura and Deedwana.
14.	7E	Sarwar to Kishangarh via Arai.
15.	8	Sikar to Luharu up to State Border via Nawalgarh, Jhunjhunu, Chirawa and Surajgarh.
16.	8A	Sikar to Pachkodia via Lalas, Ghatwa, Danta Ramgarh and Renwal.
17.	8B	Jatawali to Kaladera via Chomu.
18.	9	Dabok (NH-76) to Chittaurgarh via Mavali, Bhopalsagar and Kapasan.
19.	9A	Katunda to Shri Chhatarpura via Barodia, Chechat and Ramganj Mandi.
20.	9B	Suket to Ramganj Mandi.
21.	11	Sanchore (NH-15) to Abu Road via Raniwara Kalan and Mandar.

22.	12	Sanganer to Kankroli via Phagi, Diggi, Malpura, Sanwariya, Kekari, Shahpura, Mandal and Bhilwara.
23.	13	Alwar to Rajgarh via Kushalgarh, Talvarksh, Narayanpur, Thanagazi, Ghata Bhandrol, Shahpura, Kanwat, Neem ka Thana, Khetri, Singhana, Chirawa and Pilani.
24.	14	Bharatpur to Narnaul (State Border) via Deeg, Nagar, Meo ka Baroda, Baggar ka Tiraha, Alwar, Beharor, Tatarpur and Bardod.
25.	15	Mangalwar to Neemach up to State border via Dungala, Badi Sadari and Chhoti Sadari.
26.	16	Chawa to Amaratiya (NH-8) via sindri, Jalore, Sanderao, Sadari and Desuri.
27.	19	Phalodi (NH-15) to Nedar via Aahu, Pachudi, Nagaur, Tarneu, Khatu Kalan, Khatu khurd, Toshina, Kuchaman, Bhuni, Maroth, Deoli Minda, Renwal Crossing and Kaladera.
28.	19A	Jhalawar to Aagar (State Border) via Pipaliya, Suliya, Bhawani Mandi and Dug.
29.	19B	Mangrol (SH-1) to Rajpura via Bambori Kalan.
30.	20	Sikar to Nokha via Salasar, Sujangarh and Talchhapar.
31.	21	Dantiwara to Mertacity via Piparcity and Borunda.
32.	21A	Parbatsar up to NH-89 Junction via Piplad, Bagaut, Harsore, Bherunda and Dodiya.
33.	22	Mandrayal to Pahadi upto State Border via Karauli, Hindaun, Mahuwa, Kathoomar Kherli and Nagar.
34.	23	Bharatpur (NH-11-Uncha Nagla) to Dholpur (NH-11B) via Roopwas and Sepau.
35.	24	Bhadoti Mod (SH-1) to Bassi via Junction of NH-11B Lalsot and Tunga.



36.	25	Dharuhera to Gangapur via Bhiwadi, Tapookara, Tijara, Kishangarh Bas, Alwar, Rajgarh, Bandikui, Sikandara, Gangapur and Gadi Sawai Ram.
37.	25A	Tehla to Gadi Sawai Ram (SH-35) via Rajgarh.
38.	26	Nasirabad to Deoli (SH-12) via Kekri.
39.	27	Sirohi (NH-14) to Deesa up to District Border via Mandar.
40.	28	Phalodi (NH-15) to Ramji ki Gol via Daechu, Shergarh, Pachpadara, Balotra, Sindri and Guda-Malani.
41.	28B	Pachpadra (NH-112) to Bagundi.
42.	29	Uniarra (NH-116) to Bijoliya (NH-76) via Bundi, Indergarh, Lakheri up to NH-76.
43.	29 A	NH- 11A (Km.13/300) to Sirska via Tehla.
44.	30	Sawai Madhopur (NH-116) to Palighat up to State Border.
45.	31	Jalore (SH-16) to Raniwara Kalan (SH-11) via Ramseen Bhinmal.
46.	32	Sadari (SH-16-62) to Banswara via Ranakpur, Gogunda, Udaipur, Salumber Aspur, Sabala, Lohariya and Ganoda.
47.	33	Rawatbhata (SH-9A) to Laban via Kota, Keshoraipatan and Kapren.
48.	34	Tonk to Keshoraipatan via Nagar, Nainwa and Khatkad.
49.	35	Mahuwa to Govindgarh (SH-45) via Gadi Sawai Ram and Laxmangarh.
50.	36	Churu (NH-65) to Ganganagar via Taranagar, Sahawa, Nohar, Thaladaka, Munda, Hanumangarh and Lalgargh.
51.	37	Chomu (NH-11) to Churu via Ajeetgarh, Shrimadhampur, Khandela and Udaipurwati.

52.	37A	Dudu to Manoharthana via Malpura, Todaraisingh, Nainwa, Khatkad, Kapren, Barod and Baran.
53.	37B	Kotputali (NH-8) to Losal (SH-7) via Patan, Neemka Thana, Chala, Udaipurwati, Sikar and Dhod.
54.	37C	Udaipuriya Mod (NH-11) to Mundru (SH-37) via Khejroli.
55.	38	Sirohi (NH-14) to Balotra (NH-112) via Jawal, Kalandri, Ramseen, Jalore, Mokalsar and Siwana.
56.	39	Satur (NH-12) to Mundwa via Jahajpur, Shahpura, Vijaynagar, Beawar, Mertacity, Lambia, Merta road and Khajwana.
57.	40	Gadara road to Nachana via Pokharan, Barmer, Chawa, Baytoo, Kanod, Phalsoond, Miniyana and Pokharan.
58.	41	Fatehpur to Rajgarh via Jhunjhunu, Alsisar and Malsisar.
59.	42	Bari (NH-11B) to Kheragarh up to State Border via Saipau and Basai-Nawab.
60.	43	Bari (NH-11B) to Sonkh up to State Border via Baseri, Bandh-Baretha, Uchchain and Bharatpur.
61.	44	Natani ka Bara to Kaman Koshi Road via Mala Khera, Laxmangarh, Kathoomar, Nadbai and Deeg.
62.	45	Ramgarh (SH-13) to Fatehpur Sikri (up to State Border) via Govindgarh, Sikri, Nagar, Nadbai, Weir, Bayana and Radwal.
63.	48	Chhani to Rani.
64.	49	Mavli to Charbhujaji (SH-16) via Nathdwara and Kelwara.
65.	51	Kota to Dharnawada up to State Border via Ladpura, Sangod and Chhabara.

66.	52	Ajaraka (SB) to Tala via Mundawar, Sodawas, Harsora, Narayanpur and Thanagazi.
67.	53	Bhindar to Rishabhdeo via Bambora, Salumbar and Kalyanpur.
68.	54	Aspur to Sarthuna via Punjpur, Punali, Dobra, Simalwara and Peeth.
69.	55	Gudha (SH-52) to Jaipur (NH-8) via Kishori, Sidhka Tibara, Jhiri, Andhi and Ramgarh.
70.	56	Mandri (SH-12) to Lassani Tal up to NH-8 via Amet and Devgarh.
71.	57	Mokhampura (NH-8) to Sambhar via Phulera.
72.	58	Jodhpur to Bhim up to NH-8 via Vinayaka, Rajola, Sojat City, Rendiri, Bhaisana, Sojat Road, Kantaliya and Baban.
73.	59	Beawar to Nimbi Jodha via Pisangan, Govindgarh, Ladpura, Tehla, Bherunda, Harsore, Degana, Khatu and Bhanthri.
74.	60	Thanwala to Ganeri (SH-20) via Bherunda, Neemari, Kothariya, Degana, Sanjhun and Tarneu Jayal Deedwana.
75.	61	Phalodi (NH-15) to Mandal via Osian, Mathania, Jodhpur, Khejrli, Bhatenda, Sardarsamand, Jadan, Marwar Junction, Aauwa, Jojawar, Kamalighat, Devgarh and Rajaji ka Kareda.
76.	62	Bilara to Pindwara via Sojat, Sireeyari, Jojawar, Bagol, Desuri, Sadari and Sewari.
77.	63	Banar to Kuchera via Bhopalgarh, Asop.
78.	64	Rohat (NH-65) to Ahore (SH-16) via Vasi and Bhadra June.
79.	65	Sheo (NH-15) to Shergarh via Bhiyad, Barnawa Jagger, Patodi and Phalsoond.
80.	66	Siwana to Dhandhaniya (NH-114) via Samdari, Kalyanpur and Mandli Rodhawa Kalan.
81.	67	Sardarsamand (SH-61) to Desuri (SH-62) via Pali, Ramsiya, Somesar and Nadol.

82.	68	Dangiyawas (NH-112) to Balotra via Kakelao, Khejarli, Guda Bishnoiya, Kakani, Luni, Dhundhara and Rampura Samdari.
83.	69	Churu Bhaleri.
84.	70	Tather to Shivpuri (S.B.) via Digod, Kota, Sultanpur, Itawa and Khatoli.
85.	71	Kund to Miyada via Koyala, Kotrisunda, Majarawata, NH-76, Jaleda, Heekar, Piplod and Atru.
86.	72	Baran, Jalwara, Nahargarh, Padon up to State Border.
87.	73	NH-11 Junction-Ramu Ka Was to Badhadar J. NH-11 Sikar City Portion.

दीपक माहेश्वरी,  
**Principal Secretary to the Government.**

154  
**Government Central Press, Jaipur.**